



12^{वीं} वार्षिक प्रतिवेदन

2024-25

छत्तीसगढ़ ईस्ट
रेलवे लिमिटेड
(एसईसीएल की सहायक कंपनी)



विषय सूची

संदर्भ सूचना	02
निदेशक मंडल	04
वार्षिक आम बैठक की अल्पसूचना	06
अध्यक्ष का वक्तव्य	15
निदेशकों की प्रोफाइल	18
बोर्ड की रिपोर्ट	24
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) का उपभाग के संदर्भ में संबंधित पार्टियों के अनुबंध का विवरण	36
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत सूचना।	42
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	47
भारत के सीएजी की टिप्पणियाँ	53
कापोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट	54
कापोरेट प्रशासन प्रमाणपत्र	62
प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	63
निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	70
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण	88
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	90
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह	92
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	95
वित्तीय विवरण और लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	96
सेबी (एलओडीआर), 2015 के तहत अनुलग्नक- I और IX (सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार)	133
सीईओ और सीएफओ प्रमाणन	136

संदर्भ सूची

पंजीकृत कार्यालय

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
 महादेव घाट रोड,
 रायपुरा चौक
 रायपुर- 492013 (छत्तीसगढ़)

निदेशक मण्डल

श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार	-	अध्यक्ष	(26.07.2024 से प्रभावी)
श्री बिरंची दास	-	निदेशक	(26.07.2024 से प्रभावी)
श्री डी. सुनील कुमार	-	निदेशक	(26.07.2024 से प्रभावी)
श्रीमती रागिनी आडवाणी	-	निदेशक	(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री ए.के. सिंह	-	निदेशक	(20.07.2023 से प्रभावी)
श्री विश्वेश कुमार	-	निदेशक	(26.09.2024 से प्रभावी)
श्री प्रिया रंजन पारही	-	अंशकालिक निदेशक	(09.05.2022 से प्रभावी)

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

श्री बी. शिवकुमार	-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री नरेंद्र बोंद्रे	-	मुख्य परिचालन अधिकारी
श्री प्रभात चंद सैनी	-	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री आनंद जोसेफ	-	कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक	सचिवीय लेखा परीक्षक	आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स सिंघल एंड सेवक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या 011501सी भवन संख्या 311-312, द्वितीय तल, एस्के प्लाजा, रायपुर, सी.जी. 492001	मेसर्स शैकी संतानी एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव प्रथम तल, आर.एस. चैंबर्स महाराणा प्रताप चौक के पास बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	मेसर्स. एसपीजेव्ही एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बी-102, लालगंगा रेगलिया, कलर्स मॉल के पीछे, रायपुर-492001

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	डिपॉजिटरी
अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड अलंकित हाउस 4ई/2 इंडेवाला एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055, भारत	नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड कमला मिल्स कंपाउंड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013, भारत

बैंकर्स

- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

ऊर्जा निधि, 1, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

- इंडियन बैंक

कॉर्पोरेट शाखा दिल्ली
भूतल, 17, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत

कॉर्पोरेट वित्त शाखा, जीवन तारा भवन,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

- भारतीय स्टेट बैंक

69, महादेव घाट रोड,
सुंदरनगर शाखा, रायपुर-422013, छत्तीसगढ़

निदेशक मंडल
(2024-25 के दौरान)

अध्यक्ष	2024-25
श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल	(26.07.2024 से प्रभावी)
श्री जी. श्रीनिवासन पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल	30.06.2024 तक

निदेशक	2024-25
श्री एस.एन. कापड़ी पूर्व निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल	13.01.2023 से 26.07.2024 तक
श्री बिरंची दास निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल	(26.07.2024 से प्रभावी)
श्री दारला सुनील कुमार निदेशक (वित्त), एसईसीएल	(26.07.2024 से प्रभावी)
श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त), इरकॉन	(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री ए.के. सिंह निदेशक परियोजना, इरकॉन	(20.07.2023 से प्रभावी)
श्री अरुण प्रसाद पलानीसामी पूर्व प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	22.08.2023 से 26.09.2024 तक
श्री विश्वेश कुमार प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	(26.09.2024 से प्रभावी)
श्री प्रिया रंजन पारही कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-1, रेलवे बोर्ड	(09.05.2022 से प्रभावी)

निदेशक मंडल



श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार
निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल



श्री बिरंची दास
निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल



श्री दारला सुनील कुमार
निदेशक (वित्त), एसईसीएल



श्रीमती रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त), इरकॉन



श्री ए.के. सिंह
निदेशक परियोजना, इरकॉन



श्री विश्वेश कुमार
प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल



श्री प्रिया रंजन पारही
कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-1, रेलवे बोर्ड

वार्षिक आम बैठक की अल्प सूचना

यह सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की बारहवीं वार्षिक आम बैठक, गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को दोपहर 11:30 बजे, महादेव घाट रोड, रायपुर चौक, रायपुर - 492013, छत्तीसगढ़ स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, अल्प सूचना पर आयोजित की जाएगी। हालाँकि, निम्नलिखित कार्य करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ओएचएम (अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम) के माध्यम से बैठक में भाग लेने का विकल्प भी उपलब्ध है :

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएन : 09575213) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं।
3. श्री प्रिया रंजन पारही (डीआईएन : 09499859) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए

हस्ता/-
(आनंद अमृतराज जोसेफ)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
महादेव घाट रोड, रायपुर चौक
रायपुर (छ.ग.) - 492013
दिनांक : 18 अगस्त, 2025

टिप्पणियाँ :

- 1) 12वीं वार्षिक आम बैठक अल्प सूचना पर आयोजित करने का प्रस्ताव है और इस संबंध में, अल्प सूचना हेतु सहमति पत्र संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक की तिथि से पूर्व लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सहमति पत्र भेजें।
- 2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण **अनुबंध-अ** के रूप में संलग्न है।
- 3) एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का अधिकृत सदस्य अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकारी है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाला दस्तावेज, प्रभावी होने के लिए, बैठक शुरू होने के समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले, विधिवत रूप से पूरा और हस्ताक्षरित होकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
- 4) कोई व्यक्ति अधिकतम 50 (पचास) सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके पास कंपनी की कुल शेयर पूंजी का कुल मिलाकर दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) से अधिक मतदान का अधिकार नहीं है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) से अधिक मताधिकार रखने वाला कोई भी सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा। प्रतिनिधि धारक को बैठक में भाग लेने के समय अपनी पहचान साबित करनी होगी।
- 5) उपस्थिति पर्ची, प्रतिनिधि फॉर्म और बैठक स्थल का रूट मैप इसके साथ संलग्न है।
- 6) निगमित सदस्यगणों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक विधिवत प्रमाणित 'प्राधिकरण पत्र' भेजें, जिसमें उनके प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो।
- 7) सूचना और उसके अनुलग्नक में उल्लिखित सभी दस्तावेज, अन्य अनिवार्य रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों के साथ, वार्षिक आम बैठक की तिथि से पहले, सभी कार्य दिवसों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) के दौरान, व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं। सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर संबंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 8) कंप्यूटरी कार्य मंत्रालय (**"एमसीए"**) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 19 सितंबर, 2024 के आदेश संख्या 09/2024 (सामूहिक रूप से **"परिपत्र"** कहा जाता है), सदस्यगणों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (**"एजीएम"**) आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 (**"एक्ट"**) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यगणों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती है।
- 9) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध है और जो सदस्य वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैठक शुरू होने से कम से कम 24 घंटे पहले पुष्टि प्रदान करें।
- 10) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से तीस मिनट पहले खोली जाएगी।
- 11) वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- 12) वार्षिक आम बैठक की सूचना और उपस्थिति पर्ची उन सदस्यगणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा रही है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध दर्ज न किया हो। वार्षिक आम बैठक की सूचना और उपस्थिति पर्ची की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करायी है।
- 13) जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें।
- 14) अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत अधिवेशन के लिए वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

- 15) बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम क्रम में ऊपर हो, बैठक में मतदान करने का अधिकारी होगा।
- 16) जहाँ सदस्यगणों द्वारा मतदान की मांग की जाती है, वहाँ वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्य अपने वोट cscewrl.secl@coalindia.in पर भेजेंगे।
- 17) सदस्यगणों से अनुरोध है कि वे अपने पते/ई-मेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को तुरंत दें।
- 18) किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य cscewrl.secl@coalindia.in पर ईमेल भेज सकते हैं या नामित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क संख्या 9425531259)
- 19) सदस्यगण, सूचना में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वी.सी. सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो सदस्यों के लिए पूर्वाह्न 11:45 बजे से खुली रहेगी, अर्थात् वार्षिक आम बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और निर्धारित समय के बाद कम से कम 15 मिनट तक बंद नहीं होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देश :

- 1) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए लिंक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक की तिथि पर प्रसारित किया जाएगा।
- 2) वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी और निर्धारित समय के बाद कम से कम 15 मिनट तक बंद नहीं होगी।
- 3) दो-तरफ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सदस्यों को वेबकैम तक पहुँच प्रदान करनी होगी।
- 4) सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ऑडियो/वीडियो गुणवत्ता में किसी भी रुकावट के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में सुचारु रूप से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
- 5) जिन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान किसी भी तकनीकी सहायता या समर्थन की आवश्यकता हो, उनसे अनुरोध है कि वे प्रबंधक श्री टी. मनोज से +91 9751819666 पर संपर्क करें या manoj.thangraj@coalindia.in पर संदेश भेजें। कृपया अपने सभी पत्राचार में अपना नाम अवश्य लिखें।

प्रतिलिपि :

(बैठक में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ओएवीएम (व्यक्तिगत सदस्य की)/प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी लागू हो, के माध्यम से उपस्थित होने की सुविधा के अनुरोध के साथ):

1. मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर। (सदस्य)
2. श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल एवं अध्यक्ष (सीईडब्ल्यूआरएल)। (सदस्य)
3. श्री बिरेंची दास, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल एवं निदेशक (सीईडब्ल्यूआरएल)। (सदस्य)
4. श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक (वित्त), एसईसीएल एवं निदेशक (सीईडब्ल्यूआरएल)। (सदस्य)
5. मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली। (सदस्य)
6. मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। (सदस्य)
7. श्री सुरेंद्र सिंह, कार्यकारी निदेशक (विशेष कार्य), इरकॉन। (सदस्य)
8. श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन एवं निदेशक (सीईडब्ल्यूआरएल)
9. श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन एवं निदेशक (सीईडब्ल्यूआरएल)
10. श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक (सीएसआईडीसीएल) एवं निदेशक (सीईडब्ल्यूआरएल)।
11. श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना)-I (रेलवे बोर्ड) एवं निदेशक (सीईडब्ल्यूआरएल)।
12. मेसर्स सुनील केसवानी एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, रायपुर।
13. मेसर्स शैली संतानी एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षक, बिलासपुर।
14. अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

लघु सूचना के लिए शेयरधारकों द्वारा सहमति
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार)

प्रति,
निदेशक मंडल,
छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड,
महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक,
रायपुर - 492013,
छत्तीसगढ़, भारत।

मैं, ... (..... लिमिटेड
का प्रतिनिधि), ... का पुत्र, ... का निवासी
..... मेरे नाम पर कंपनी में प्रत्येक के रु. 10/- (दस रूपए) प्रति इक्विटी शेयर रखता हूँ, एतद्
द्वारा धारा 101(1) के अनुसार सहमति देता हूँ कंपनी अधिनियम, 2013, छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड की 12 वीं वार्षिक आम बैठक
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को दोपहर 12: 00 बजे अल्प सूचना या उसके किसी स्थगन पर आयोजित करने के लिए।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

उपस्थिति पर्ची

पंजीकृत फोलियो नंबर/डी.पी.आई.डी.*/क्लाइंट आई.डी.*

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या

सदस्य/प्रॉक्सी का नाम.....

मैं/हम एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के सदस्यों की 12 वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी/हमारी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जो
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को दोपहर 12: 00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर - 492 013,
छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही है।

.....
बैठक में भाग लेने वाले सदस्य के हस्ताक्षर

नोट :

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और इसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां बैठक में लाएं।

फॉर्म नंबर एमजीटी-11

अधिकार प्रारूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सीआईएन : U45203CT2013GOI000768

कंपनी का नाम : छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : महादेव घाट रोड, रायपुर चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ़, भारत

सदस्य का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी :

डीपी आईडी : लागू नहीं

मैं/हम, उपरोक्त नामित कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते, (.....
..... की ओर से) एतद्वारा नियुक्त करते हैं।

1. नाम :
पता :
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर : , या उसे विफल

2. नाम :
पता :
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर : , या उसे विफल

3. नाम :
पता :
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :

गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को दोपहर 12:00 बजे को होने वाली छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के सदस्यों की 12 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे, हमारे लिए और मेरी, हमारी ओर से (मतदान पर) भाग लेने और मतदान करने के लिए मेरे, हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय महादेव घाट रोड, रायपुर चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ़, भारत में, और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

साधारण व्यवसाय:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएन : 09575213) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं।
3. श्री प्रिया रंजन पारही (डीआईएन : 09499859) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

इस पर हस्ताक्षर किए के दिन..... 2025

सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

1 रुपये का राजस्व टिकट

नोट : प्रतिनिधित्व के इस रूप को प्रभावी होने के लिए, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत रूप से पूरा और जमा किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक-अ

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण

1. श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएन : 09575213)

संक्षिप्त परिचय :

श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएन : 09575213), निदेशक (वित्त), इरकॉन, 01.06.2022 को सीईडब्ल्यूआरएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुईं। श्रीमती रागिनी आडवाणी योग्यता से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और उन्हें वित्त में लगभग 25 वर्षों का योग्यता प्राप्त पश्चात अनुभव है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों परीक्षाओं में रैंक धारक हैं।

इरकॉन में शामिल होने से पहले, श्रीमती आडवाणी ने तेल एवं गैस क्षेत्र में एक तकनीकी परामर्शदात्री सीपीएसई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईएलएल) में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के रूप में कार्य किया है और लेखा एवं लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ काम किया है, सभी विपणन प्रस्तावों और विपणन वित्त, बिलिंग एवं संबंधित मामलों, बजट एवं एमआईएस और व्यवसाय विकास प्रस्तावों की सहमति ली है। वे दो वर्षों तक अध्यक्ष कार्यालय में भी रहीं और ईआईएल में लगभग एक वर्ष तक कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

उनका पिछला अनुभव एनटीपीसी, सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी में था। कॉर्पोरेट वित्त में उनका समृद्ध और विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय/विभाजन और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, कोषागार प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, निगमित योजना एवं बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ काम करना, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए सीईआरसी के साथ काम करना और दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

श्रीमती आडवाणी वित्तीय मामलों के संबंध में ईआईएल के 'इन-हाउस' वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए विषय विशेषज्ञ/संरक्षक भी रही हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती आडवाणी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी कंपनी है, के निदेशक का कार्यभार भी संभालती हैं।

ब्यौरा	विवरण
आयु	50 वर्ष
योग्यता	श्रीमती रागिनी आडवाणी योग्यता से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं।
अनुभव	कॉर्पोरेट वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव, जिसमें मूल्यांकन, विलय/विभाजन और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, कोषागार प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, सीएजी के साथ व्यवहार, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए सीईआरसी के साथ व्यवहार और दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर शामिल हैं।
पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार, श्रीमती आडवाणी रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो सकती हैं।
अंतिम आहरित राशि	लागू नहीं
भुगतान किए जाने वाली प्रस्तावित राशि	लागू नहीं
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	01.06.2022
कंपनी में शेयर धारिता	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	श्रीमती। रागिनी आडवाणी कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	नौ
अन्य बोर्डों का निदेशक पद	1) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) में पूर्णकालिक निदेशक 2) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड में निदेशक 3) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड में नामित निदेशक 4) बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड में नामित निदेशक 5) झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड में नामित निदेशक 6) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में नामित निदेशक

31 मार्च, 2025 को अन्य बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	समिति की अध्यक्षता : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (इरकॉन) समिति की सदस्यता 1. हितधारक संबंध समिति, इरकॉन 2. जोखिम प्रबंधन समिति, इरकॉन
---	--

2. श्री प्रिया रंजन पारही (डीआईएन : 09499859)

संक्षिप्त परिचय:

श्री प्रिया रंजन पारही (डीआईएन: 09499859), कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना)-1, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय ने 09.05.2022 को सीईडब्ल्यूआरएल के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। श्री पारही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हैं।

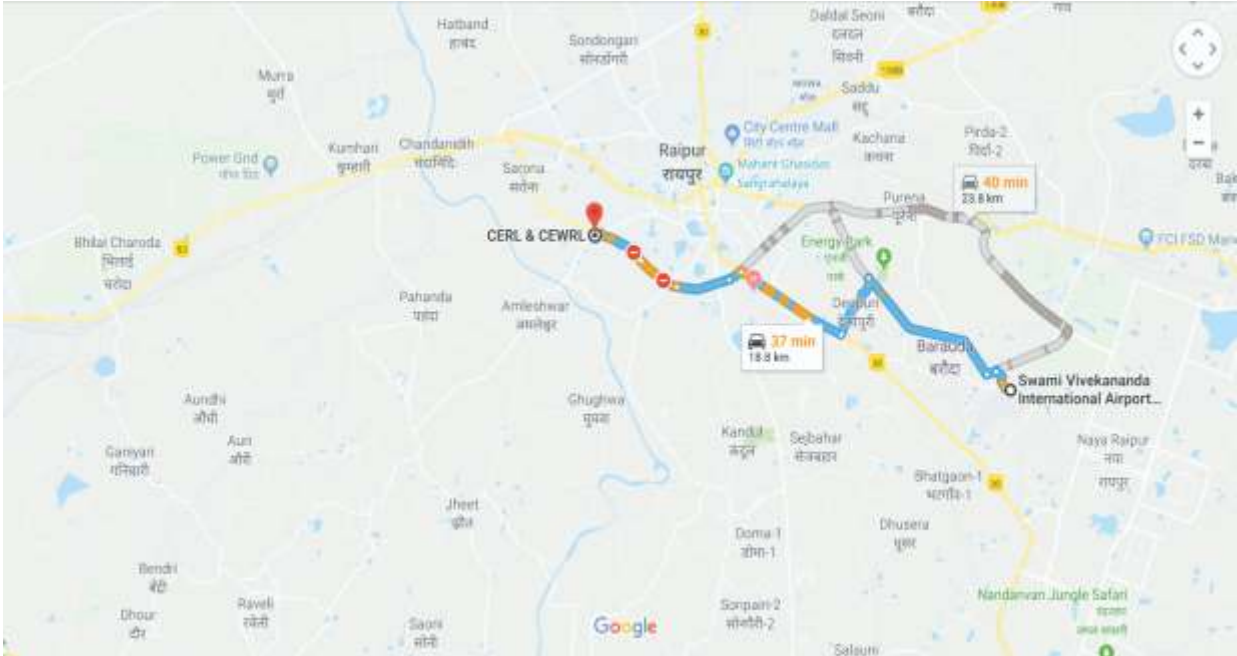
श्री प्रिया रंजन पारही 1996 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS) से हैं और उन्हें रेलवे मुख्यालय और रेलवे बोर्ड में माल ढुलाई संचालन और योजना के क्षेत्रों में मंडल संचालन प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर रेलवे संचालन में 25 वर्षों का अनुभव है। हाल ही में वे कॉनकोर (CONCOR) के उत्तर मध्य क्षेत्र के प्रमुख थे। वर्तमान में, श्री पारही रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना)-1 के पद पर कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री पारही छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी कंपनी है।

ब्यौरा	विवरण
आयु	56 वर्ष
योग्यता	श्री पारही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हैं।
अनुभव	माल ढुलाई संचालन और योजना के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव।
पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार, श्री पारही चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो सकते हैं।
अंतिम आहरित राशि	लागू नहीं
भुगतान किए जाने वाली प्रस्तावित राशि	लागू नहीं
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	09.05.2022
कंपनी में शेयर धारिता	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	लागू नहीं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	छः
अन्य बोर्डों का निदेशक पद	1) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक 2) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड में निदेशक 3) पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नामित निदेशक 4) झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड में नामित निदेशक 5) हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड में नामित निदेशक 6) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में नामित निदेशक
31 मार्च, 2025 को अन्य बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	समिति की अध्यक्षता : शून्य समिति की सदस्यता : शून्य

नक्शा - छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड

की 12 वीं एजीएम का स्थान पंजीकृत कार्यालय महादेव घाट रोड,
रायपुरा चौक, रायपुर - 492 013, छत्तीसगढ़



अध्यक्ष का वक्तव्य



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड की 12वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की ओर से आपका स्वागत करते हुए और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित तुलन पत्र सभी शेयरधारकों को पहले ही प्रदान कर दी गई है। आपकी अनुमति से, मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

आर्थिक विकास में कोयले का महत्व

कोयला राष्ट्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसने आवश्यक ऊर्जा प्रदान की जिसने औद्योगिक क्रांति और बाद में औद्योगिक विकास को गति दी। इसकी प्रचुरता, सामर्थ्य और वि. वसनीयता ने तीव्र आर्थिक विस्तार, रोजगार सृजन और महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण में मदद की है। आज भी, कई विकासशील देश बिजली और औद्योगिक गतिविधियों के लिए कोयले पर निर्भर हैं। पर्यावरणीय चिंताओं और स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव के बावजूद, कोयला अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कोयला लंबे समय से भारत के ऊर्जा अवसंरचना की रीढ़ रहा है, जिसने देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है और निकट भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। भारत के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 55% कोयला शामिल होने के कारण, यह स्पष्ट है कि देश की औद्योगिक प्रगति घरेलू कोयला संसाधनों से काफी हद तक प्रेरित रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार, जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रतिबंधों और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी भू-राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए, कोयला भारत के ऊर्जा भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा।

एसईसीएल का कोयला निकासी और रेल नेटवर्क

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 81% का योगदान देता है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित एक 'महारत्न' कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), वै. वक ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख कारक है।

चूँकि कोयला भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसकी माँग बढ़ती रहेगी। इसका मुख्य कारण तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिक विकास और अवसंरचना का विकास है, जिसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मुख्यतः कोयले से। चूँकि कोयला सस्ता और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए निकट भविष्य में भी यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा। भारत के विशाल कोयला भंडार ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य की भावना प्रदान करते हैं, जो एक विकासशील राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सीआईएल की एक अनुशंगी, एसईसीएल, कोयला निष्कर्षण और प्रेषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। कंपनी ने मौजूदा और नए कोयला क्षेत्रों से उत्पादन और प्रेषण बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएँ तैयार की हैं। उच्च उत्पादन रसद संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है और लोडिंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण, जैसे रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस), उच्च क्षमता वाले साइलो आदि की शुरुआत और खदानों से पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली, के माध्यम से कोयले की तेज़ निकासी की आवश्यकता होती है। एसईसीएल अपनी खदानों से कोयले की तेज़ी से निकासी और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए रेल अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, जिसके लिए रेल अवसंरचना के साथ-साथ विकास द्वारा एक समान निकासी तंत्र की आवश्यकता है।

एसईसीएल द्वारा बढ़ते उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने और ऊर्जा आपूर्ति की पूर्ति हेतु, कोयला खदानों के विस्तार के साथ-साथ खदानों तक रेल/सड़क मार्ग से रसद सहायता और संपर्क विकसित किया जा रहा है। आगामी कोयला निकासी चुनौतियों और बढ़ परिवहन बाधाओं को देखते हुए, आपकी कंपनी पूर्वी रेल गलियारा परियोजना के चरण I और चरण II के माध्यम से खदान से भारतीय रेलवे की मुख्य रेल लाइन तक रेल संपर्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक कुशल कोयला क्षेत्र न केवल बिजली उत्पादन के लिए, बल्कि इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

परियोजना का रणनीतिक महत्व

कंपनी की पूर्वी रेल गलियारा परियोजना दो चरणों में विकसित की जा रही है, अर्थात् : खरसिया से धरमजयगढ़ तक चरण-I परियोजना, जिसमें घरघोड़ा से गारे पेलमा तक एक स्पर लाइन और छाल बरौद और दुर्गापुर नामक तीन फीडर लाइनें शामिल हैं।

धरमजयगढ़ से कोरबा तक चरण-II परियोजना।

पूर्वी रेल गलियारा, एसईसीएल की कोयला उत्खनन गतिविधियों के विस्तार में सहायक होगा, जिससे कोल इंडिया लिमिटेड का 1 अरब टन कोयला उत्पादन का नियोजित लक्ष्य पूरा हो सकेगा। कंपनी की चरण I और चरण II परियोजना, एसईसीएल की खदानों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में अन्य कोयला खदानों से कोयले की आवाजाही को सक्षम करने के लिए आवश्यक प्रमुख रेल अवसंरचना प्रदान करने में सहायक होगी, ताकि बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित विभिन्न अंतिम उपयोग परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति की जा सके। इससे क्षेत्र में तीन-तरफा आर्थिक विकास होने की उम्मीद है : एसईसीएल (कोयला उत्पादक के रूप में), भारतीय रेलवे के लिए ट्रांसपोर्टर के रूप में, और क्षेत्र में अवसंरचना विकास द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। रेल गलियारे का विकास इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एसईसीएल के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि, भारतीय रेलवे के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार और भीड़भाड़ कम करने और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अवसंरचना विकास के रूप में क्षेत्र में त्रि-आयामी विकास होने की उम्मीद है।

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ :

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ संक्षेप में नीचे दी गई हैं :

चरण-I परियोजना :

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने रेकों की लोडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1140 रेकों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2573 रेकों तक पहुँच गई है। परिचालन से प्राप्त राजस्व में 114% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- कंपनी ने पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन से कुल 3166.67 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के साथ-साथ 350.00 करोड़ रुपये के स्वीकृत आपातकालीन ऋण (स्टैंडबाय क्रेडिट) के साथ रुपया सावधि ऋण का पुनर्वित्त प्राप्त किया है।
- भालूमुड़ा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन के दूसरे ब्लॉक खंड के अपरिवर्तित खंड में भूमि का काम पूरा हो गया है और ट्रैक लिंकिंग का काम प्रगति पर है।
- परिवर्तित खंड में निजी भूमि से संबंधित मांग का भुगतान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और महाजेनको से 45.07 करोड़ रुपये की अंतर मांग प्राप्त होने के बाद, वित्तीय वर्ष 2024-25 में द.पू.म. रेलवे के माध्यम से कर दिया गया है।
- कैलेंडर वर्ष के दौरान एसईसीएल और इस्कॉन द्वारा 54.00 करोड़ रुपये की अर्ध-इक्विटी प्रदान की गई है।
- परियोजना के वांछित आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) को बनाए रखने के लिए समीक्षा और आगे विस्तार के अधीन, रेल मंत्रालय से तीन वर्षों की अवधि के लिए 60% की बढ़ी हुई माइलेज के विस्तार हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

7. सीईआरएल ने सीईआरएल टर्मिनलों के उपयोग के लिए एनटीपीसी जैसी अन्य कंपनियों के साथ चर्चा की है जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है।

चरण-II परियोजना :

1. कंपनी ने पूर्वी रेल गलियारा चरण-ए परियोजना के वित्तपोषण हेतु 1349.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ रुपया सावधि ऋण के माध्यम से समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 138.37 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में इरकॉन द्वारा लगभग 595 करोड़ रुपये मूल्य के निर्माण कार्यों अर्थात् भूमि कार्य, छोटे और बड़े पुलों, रोड अंडरब्रिज और स्लीपों के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना लागत के लिए 138.56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
157.035 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु चरण-ए वन मंजूरी 15.03.2025 को प्राप्त हुई।

वित्तीय विवरण

शेयरधारकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए, कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया गया है और कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने हेतु लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। कंपनी की मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को विधिवत स्वीकार किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर 'शून्य टिप्पणी' जारी की है।

आभार

मैं इस क्षेत्र में रेल गलियारे के विकास में सभी हितधारकों के सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से भारत सरकार (कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय), छत्तीसगढ़ सरकार, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सीएसआईडीसीएल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस प्रयास में निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहयोग दिया।

मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं और उन सभी का भी जिन्होंने इस परियोजना में गहरी रुचि दिखाई है और रेल नेटवर्क के माध्यम से इस क्षेत्र के परिवर्तन में हमारे विश्वास को साझा किया है।

मैं कंपनी की एकजुट टीम को भी इस प्रयास के समर्थन में अत्यधिक समर्पण और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हर समय दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद,

(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन : 10497933

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार

निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल

श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार (54 वर्ष), निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल ने 26 जुलाई, 2024 को छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार ने 01.01.2025 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) संचालन का कार्यभार संभाला। श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार 01.01.2025 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) योजना परियोजना का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार ने 07.11.2022 को मुख्य महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख, तालाबीरा II और III खुली खदान, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के रूप में कार्यभार संभाला तथा 29.07.2023 को कार्यकारी निदेशक/कोयला समन्वय और परियोजना प्रमुख, तालाबीरा II और III खुली खदान, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के रूप में पदोन्नत हुए।

श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार ने वर्ष 1992 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक किया। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु से व्यवसाय प्रशासन (मानव संसाधन प्रबंधन) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। श्री एन. प्रैकलिन जयकुमार के पास कोयला खदान के प्रबंधन के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया की फेलोशिप (एफआईई) है।

श्री जयकुमार भारत और विदेश दोनों में समृद्ध खनन अनुभव रखते हैं, जिसमें शामिल हैं; सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में 18 वर्षों (1993 से 2011) तक उच्च मशीनीकृत भूमिगत और खुली खदानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया और 2011-16 के दौरान 5 वर्षों तक इंडोनेशिया में 5 मि. टन कोयला खदान में खनन परिचालन का नेतृत्व किया। इसके अलावा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडु (2016-21) की लिग्नाइट खदान-I (10.5 मि. टन) में महाप्रबंधक/संचालन और 2021 से जून 2022 तक एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के मुख्य महाप्रबंधक/तकनीकी सचिव और जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक एनएलसी इंडिया लिमिटेड के खान निदेशक के मुख्य महाप्रबंधक/तकनीकी सचिव के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त, श्री जयकुमार ने लिग्नाइट से मेथनॉल परियोजना का भी नेतृत्व किया, जो अनुबंध दिए जाने के अग्रिम चरण में थी।

श्री जयकुमार ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वावधान में कार्यरत तमिलनाडु खान सुरक्षा संघ में नेवेली अंचल के क्षेत्रीय सचिव के पद पर कार्य किया और एससीएमएस (भारत में खान क्षेत्र के लिए कौशल परिषद) के बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री जयकुमार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल का हिस्सा बनने वाली संकट प्रबंधन योजना के समझौता ज्ञापन में भी शामिल रहे।

श्री जयकुमार छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी संस्था है।



श्री बिरंची दास

निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल

श्री बिरंची दास (57 वर्ष), निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल ने 26 जुलाई, 2024 को छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

श्री बिरंची दास ने 20.03.2024 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन) का पदभार ग्रहण किया है। इस पदभार ग्रहण करने से पहले, वे कोल इंडिया की अनुशंगी महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

श्री बिरंची दास ने 1994 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के तालचर क्षेत्र स्थित देउलबेरा कोलियरी में कल्याण अधिकारी (प्रशिक्षण अधिकारी) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वे मानव संसाधन प्रबंधन के विविध क्षेत्रों में 29 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक अनुभव रखते हैं। वे ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय के कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध विभाग के भूतपूर्व छात्र हैं।

एमसीएल में गैर-कार्यपालकों के लिए आवास आवंटन एवं प्रशासन नियम बनाने और संगठन के लिए प्रमाणित स्थायी आदेशों का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से उनका योगदान स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि एमसीएल मुख्यालय में औद्योगिक संबंध विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री दास ने कॉर्पोरेट स्तर पर स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री बिरंची दास, एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी कंपनी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का भी कार्यभार संभाल रहे हैं।



श्री दारला सुनील कुमार

निदेशक (वित्त), एसईसीएल

श्री दारला सुनील कुमार (54 वर्ष), निदेशक (वित्त) एसईसीएल ने 26 जुलाई, 2024 को छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री दारला सुनील कुमार ने 25.07.2024 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया। एसईसीएल में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में महाप्रबंधक (वित्त)-विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने आचार्य नागार्जुन

विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक और आंध्र प्रदेश के आंध्र विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमबीए-वित्त) की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें कोयला खनन उद्योग में वित्त क्षेत्र में 28 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है और उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड की अनुशंगियों सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और एनसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री सुनील कुमार ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के तीनों क्षेत्रों अर्थात् मध्य प्रदेश क्षेत्र, नागपुर और वर्धा घाटी (पेंच, उमरेर, वानी क्षेत्र और सीडब्ल्यूएस, तडाली) में क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक (एएफएम) के रूप में भी कार्य किया है। एक एएफएम के रूप में, उन्होंने लागत नियंत्रण उपायों को लागू करने और क्षेत्रों के उल्लेखनीय लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और एनसीएल में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने खान, क्षेत्र और अनुशंगी मुख्यालयों में काम किया है और केंद्रीय लेखा, बिक्री लेखा, आंतरिक लेखा परीक्षा, लागत और बजट और निधि अनुभाग और अन्य वित्त कार्यों जैसे विभिन्न कार्यों का नेतृत्व किया है। एनसीएल में, उन्होंने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान चक्र में कमी आई और ब्याज आय में वृद्धि हुई।

श्री डी. सुनील कुमार छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी है और सीईडब्ल्यूआरएल की सहयोगी कंपनी है तथा वे आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नामित निदेशक हैं।



श्रीमती रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त), इरकॉन

श्रीमती रागिनी आडवाणी, (50 वर्ष), निदेशक (वित्त), इरकॉन, 01.06.2022 को सीईडब्ल्यूआरएल के बोर्ड में शामिल हुई। श्रीमती रागिनी आडवाणी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की योग्यता के साथ-साथ वित्त क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का पुराना अनुभव है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी, दोनों परीक्षाओं में रैंक होल्डर हैं।

इरकॉन में शामिल होने से पहले, श्रीमती आडवाणी ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL), जो तेल एवं गैस क्षेत्र में एक तकनीकी परामर्शदात्री CPSE है, में महाप्रबंधक (F-A) के रूप में कार्य किया है और लेखा विभाग की प्रभारी थीं तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ काम किया, सभी विपणन प्रस्तावों और विपणन वित्त, बिलिंग एवं संबंधित मामलों, बजटिंग एवं नियमित प्रबंधन सूचना प्रणाली और व्यवसाय विकास प्रस्तावों की सहमति प्रदान किया। वह 2 वर्षों तक अध्यक्ष कार्यालय में भी रही और EIL में लगभग एक वर्ष तक कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

उनका पिछला अनुभव एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी के साथ था। उनके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस में समृद्ध और विविध अनुभव हैं जिसमें मूल्यांकन, विलय डिमर्जर और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, ट्रेजरी प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई-नीलामी, नियमित एमआईएस के माध्यम से कोयले की खरीद, सीएजी के साथ काम करना, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने और दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए सीईआरसी के साथ काम करना शामिल है।

श्रीमती आडवाणी वित्त मामलों के संबंध में ईएलएल के इन-हाउस वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों के विषय विशेषज्ञ/संरक्षक भी रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती आडवाणी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी कंपनी है, के निदेशक का कार्यभार भी संभालती हैं।



श्री ए.के. सिंह
निदेशक (परियोजनाएँ), इरकॉन

श्री ए.के. सिंह, (59 वर्ष), निदेशक (परियोजनाएँ), इरकॉन, 20.07.2023 को सीईडब्ल्यूआरएल के बोर्ड में शामिल हुए।

श्री सिंह ने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और एमडीआई, गुरुग्राम से एमबीए (वित्त) किया है।

श्री सिंह ने जनवरी 1990 में रेल मंत्रालय में आईआरएसई अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और प्रमुख रेलवे अवसंरचनाओं (25 वर्ष से अधिक) और राजमार्ग अवसंरचनाओं (8 वर्ष से अधिक) के विकास में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

श्री सिंह ने इससे पहले 2016-2019 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड में निदेशक के रूप में सदस्य (परियोजना) एचएआई के रूप में 3 वर्षों तक कार्य किया।

श्री सिंह का अनुभव प्रारंभिक योजना से लेकर अंतिम चरण तक फैला हुआ है, जिसमें परियोजना नियोजन, देयता मूल्यांकन, निवेश रणनीति, वित्तपोषण, नीलामी पुरस्कार, निर्माण, परियोजना परामर्श, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव आदि के सभी पहलू शामिल हैं, जो मुद्राकरण के साथ अंत तक जारी रहते हैं। परियोजना कार्यान्वयन विशेषज्ञताओं में नई लाइनों, दोहरीकरण, सुरंगों, एलिवेटेड कॉरिडोर, अत्याधुनिक पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, तटीय राजमार्गों, रसद, विद्युत प्रणालियों की स्थापना आदि के निर्माण को समय से पहले पूरा करना शामिल है।

श्री सिंह ने परियोजना कार्यान्वयन के सभी प्रचलित तरीकों जैसे आइटम दर ईपीसी, एफआईडीआईसी, ईपीसी (टर्न की), पीपीपी, ओएमटी, एचएएम, टीओटी मॉडल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी उपलब्धियों में परिसंपत्ति मुद्राकरण, इनविट, विनिवेश, धन उगाहना, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का विपणन और विदेशी निवेश आकर्षित करना शामिल है।

श्री सिंह ने नए ईपीसी (टर्न की) मॉडल समझौते (एमसीए) को शुरू करने, पीपीपी के कठिन दौर के बाद पीपीपी में सुधार और एचएएम और टीओटी विनिवेश के नए परियोजना मॉडल में अग्रणी भूमिका निभाई है।

श्री सिंह ने एक अनुबंध प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में नेतृत्व किया है और बड़ी संख्या में विवाद समाधान, तकनीकी एवं संविदात्मक व्याख्या समितियों और निपटान सलाहकारों का नेतृत्व किया है ताकि नई सोच और अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित परियोजनाओं को बचाया जा सके। उन्होंने मानव संसाधन एवं प्रशासन, आईटी और कानूनी विभागों का भी नेतृत्व किया है और कई अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

श्री सिंह समावेशी नेतृत्व के माध्यम से मूल्य सृजन और सभी हितधारकों एवं निवेशकों के लिए तालमेल बनाने में विश्वास करते हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री सिंह छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी कंपनी है।



श्री विश्वेश कुमार

प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल

श्री विश्वेश कुमार, (43 वर्ष), प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल, 26.09.2024 को सीईडब्ल्यूआरएल के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

श्री विश्वेश कुमार ने 10.09.2024 से प्रबंध निदेशक (सीएसआईडीसीएल) का कार्यभार ग्रहण किया। श्री विश्वेश कुमार 2007 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं और वन अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं।

श्री विश्वेश कुमार ने केंद्रीय भूटुश्य में कॉरिडोर प्रबंधन के संदर्भ में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के लिए सिडनी विश्व पार्क कांग्रेस 2014 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। श्री विश्वेश कुमार ने बस्तर, दंतेवाड़ा और कसडोल में इनसाइट प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री विश्वेश कुमार ने कवर्धा, बलौदाबाजार और रायपुर के वन विभागाध्यक्ष, कैम्पा के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जांजगीर-चांपा जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रायपुर के वन्यजीव विभाग के मुख्य वन संरक्षक के रूप में कार्य किया है।

इसके अतिरिक्त, श्री विश्वेश कुमार छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की सहयोगी कंपनी है।



श्री प्रिया रंजन पारही

कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-1, रेलवे बोर्ड

श्री प्रिया रंजन पारही, (56 वर्ष), कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-1, 09.05.2022 को सीईडब्ल्यूआरएल के बोर्ड में शामिल हुए। श्री पारही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हैं। श्री प्रियारंजन पारही 1996 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS) से हैं और उन्हें रेलवे मुख्यालय और रेलवे बोर्ड में माल ढुलाई संचालन और योजना के क्षेत्र में मंडल संचालन प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर रेलवे संचालन में 25 वर्षों का अनुभव है। हाल ही में वे कॉनकोर (CONCOR) के उत्तर मध्य क्षेत्र के प्रमुख थे। वर्तमान में, श्री पारही रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-1 के पद पर कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री पारही छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक अनुशंगी और सीईडब्ल्यूआरएल की एक सहयोगी कंपनी है।



श्री जी. श्रीनिवासन

पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल

श्री जी. श्रीनिवासन (60 वर्ष), पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल ने 01 अक्टूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया और 30.06.2024 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पदभार का त्याग किया।

श्री श्रीनिवासन मद्रास वि. विद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं। श्री जी. श्रीनिवासन ने 12.08.2022 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का

पदभार ग्रहण किया।

कोयला खनन उद्योग में वित्त अनुशासन में उन्हें 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है और उन्होंने डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीआईएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। कोल इंडिया और उसकी अनुशंगियों में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने खदानों, क्षेत्रों, सहायक कॉर्पोरेट कार्यालयों और सीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्य किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट कोषागार प्रबंधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामले, कॉर्पोरेट खाते, लागत और बजट, बिक्री लेखा और अन्य वित्तीय कार्यों जैसे विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने एसईसीएल में जीएसटी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने ईआरपी/एसएपी कार्यान्वयन के दूसरे चरण में डब्ल्यूसीएल और सीआईएल की सभी छह सहायक कंपनियों में ईआरपी/एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई और इसे सुनिश्चित किया।



श्री एस.एन. कापरी

पूर्व निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल

श्री एस.एन. कापरी (60 वर्ष), पूर्व निदेशक (तकनीकी) अधिकारी, एसईसीएल ने 13 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का पदभार ग्रहण किया और एसईसीएल द्वारा नए निदेशक के मनोनयन के बाद 26.07.2024 को पदभार का त्याग किया।

उन्होंने वर्ष 1987 में भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद से खनन अभियांत्रिकी (बी.टेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1987 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी (खनन) के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने सीआईएल की अनुशंगियों, जैसे एसईसीएल और ईसीएल, के विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

एसईसीएल में, उन्होंने बैकुंठपुर क्षेत्र, जोहिल्ला क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उन्होंने एसईसीएल के महाप्रबंधक (उत्पादन)/विभागाध्यक्ष और एसईसीएल के महाप्रबंधक (आईईडी)/विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बैकुंठपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में, श्री कापरी ने हसदेव क्षेत्र की कपिलधारा यूजी माइंस (जो निष्क्रिय थी) के सतत खनन को बैकुंठपुर क्षेत्र की झिलिमिली यूजी माइंस में स्थापित करने की योजना तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने चुरा सीएचपी की बेल्ट संवहन प्रणाली के पुनर्गठन के लिए भी पहल की, जिससे न केवल बेल्ट के टूटने को कम किया गया, बल्कि बेल्ट को चलाने के लिए दैनिक जनशक्ति के साथ-साथ समग्र बिजली की खपत को भी बचाने में मदद मिली। उन्होंने कई पहल भी कीं, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री में उल्लेखनीय कमी आई।

जीएम (आईईडी)/विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहते हुए श्री कापरी को जीएम (उत्पादन)/विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। उन्होंने एसईसीएल की सभी खदानों में कोयला, ओबीआर और ऑफटेक की रिपोर्टिंग के लिए ईआरपी और उत्पादन पोर्टल के पीपी मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी उल्लेखनीय योगदानों के लिए, उन्हें सीआईएल स्थापना दिवस के दौरान वर्ष 2020-21 के लिए एसईसीएल के सर्वश्रेष्ठ विभागाध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। जोहिला क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, 08 मई से 07 गांवों के लिए संपत्ति सर्वेक्षण और कंचन एक्सपेंसन 2.0 मि.टन खुली खदान की खदान सीमा का अंतिम विस्तार पूरा हुआ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) में कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्र क्षेत्र, सोदपुर क्षेत्र और राजमहल क्षेत्र में एजेंट और एरिया मैनेजर (पीसी एंड डी) के रूप में काम किया है। उन्होंने राजमहल क्षेत्र में 04 पुनर्वास स्थल स्थापित किए हैं।

श्री कापड़ी कंपनी के नियमों के साथ-साथ खनन के परिचालन संबंधी पहलुओं से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी दूरदर्शिता एवं नेतृत्व क्षमता के माध्यम से उभरती चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने और बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं।



श्री अरुण प्रसाद पलानीसामी

पूर्व प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल

श्री अरुण प्रसाद पलानीसामी, (49 वर्ष), पूर्व प्रबंध निदेशक (सीएसआईडीसीएल), 22.08.2023 को सीईडब्ल्यूआरएल के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए और सीएसआईडीसीएल द्वारा नए पदधारी के नामांकन के बाद 26.09.2024 को पदभार का त्याग किया।

श्री प्रसाद छत्तीसगढ़ संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। श्री प्रसाद ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी (कृषि) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से एमएससी (कृषि कीट विज्ञान) की उपाधि प्राप्त की है।

वर्तमान में, श्री प्रसाद छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) के प्रबंध निदेशक के प्रमुख पद पर कार्यरत हैं। सीएसआईडीसी मुख्य रूप से औद्योगिक संवर्धन एवं सुविधा, औद्योगिक सर्वेक्षण, भूमि बैंक प्रबंधन, उद्योगों को भूमि आवंटन, उद्यमिता विकास; प्रशिक्षण एवं विकास, औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव और उन्नयन में कार्यरत रहा है। श्री प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, फूड पार्क और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों एवं परियोजनाओं के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री प्रसाद इससे पहले राज्य पर्यावरण सलाहकार समिति में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में अपर सचिव और उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। सदस्य सचिव के रूप में, वे राज्य में उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहे थे। श्री प्रसाद ने प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए राज्य में उद्योगों का ज़िम्मेदारीपूर्वक संचालन सुनिश्चित किया। श्री प्रसाद ने कई ज़िला स्तरों पर ज़िला वन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आपके समक्ष कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर **12वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025** को समाप्त वर्ष के लिए उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

1. उत्कृष्ट कार्य की मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने रेलों की लोडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1140 रेलों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2573 रेलों तक पहुँच गई है।

कंपनी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कुल रु.3166.67 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के साथ-साथ रु.350.00 करोड़ के स्वीकृत स्टैंडबाय क्रेडिट के साथ रुपया टर्म लोन का पुनर्वित्त (रिफायर्नेसिंग) प्राप्त किया है।

कंपनी ने पूर्वी रेल गलियारा फेज-II परियोजना के वित्तपोषण हेतु रु.1349.00 करोड़ की राशि के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ रुपया टर्म लोन के माध्यम से समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रु.138.37 करोड़ का संवितरण किया गया।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ संक्षेप में नीचे उल्लिखित हैं :

चरण-1 परियोजना

- परिचालन से राजस्व में 114: की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- भालूमुड़ा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन के दूसरे ब्लॉक खंड के अपरिवर्तित खंड में मिट्टी का काम पूरा हो गया है और ट्रैक लिफ्टिंग का काम प्रगति पर है।
- परिवर्तित खंड में निजी भूमि से संबंधित मांग का भुगतान समझौता ज्ञापन निष्पादित करने और महाजेनको से रु.45.07 करोड़ की अंतर मांग प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से किया गया है।
- कैलेंडर वर्ष के दौरान एसईसीएल और इस्कॉन द्वारा रु. 54.00 करोड़ की अर्ध-इक्विटी डाली गई है।
- रेल मंत्रालय से तीन वर्षों की अवधि के लिए 60% की बढ़ी हुई माइलेज के विस्तार हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसकी समीक्षा की जाएगी और परियोजना के वांछित आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) को बनाए रखने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
- सीईआरएल ने सीईआरएल टर्मिनलों के उपयोग के लिए एनटीपीसी जैसी अन्य कंपनियों के साथ चर्चा की, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई।

चरण-2 परियोजना

- इस्कॉन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 595 करोड़ रुपये मूल्य के निर्माण कार्यों, जैसे भूमि कार्य, छोटे और बड़े पुल, सड़क अण्डरब्रिज (आरयूबी) और स्लीपर के लिए निविदाएँ प्रदान की गई हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना लागत पर रु. 138.56 करोड़ का व्यय किया गया है।
- 157.035 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु चरण-II वन मंजूरी 15.03.2025 को प्राप्त हुई।

वित्तीय स्थिति :

पूँजी संरचना :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूँजी पिछले वर्ष के समान रु.1000.00 करोड़ रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की चुकता और अभिदत्त पूँजी भी पिछले वर्ष के समान रु. 781.58 करोड़ रही।

प्रवर्तक कम्पनियों का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

कं	कंपनी का नाम	31-03-2025 तक शेयर धारिता पैटर्न	31.03.2024 तक शेयरधारिता पैटर्न
1	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	63.98प्रतिशत	63.98 प्रतिशत
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	25.31प्रतिशत	25.31 प्रतिशत
3	सीएसआईडीसीएल (छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व)	10.71प्रतिशत	10.71 प्रतिशत
	कुल	100प्रतिशत	100 प्रतिशत

समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीएसआईडीसी का इक्विटी योगदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के मूल्य या 10%, जो भी अधिक हो, के अनुरूप होगा। यदि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि का मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार और एसईसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

ऋण निधि :

कंपनी ने 29.03.2025 को इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ को 2403.52 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का भुगतान करके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ रुपया सावधि ऋण (आर टी एल) सुविधा का पुनर्वित्तपोषण किया है।

7. वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
परिचालन से राजस्व	10,938.47	5,116.96
अन्य आय	17.34	318.33
मूल्यहास, वित्तीय लागत, असाधारण मर्दे और कर व्यय से पहले लाभ/हानि	10955.81	522.74
कमी : मूल्यहास/परिशोधन/क्षति	8,996.66	8,859.66
वित्तीय लागत, असाधारण मर्दे और कर व्यय से पहले लाभ/हानि	1959.15	(8,336.92)
कमी : वित्तीय लागत	23,767.11	16,738.84
असाधारण मर्दे और कर व्यय से पूर्व लाभ/हानि	(21,807.96)	(25,075.76)
वृद्धि/(कमी): असाधारण मर्दे - -		
कर व्यय से पूर्व लाभ/हानि	(21,807.96)	(25,075.76)
कमी : कर व्यय (चालू और आस्थगित)	(5,670.07)	(15,587.96)
वर्ष के लिए लाभ/हानि (1)	(16,137.89)	(9,487.80)
कुल व्यापक आय/हानि (2)	-	-
कुल (1+2)	(16,137.89)	(9,487.80)
पिछले वर्षों का लाभ/हानि शेष	(16,657.15)	(7,169.35)
कमी : ऋणपत्र मोचन संचिति में स्थानांतरण	-	-
कमी : संचिति में स्थानांतरण	-	-
कमी : इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	-	-
कमी : अधिमाम्य शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	-	-
कमी : लाभांश वितरण कर	-	-
आगे ले जाया गया शेष	(32,795.04)	(16,657.15)

8. पूंजीगत व्यय :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान,

I. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 231.64 (चरण 1 परियोजना में रु.89.52 करोड़ और चरण 2 परियोजना में रु.142.12 करोड़) का निवेश किया गया।

9. लाभांश :

चूँकि कंपनी की परियोजना कार्यान्वयन चरण में है, इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

10. संचिति में स्थानांतरण :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान संचिति में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई।

11. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों :

वित्तीय वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

12. राजकोष में योगदान :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट अग्रिम कर के रूप में राजकोष में कोई योगदान नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी ने कोई लाभ नहीं कमाया है।

13. असुरक्षित ऋण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी होलिंग्स कंपनी, अर्थात् साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए मासिक चक्रवृद्धि आधार पर देय ब्याज दर पर रु.197.75 करोड़ (केवल एक सौ सत्तानवे करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) उधार लिए हैं, जो संबंधित अवधि के लिए सीईआरएल चरण-I परियोजना में संघीय ऋणदाताओं को देय ब्याज दर से अधिक नहीं है। एसईसीएल द्वारा दिया गया ऋण, सीईआरएल चरण-I परियोजना के वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं द्वारा दिए जाने वाले सावधि ऋण के अधीन रहेगा। एसईसीएल से प्राप्त प्रमोटर ऋण का पुनर्भुगतान, संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार या संघीय ऋणदाताओं द्वारा सहमति के अनुसार, संघीय ऋणदाताओं के वरिष्ठ ऋण के पुनर्भुगतान के बाद किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में उपार्जित लेकिन देय नहीं होने वाला ब्याज रु.45.45 करोड़ है।

14. सुरक्षित ऋण :

कंपनी की पूर्वी रेल गलियारा परियोजना (चरण-I) का वित्तीय समापन 24.11.2017 को प्राप्त हुआ। कंपनी द्वारा अनुरोधित अनुमानित निधि आवश्यकता के अनुसार और प्रमुख बैंकर को सूचित करने पर, संघीय ऋणदाताओं द्वारा ऋण राशि किश्तों में वितरित की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले संघीय ऋणदाताओं को रु.2403.52 करोड़ के बकाया ऋण का पुनर्वित्त करके 29.03.2025 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ रुपया सावधि ऋण सुविधा का पुनर्वित्त किया है। इस प्रकार, 31.03.2025 तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर बकाया राशि 2403.52 करोड़ रुपये थी।

15. जमा राशियाँ

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशि स्वीकार की है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत दिए गए ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, गारंटियाँ या निवेश नहीं किया गया।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता था। संबंधित पक्षों के साथ ऐसा कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे में आती हो। हालाँकि, इस संबंध में प्रकटीकरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

18. भूमि अधिग्रहण की स्थिति

चरण-I परियोजना :

I. निजी भूमि :

0-74 किमी और 0-28 किमी स्पर (स्पर लाइन के रिक्रूटिंग खंड को छोड़कर) में निजी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

II. सरकारी भूमि :

0-74 किमी और 0-28 किमी स्पर में सरकारी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

III. वन भूमि :

वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 76.099 हेक्टेयर (10-74 किमी) के लिए चरण-II वन मंजूरी और 26.52 हेक्टेयर (0-10 किमी) तथा स्पर लाइन (स्पर लाइन के रिक्रूटिंग खंड को छोड़कर) के लिए चरण-II वन मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

दूसरे ब्लॉक खंड के रिक्रूटिंग वाले हिस्से के लिए चरण-III वन मंजूरी (4.679 हेक्टेयर) के लिए सीईआरएल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, दूसरे ब्लॉक खंड के रिक्रूटिंग वाले हिस्से से संबंधित 2.544 हेक्टेयर वन भूमि (अंबुजा सीमेंट्स से सीईआरएल को) के पुनर्मांग निर्धारण के लिए सीईआरएल द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

IV. फीडर लाइनों के लिए भूमि :

फीडर लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।

चरण-II परियोजना :

i. निजी भूमि :

306.606 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। शेष 5.171 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है - एसडीएम/धरमजयगढ़ के पास अधिनिर्णय मांग लंबित है।

ii. सरकारी भूमि :

परियोजना के लिए 37.951 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 0.421 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है - कलेक्टर कोरबा के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने हेतु लंबित है।

iii. वन भूमि :

वन भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।

19. निर्माण कार्य की स्थिति

31 मार्च, 2025 तक प्रमुख पुलों, लघु पुलों, सड़क तल, सिग्नल व दूरसंचार केबलों की शिफ्टिंग और 0-10 किमी, 10-74 किमी और 0-28 किमी स्पर में ट्रेक्शन सब-स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, सिग्नलिंग और दूरसंचार केबल और गिड्री (बैलास्ट) की आपूर्ति और स्टैकिंग के लिए 1,894.54 करोड़ रुपये की निविदाएँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं और 1,631.82 करोड़ रुपये की राशि के कार्य निष्पादित किए जा चुके हैं।

(करोड़ में)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य	निष्पादित कार्य का मूल्य(31 मार्च 2025 तक)
1	सिविल कार्यों के लिए निविदाएँ।	1,647.63	1,424.27
2	विद्युत कार्यों के लिए निविदाएँ।	152.51	124.89
3	सिग्नलिंग एवं दूरसंचार कार्यों के लिए निविदाएँ।	94.40	82.66
4	यांत्रिक कार्यों के लिए निविदाएँ।	0.00	0.00
कुल	स्वीकृत मूल्य	1,894.54	1,631.82

20. प्रबंधन टीम

कंपनी की प्रबंधन टीम एसईसीएल और इरकॉन से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के साथ निम्नानुसार कार्य कर रही है :

क्रमांक	नाम	पद	से प्रतिनियुक्ति पर
1	श्री रवि वल्लूरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	सीईआरएल द्वारा संविदात्मक नियुक्ति।
2	श्री नरेंद्र बोंद्रे	मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ)	इरकॉन
3	श्रीमती प्रियंका तन्ना	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	एसईसीएल
4	श्री आनंद अमृतराज जोसेफ	कंपनी सचिव (सीएस)	एसईसीएल

21. शेयरधारकों को सूचना

कंपनी के वार्षिक खाते और संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी के शेयरधारकों और होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी। कोई भी शेयरधारक, जो किसी भी समय ऐसी कोई भी जानकारी चाहता है, वह किसी भी कार्यदिवस में कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सीएसआईडीसी कमर्शियल कम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड, रायपुर चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ़ में उसका निरीक्षण कर सकता है।

22. सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना और उसके निपटान के आँकड़े इस प्रकार हैं :

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	शून्य
2	वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या	शून्य

23. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत, निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्म को वित्तीय वर्ष 2024-25, अर्थात् 01.04.2024 से 31.03.2025 तक, कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है :

मेसर्स सिंगल एंड सेवक,

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,

फर्म पंजीकरण संख्या 011501सी

311-312, द्वितीय तल, एस्के प्लाजा,

आनंद टॉकीज के पास, रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

24. आंतरिक लेखा परीक्षा

मेसर्स एसपीजेवी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के जुलाई, 2023 से मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए आपकी कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है ताकि कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किया जा सके।

आंतरिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर, जहाँ भी आवश्यक हो, कंपनी द्वारा उपयुक्त और सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

25. सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मेसर्स एम एंड के एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, हैदराबाद द्वारा की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है।

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों और कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई आपत्तियों, आरक्षणों या प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरणों पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को छोड़कर, लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई :

i. सतर्कता तंत्र की स्थापना -

बोर्ड द्वारा उपयुक्त स्पष्टीकरण/टिप्पणियाँ खंड संख्या 36 में दी गई हैं;

iii. आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना

बोर्ड द्वारा उपयुक्त स्पष्टीकरण/टिप्पणियाँ खंड संख्या 43 में दी गई हैं;

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q), धारा 143(3)(i) के अंतर्गत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(iii) के साथ पठित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में जानकारी

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। नियंत्रणों को उचित लेखा अभिलेखों के रखरखाव, कंपनी की नीतियों के पालन सहित उसके व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने तथा वित्तीय एवं परिचालन संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के संबंध में आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित) की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एसईसीएल (होलिंग्स कंपनी) द्वारा निर्धारित क्रय नियमावली, अनुबंध प्रबंधन नियमावली, सिविल इंजीनियरिंग कार्य नियमावली के रूप में नीति का पालन किया जाता है, जिसमें खरीद और अनुबंधों (अन्य रेलवे निर्माण मामलों के लिए) के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q), धारा 143(3)(i) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(vii) के अंतर्गत नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सारवान आदेशों के संबंध में जानकारी, जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और सारवान आदेश पारित नहीं किया गया, जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

29. स्वतंत्र इंजीनियर

एक्ज्यूटीव् इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी को 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया गया है ताकि वह कंपनी के पूर्वी रेल गलियारा परियोजना के लिए रियायत समझौते के अनुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सके। कंपनी रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

30. निदेशक मंडल

सीईआरएल के निदेशक मंडल में 7 (सात) निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष और एसईसीएल के नामित 2 (दो) निदेशक, इस्कॉन के नामित 2 (दो) निदेशक, सीएसआईडीसीएल के नामित 1 (एक) निदेशक और रेल मंत्रालय (एमओआर) के नामित 1 (एक) निदेशक।

30.1 31.03.2025 तक निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार	निदेशक (संचालन), एसईसीएल	26.07.2024 (अध्यक्ष के रूप में) 30.03.2024 (निदेशक के रूप में)
2	श्री बिरंची दास, निदेशक (मानव संसाधन)	एसईसीएल निदेशक	26.07.2024
3	श्री दारला सुनील कुमार	निदेशक (वित्त), एसईसीएल निदेशक	26.07.2024
4	श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक (वित्त), इरकॉन निदेशक	01.06.2022
5	श्री ए.के. सिंह	निदेशक (परियोजना), इरकॉन निदेशक	20.07.2023
6	श्री विश्वेश कुमार	प्रबंध निदेशक (सीएसआईडीसीएल) निदेशक	26.09.2024
7	श्री प्रिया रंजन पारही	कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना- I), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय निदेशक	09.05.2022

30.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया :

30.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया :

क्रमांक	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1	श्री बिरंची दास, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल	निदेशक	26.07.2024
2	श्री दारला सुनील कुमार, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	निदेशक	26.07.2024
3	श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक (सीएसआईडीसीएल)	निदेशक	26.09.2024

30.3 परीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक पद में नहीं रहे :

क्र.सं.	नाम	पद	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
1	श्री जी. श्रीनिवासन, पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल	निदेशक	30.06.2024	सेवानिवृत्ति पर
2.	श्री एस.एन. कापड़ी, पूर्व निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल	निदेशक	26.07.2024	नामांकन पर
3.	श्री ए.पी. पलानीसामी, पूर्व प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	निदेशक	26.09.2024	नामांकन पर

कंपनी, श्री जी. श्रीनिवासन, पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल, श्री एस.एन. कापड़ी, पूर्व निदेशक (तकनीकी), संचालन, एसईसीएल और श्री ए.पी. पलानीसामी, पूर्व प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं को स्वीकार करती है तथा उनके योगदान की प्रशंसा करती है।

31. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31.1 31.03.2025 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना इस प्रकार है :

क्रमांक	नाम	पद	से प्रतिनियुक्ति पर
1	श्री रवि वल्लूरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	सीईआरएल द्वारा संविदात्मक नियुक्ति।
2	श्रीमती प्रियंका तन्ना	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	एसईसीएल
3	श्री आनंद अमृतराज जोसेफ	कंपनी सचिव (सीएस)	एसईसीएल

32. बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बारह (12) बैठकें हुईं। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समय	बैठक का स्थान
छिहत्तर	17.04.2024	सुबह 11:30 बजे	बिलासपुर
ससत्तर	18.05.2024	सुबह 11:00 बजे	बिलासपुर
अड़त्तर	26.06.2024	सुबह 11:30 बजे	बिलासपुर
उन्यासी	17.07.2024	सुबह 11:30 बजे	बिलासपुर
अस्सी	31.07.2024	सुबह 11:00 बजे	बिलासपुर
इक्यासी	07.10.2024	दोपहर 1:30 बजे	बिलासपुर
बयासी	11.10.2024	शाम 4:00 बजे	बिलासपुर
तिरासी	08.01.2025	दोपहर 3:30 बजे	रायपुर
चौरासी	17.02.2025	सुबह 11:00 बजे	बिलासपुर
पचासी	24.03.2025	सायं 5:00 बजे	बिलासपुर
चौरासी	25.03.2025	सायं 5:30 बजे	बिलासपुर

33. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के अंतर्गत दी गई छूट के मद्देनजर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

34. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों के अनुसार, "लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे"।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

चूँकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

35. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुसार, "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे"।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

चूँकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसलिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

36. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत सतर्कता तंत्र

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती। चूँकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है, इसलिए लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं होता।

नियम, 2014 के नियम 7 (कंपनी बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) के उप-नियम 3 के अनुसार, बोर्ड सतर्कता तंत्र के उद्देश्य से एक निदेशक को नामित करने की प्रक्रिया में है, जिसे अन्य निदेशक और कर्मचारी अपने मामलों की सूचना दे सकें।

37. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व)(सीएसआर) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में, 24.07.2021 को आयोजित 50वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

यह समिति आगामी वित्तीय वर्षों में सीएसआर नीति तैयार करेगी और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को क्रियान्वित करेगी।

कंपनी ने अब तक घाटा दर्ज किया है। तदनुसार, सीएसआर व्यय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है।

37.1 31.03.2025 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है -

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	समिति सदस्य
2.	श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना-I), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	समिति सदस्य

37.2 निम्नलिखित व्यक्ति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे :

क्रमांक	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री जी. श्रीनिवासन, पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल समिति अध्यक्ष 30.06.2024		सेवानिवृत्ति

सीईआरएल बोर्ड ने 08.04.2025 को आयोजित अपनी 87वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया है और आज की तिथि के अनुसार सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार,	निदेशक (संचालन), एसईसीएल समिति अध्यक्ष
2.	श्री ए.के. सिंह,	निदेशक (परियोजना), इरकॉन समिति सदस्य
3.	श्री प्रिया रंजन पारही,	कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना-प), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय समिति सदस्य

37.3 बैठक की उपस्थिति:

कंपनी ने अब तक घाटा दर्ज किया है। तदनुसार, सीएसआर व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

39. बैंकर का नाम और पता

क्रमांक	नाम	शाखा का पता
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	ऊर्जानिधि, 1, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001।
2.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।	कॉर्पोरेट वित्त शाखा, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।
3.	भारतीय स्टेट बैंक,	सुंदरनगर शाखा, रायपुर - 492013, छत्तीसगढ़

40. धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, केंद्र सरकार को रिपोर्ट किए जाने योग्य धोखाधड़ी के अलावा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

41. जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिम प्रबंधन नीति लागू है जो कंपनी को कंपनी के आंतरिक और बाह्य जोखिमों का सक्रिय रूप से ध्यान रखने और सुचारु व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति यह सुनिश्चित करती है कि उसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम अनावृत्तियों को उचित रूप से कवर किया जाए, सभी अनुपालन जोखिमों को कवर किया जाए और कंपनी की व्यावसायिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाए। निदेशक मंडल, नीतियों का निर्णय लेता है और कंपनी को किसी भी प्रकार के जोखिमों से बचाने के लिए उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

42. अनुशंगियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई अनुशंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

43. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

बोर्ड कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के नियम 13(a) के अनुसार यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

सूचित किया जाता है कि बोर्ड को वर्ष 2024-25 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

44. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष विवरण दिया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- निदेशकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे 'चालू व्यवसाय' के आधार पर तैयार किए थे;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रही थीं।

45. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुबंध-III** में दी गई है।

46. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कंपनी (प्रबंधकीय कार्यों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

47. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने परियोजना के रुपया सावधि ऋण वित्तपोषण हेतु ऋणदाताओं के साथ निष्पादित महत्वपूर्ण वित्तपोषण दस्तावेजों में से एक, सामान्य ऋण समझौते के अनुपालन में कंपनी की रेटिंग प्रक्रिया के लिए एक्यूटरेटिंग एंड रिसर्च को नियुक्त किया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ए- (1) रेटिंग प्रदान की गई है।

48. वार्षिक विवरणी की प्रति

वार्षिक देयता (फॉर्म एमजीटी-7 में) स्वामित्व कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबलैंक नीचे दिया गया है:
http://secl_cil-in

49. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लंबित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की स्थिति

31.03.2025 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कोई भी लेखापरीक्षा अनुच्छेद लंबित नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर 'शून्य टिप्पणी' जारी की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है।

50. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक-प्ट के रूप में संलग्न हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर 'शून्य टिप्पणी' जारी की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है।

51. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

52. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव करने की आवश्यकता नहीं है।

53. कॉर्पोरेट प्रशासन :

कंपनी का प्रबंधन सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी, कंपनी अधिनियम और सूचीबद्धता समझौतों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन करती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

53.1 कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए "कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट", जो कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है, बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-VI के रूप में संलग्न है।

53.2 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के खंड 7.5 के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और प्रदर्शन पर एक "प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-VII के रूप में संलग्न है।

54. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

55. वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण, साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आपकी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हो।

56. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं हुआ।

57. आभार

आपके निदेशक, कंपनी की प्रगति के लिए कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त

सहयोग, बहुमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक, रेल गलियारे के विकास के लिए समय-समय पर दी गई सहायता और सहयोग के लिए रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर के स्थानीय प्रशासन के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं और उनके निरंतर समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण, बैंकों के संघ के भी आभारी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान किया है।

आपके निदेशकगण, प्रबंधन पर निरंतर समर्थन और विश्वास बनाए रखने के लिए सभी शेयरधारकों को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएँ देते हैं। आपके निदेशकगण, सभी स्तरों पर कार्यरत पेशेवर कर्मचारियों और सहयोगियों की घनिष्ठ टीम द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जिसने कंपनी की निरंतर प्रगति और विकास को सुगम बनाया है।

58. परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं :

- 58.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के अनुबंध-I में दी गई है।
- 58.2 कंपनी की "सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के अनुबंध-II में दी गई है।
- 58.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।
- 58.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दी गई है।
- 58.5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुबंध-V में दिया गया है।
- 58.6 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए "कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट", कार्यरत कंपनी सचिव के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित, इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-VI के रूप में संलग्न है।
- 58.7 डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के खंड 7.5 के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और निष्पादन पर एक "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-VII के रूप में संलग्न है।

दिनांक : 01.08.2025
स्थान : रायपुर

छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षरकर्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
दिनांक : अध्यक्ष
स्थान : रायपुर डीआईएन : 10497933

अनुलग्नक-अ
फार्म क्र. ए.ओ.सी. - 2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ह) के लिए और कंपनियों के नियम 8 (2) (लेखा) नियम, 2014)

कंपनी द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे अंतिम उपबंध के तहत कुछ शाखा की विस्तार के लेन-देन शामिल हैं।

1. हाथ की लंबाई के आधार पर अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

अ)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	निरंक
ब)	अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	निरंक
स)	अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	निरंक
द)	यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें	निरंक
इ)	ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	निरंक
फ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	निरंक
ज)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	निरंक
ह)	वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक था	निरंक

2. हाथ की लंबाई के आधार पर सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

(अ)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (महत्वपूर्ण प्रभाव)	
(ब)	अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	- कुछ नहीं।
(स)	अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	- कुछ नहीं।
(द)	यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें	- कुछ नहीं।
(इ)	ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	- कोई नहीं।
(फ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	- शून्य
(ग)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	- शून्य
(ह)	वह तिथि जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा के तहत पहले 188 अंतिम आदेश के तहत आवश्यक था	- लागू नहीं

छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता/-

(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)

दिनांक : अध्यक्ष

दिनांक : 01.08.2025

स्थान : रायपुर

स्थान : रायपुर डीआईएन : 10497933

अनुलग्नक-ब
फार्म क्र. एम.आर.3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

प्रति,

सदस्यगण,
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
महादेव घाट रोड, रायपुर चौक
रायपुर-492013, छत्तीसगढ़

हमने मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय समीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया। कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 (लेखापरीक्षा अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र विद्यमान हैं, जो इस प्रकार और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं :

हमने मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड द्वारा समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जाँच की है, जोकि 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार है :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम,
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी के संबंध में;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :
क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

च. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; और अन्य लागू कानून : जैसे

- (6) प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य कानून।
- संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882
 - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
 - भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
 - विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963
 - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
 - अन्य सभी सामान्य कानून

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है : भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

1. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा किए जाने वाले निम्नलिखित फॉर्म/रिटर्न देरी से दाखिल किए हैं :
कंपनी ने तीन डीआईआर-12 फॉर्म देरी से दिनांक 05.12.2024, 05.12.2024 और 21.05.2024 को दाखिल किए हैं, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्रमशः 26.09.2024, 26.09.2024 और 30.03.2024 को प्रभावी तिथि तक दाखिल किया जाना था।
2. 31.03.2025 तक कंपनी का संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के साथ कुल ऋण जोखिम (सुरक्षित ऋण) रु. 25,46,76,86,286.67 /- है
3. वर्ष (2024 - 2025) के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन और विदेशी मुद्रा निरंक है।
4. कंपनी की कुल संपत्ति 57209.86 लाख रुपये है और तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कंपनी पर लागू होते हैं।
हालाँकि, कंपनी वर्तमान में अपना व्यावसायिक संचालन शुरू करने की प्रक्रिया में है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसे घाटा हुआ है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, कंपनी को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि औसत शुद्ध लाभ की प्रारंभिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। कंपनी की परियोजना आंशिक रूप से चालू है और इस वित्तीय वर्ष में, जो समीक्षाधीन है, परिचालन से पर्याप्त राजस्व अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
5. हम वित्तीय आंकड़ों और अनुलग्नकों से संबंधित वित्तीय लेखा परीक्षा जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इन पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ही भरोसा किया जाना है। वित्तीय विवरणों से संबंधित अवलोकन स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और अन्य अनुसूचियों में उल्लिखित हैं।
6. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत रूप से गठित है, जिसमें 3 निदेशकों का उचित संतुलन है और बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्या सात (7) है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बोर्ड मीटिंग के अनुपालन में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष में 11 बार बैठकें कीं। बोर्ड मीटिंग, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियों को कम से कम सात दिन पहले / अल्प सूचना पर शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में

सार्वक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बहुमत का निर्णय लिया जाता है और किसी भी असहमत सदस्य के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।

7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, लेखा परीक्षा समिति के गठन और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, हालाँकि कंपनी के पास लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों के समय पर अनुपालन की जाँच के लिए अनुपालन प्रबंधन प्रणाली नहीं है।

यह रिपोर्ट हमारे सम संख्या दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जानी है, जो अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते, शैकी संतानी एंड एसोसिएट्स

सीएस शैकी संतानी

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या एफ10724

CoP: 14050

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या – 4897/2023

दिनांक: 17.07.2025

यूआईडीएन- F010724G000800381

स्थान : बिलासपुर

अनुलग्नक-V
सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण,

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक

रायपुर-492013, छत्तीसगढ़

इस पत्र के साथ हमारी समता तिथि की रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

- क. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपना अभिमत देना है।
- ख. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- ग. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- घ. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- ङ. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- च. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।
- छ. हमने इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक वर्चुअल डेटा रूम के माध्यम से कंपनी के आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों का सत्यापन किया है।
- ज. कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993, (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलरिंग) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- ञ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त) विनियम, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (vi) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य कानून।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी क्रमशः बोर्ड एवं सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक-1 और सचिवीय मानक-II

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि : कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक रूप से किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 177(9) के अनुसार, कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, सतर्कता तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

बोर्ड इस प्रक्रिया में है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) नियम, 2013 के नियम 13(a) के अनुसार, यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार करना।

कृते, शैकी संतानी एंड एसोसिएट्स

सीएस शैकी संतानी
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ10724
CoP : 14050
सहकर्मि समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या - 4897/2023
दिनांक: 17.07.2025

यूआईडीएन- F010724G000800381
स्थान : बिलासपुर

अनुलग्नक-III
फार्म क्र. एम.आर.3

अनुबंध-III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

(अ) ऊर्जा संरक्षण

- क) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या उसका प्रभाव :
 लागू नहीं, क्योंकि कंपनी अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है।
- ख) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :
 लागू नहीं
- ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश :
 कंपनी ने कार्यालय भवन में ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किए हैं।

(ब) तकनीकी प्रौद्योगिकी

- (क) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास :
 लागू नहीं, क्योंकि कंपनी अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है।
- (ख) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ :
 लागू नहीं, क्योंकि कंपनी अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है।
- (ग) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)
- (a) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण : निरंक
 (इ) आयात का वर्ष : निरंक
 (ब) क्या प्रौद्योगिकी का पूर्णतः अवशोषण हो चुका है; : निरंक
 (क) यदि पूर्णतः अवशोषण नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहाँ अवशोषण नहीं हुआ है : निरंक और उसके कारण; और
 (म) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय : निरंक

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विशेष विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	पूंजी	निरंक	निरंक
2	आवर्ती	निरंक	निरंक
3	कुल	निरंक	निरंक
4	कुल कारोबार का प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	निरंक	निरंक

(स) विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा व्यय और विदेशी मुद्रा निरंक है।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(यह रिपोर्ट, हमारी दिनांक 08.04.2025 की पिछली रिपोर्ट का स्थान लेती है। यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार संशोधित की गई है, जो 10.05.2025 और 13.05.2025 को जारी लेखा परीक्षा ज्ञापन और उसके बाद 16.05.2025 को आयोजित निदेशक-स्तरीय बैठक के अनुसार है।)

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के सदस्यों के प्रति, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत कथन

हमने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के सहवर्ती वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ("इंड एस") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषयों पर जोर

1. हम स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 16 (व्यापारिक देयताएँ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने 2,268.03 लाख के "बैंक शुल्क" को मान्यता दी है, जिसमें संघीया ऋणदाताओं के साथ साझा ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार, रुपया सुविधा सावधि ऋणों पर पूर्वभुगतान प्रीमियम के लिए प्रावधान शामिल है। समझौते में पूर्व-भुगतान राशि पर 1% का पूर्व-भुगतान प्रीमियम निर्धारित है। कंपनी ने इस मामले को इंडियन बैंक (लीड बैंक) के साथ उठाया है, जिसने अपने पत्र दिनांक 15.03.2025 के माध्यम से प्रीमियम में 0.25% की कमी को मंजूरी दी है। कंपनी ने इसी तरह की कटौती के लिए अन्य संघीय ऋणदाताओं से भी संपर्क किया है, और यह मामला उनके संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के पास विचाराधीन है। तदनुसार, 31.03.2025 तक, प्रावधान की गणना इंडियन बैंक के लिए 0.25% की कम और अन्य ऋणदाताओं के लिए 1% दर के आधार पर की गई है। शेष ऋणदाताओं से अनुमोदन का परिणाम रिपोर्टिंग तिथि तक लंबित है।

2. हम स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 20 (कर्मचारी लाभ व्यय) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें अधिकारियों के वेतन के अंतर्गत रु.126.64 लाख की राशि शामिल है। इसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और इरकॉन से कंपनी में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की गई है और उन्हें कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। वर्तमान व्याख्याओं के अनुसार, ऐसी प्रतिपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन है। यह सूचित किया गया है कि इस मामले पर एसईसीएल में एक मुकदमा चल रहा है, जहाँ अपीलीय प्राधिकारी ने एक प्रतिकूल आदेश जारी किया है और मामला वर्तमान में न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। लंबित कानूनी कार्यवाही के परिणाम के आधार पर कंपनी पर जीएसटी देयता हो सकती है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

1. हम स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 14 (उधार) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें दूसरे चरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रु.13,837.40 लाख उधार लिए गए थे, जिनमें से रु.6,000.00 लाख 21.11.2024 को वितरित किए गए। 31.12.2024 तक चालू खातों में एक बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रहा, और धनराशि अस्थायी रूप से सावधि जमा में जमा रही, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज अंतर के कारण रु.26.08 लाख का शुद्ध वित्तीय घाटा हुआ। 31.12.2024 को समाप्त तिमाही के लिए हमारी सीमित समीक्षा रिपोर्ट में इस मामले

- को उजागर किया गया था। जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान सावधानी बरती है और धन उपयोग प्रथाओं में सुधार किया है।
- हम प्रबंधन द्वारा बताए गए अनुसार परियोजना में हुई महत्वपूर्ण देरी और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इनमें लागत में भारी वृद्धि, समय की अधिकता, और पूंजीगत तथा आवर्ती व्ययों के प्रबंधन में परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा, मौजूदा उधारकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त वित्तपोषण देने में अनिच्छा दिखाई गई है, खासकर अक्टूबर 2024 में मूलधन की अदायगी शुरू होने के बाद। हम यह भी देखते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने मौजूदा ऋणों का अधिग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, धन के गलत आवंटन के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी, वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण ब्याज की हानि और लागत में वृद्धि ने परियोजना को और प्रभावित किया है, जिसका परियोजना की समय-सीमा और लागत-समतुल्य लाभ प्राप्त करने की इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है।
 - हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें रु. 46.86 लाख की राशि "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत वैधानिक देय राशि के अग्रिम भुगतान के रूप में दर्शाई गई है, जिसमें पिछले वर्षों से लंबित रिफंड से संबंधित रु. 2.86 लाख शामिल हैं। हालाँकि, वित्तीय विवरणों में उक्त राशि की प्राप्ति या वसूली की स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण रूप से गलत विवरण है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी और रोकड़ प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्वतंत्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी

महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा मानकों के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि :

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

प्रकटीकरणों सहित, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, और देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम शासन प्रभारी अधिकारियों को यह विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ए' में, आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहाँ तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।

हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी के बहीखातों और अभिलेखों की ऐसी जाँचों के आधार पर, जैसा हमने उचित समझा, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक बी" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे अभिमत में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बही रखी गई है, जैसा कि उन बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है।

- (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखा-बही के अनुरूप हैं।
- (घ) हमारे अभिमत में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (च) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिन्हें अभिलेख में लिया गया है, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2025 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (छ) हमारे अभिमत में और हमारे अवलोकन के आधार पर, लेखाओं के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई आपत्ति, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणि अथवा अस्वीकरण नहीं है।
- (ज) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक सी' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- (झ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए किसी भी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की रिपोर्टिंग इस धारा के तहत निर्धारित सीमा से अधिक होने पर आवश्यक नहीं है।
- (i) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
- (ii) कंपनी ने वित्तीय वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपने वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का पर्याप्त रूप से खुलासा किया है।
- (iii) कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो संभावित हानियों के लिए, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक पर्याप्त प्रावधान किया है;
- (iv) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
- अ) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशित (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।
- ब) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों में दिए गए टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("निधिकरण पक्ष") शामिल हैं, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।
- स) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है; हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदनों में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- (v) कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।
- (vi) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के उपबंध के अनुसार, कंपनी ने अपनी लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए टैली प्राइम का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग फेसिलिटी या लॉग संपादन सुविधा) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। यह लॉग संपादन सुविधा पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए चालू रही। ऑडिट ट्रेल सुविधा नॉन-कॉन्फिगरेशन है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित की जाती है।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 22 मई 2025
यूडीआईएन- 420169BMKTCK6387

कृते, सिंघल एवं सेवक
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन संख्या: 011501सी

आर. के. प्रधान
भागीदार
सदस्यता संख्या : 420169

अनुलग्नक-अ
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

यह अनुलग्नक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के सदस्यों को भेजी गई हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- i. (क) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :
(अ) कंपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मात्रात्मक और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख रख रही है।
(ब) कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों का संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख रख रही है।
(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई।
(ग) भूमि का पट्टा विलेख और संलग्न कार्यालय भवन का हस्तांतरण विलेख कंपनी के नाम पर विधिवत निष्पादित किया गया है।
(घ) लेखा पुस्तकों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
(ङ) प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक कंपनी के विरुद्ध कोई भी 'बेनामी' संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- ii. (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों में निवेश किया है और अन्य पक्षों को असुरक्षित ऋण प्रदान किए हैं :
(क) कंपनी ने रियायत समझौते के खंड 10.1.2 के अनुसार ऋण के रूप में 33.11 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किया है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व) से रेल गलियारे के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण पर व्यय के रूप में वसूल किया जा सकता है। निम्नलिखित क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है—
अ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुशंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है, न ही कोई गारंटी दी है और न ही कोई प्रतिभूति प्रदान की है, इसलिए इस उप-धारा के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
ब. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुशंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य संस्थाओं को 33.11 करोड़ रुपये की राशि का ब्याज मुक्त अग्रिम ऋण के रूप में दिया है और परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक इन अग्रिमों का कुल समापन शेष 537.75 करोड़ रुपये है।
(ख) कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति नहीं दी है, इसलिए इस उप-धारा के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
(ग) चूँकि दिया गया अग्रिम ऋण के रूप में है, इसलिए यह ब्याज मुक्त है और रियायत समझौते की समाप्ति के बाद ही चुकाया जा सकता है, इसलिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान देय ब्याज या मूलधन के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है।
(घ) जैसा कि ऊपर पैरा (पपप) (ग) में कहा गया है, चूँकि ऋण की अवधि के दौरान कोई मूलधन/ब्याज देय नहीं है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(ङ) जैसा कि लेखा बहियों से सत्यापित है, वर्ष के दौरान देय ऋण के रूप में किसी भी ऋण या अग्रिम का नवीनीकरण या विस्तार नहीं किया गया है या समान पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को चुकाने के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।
(च) कंपनी ने ऋण के रूप में कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो 'मांग पर चुकाने योग्य' हो या बिना किसी शर्त या अवधि-पुनर्भुगतान निर्दिष्ट किए हो।
- iv. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, इसलिए यह लागू नहीं है।

- v. कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है; इसलिए धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के कोई भी प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- vi. कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- vii. (क) कंपनी के लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों से सत्यापित, कंपनी आयकर, उत्पाद एवं सेवा कर और अन्य वैधानिक देय राशियों सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशियाँ नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों को जमा करती है। इसके अलावा, कंपनी में कार्यरत कर्मचारी या तो एसईसीएल या इस्कॉन से प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए रोजगार संबंधी वैधानिक दायित्व का ध्यान मूल कंपनियों द्वारा रखा जा रहा है।
(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी पर किसी भी विवाद के कारण उप-खंड (d) में उल्लिखित वैधानिक देय राशियों के विरुद्ध कोई लंबित देयता नहीं है।
- viii. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी लेनदेन को 'आय' के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।
- ix. (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी चुकाने या उस पर ब्याज का भुगतान करने में चूक नहीं की है।
(ख) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा 'जानबूझकर चूककर्ता' घोषित नहीं किया गया है।
(ग) खातों की पुस्तकों की समग्र जाँच से पता चला है कि कंपनी द्वारा सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि उसी उद्देश्य के लिए लागू की गई है जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।
(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(ङ) कंपनी की कोई अनशंगी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(च) कंपनी की कोई अनुशंगी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) या अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमाम्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है।
- xi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
(ख) लेखापरीक्षा के दौरान, हमें धोखाधड़ी का कोई ऐसा मामला नहीं मिला है जिसके लिए कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत केंद्र सरकार को धारा 143 (12) के अनुसार फॉर्म एडीटी-4 में रिपोर्ट करना आवश्यक हो;
(ग) हमारी लेखापरीक्षा और प्रबंधन द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी विसलब्लोअर द्वारा कंपनी या प्रबंधन के विरुद्ध शिकायत का कोई मामला सामने नहीं आया है।
- xii. चूंकि कंपनी एक अनिधि कंपनी नहीं है, इसलिए खंड पपप के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- xiv. (क) हमारी राय में और दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;
(ख) अपनी लेखा परीक्षा के दौरान, हमने कंपनी के खातों पर अपनी राय बनाते समय आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विधिवत विचार किया है।
- xv. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) लागू नहीं माना जाता है।
- xvi. हमारी राय में और दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1। के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3 के उपखंड (xvi) के (a), (इ), (ब) और (क) कंपनी पर लागू नहीं माने जाते।

- xvii. कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में 12,005.16 लाख रुपये और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 15,421.53 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।
- xviii. चूंकि वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कथन करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कथन करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में देय होने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा चुका दी जाएंगी।
- xx. चूंकि कंपनी को पिछले तीन वर्षों से कोई लाभ नहीं हुआ है, इसलिए उसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

स्थान: रायपुर
दिनांक: 22 मई 2025
यूडीआईएन- 25420169BMKTCK6387

कृते, सिंघल एवं सेवक
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन संख्या: 011501सी

आर. के. प्रधान
भागीदार
सदस्यता संख्या : 420169

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए निर्देश

क्र.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षक का उत्तर
01	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का उल्लेख किया जा सकता है।	कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए टैली प्राइम का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करने की सुविधा) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। यह लॉग संपादित करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष चालू रही। ऑडिट ट्रेल सुविधा, नॉन-कॉन्फिगरिबल है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड रखने की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित की जाती है। आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया का खातों की अखंडता पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
02	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या डेट/ऋण/ब्याज आदि को माफ/निरस्त करने का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावर फाइनेंस लिमिटेड से संघीय ऋणदाताओं के मौजूदा सावधि ऋण का पुनर्वित्त किया है। पीएफसी ने सीईआरएल चरण-1 परियोजना के लिए 3166.68 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है, साथ ही 31.03.2028 का अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि (एससीओडी) और 350.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा भी प्रदान की है। कंपनी ने 28.03.2025 को नई दिल्ली में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ वित्तपोषण दस्तावेज़ निष्पादित किए हैं।	सभी संघीय ऋणदाताओं के ऋण खातों में बकाया राशि का भुगतान पीएफसी द्वारा 29.03.2025 को पूर्व भुगतान कर दिया गया था। तदनुसार, कंपनी द्वारा भविष्य में संघीय ऋणदाताओं को पूर्व भुगतान शुल्क के रूप में 2268.03 लाख रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और इस मामले का लेखा-जोखा लेखा-जोखा बही में उचित रूप से दर्ज किया गया है।
03	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि का उनकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा - जोखा / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 22 मई 2025
यूडीआईएन- 25420169BMKTC6387

कृते, सिंघल एवं सेवक
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन संख्या: 011501सी

आर. के. प्रधान
भागीदार
सदस्यता संख्या : 420169

अनुलग्नक-स लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-सी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2025 तक छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी ("गाइडेंस नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना जाता है, के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू, दोनों के अनुसार की। इन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणियों के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित हैं और क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो :

- (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी के लेन-देन और परिसंपत्तियों के निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 22 मई 2025
यूडीआईएन- 25420169BMKTCK6387

कृते, सिंघल एवं सेवक
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन संख्या: 011501सी

आर. के. प्रधान
भागीदार
सदस्यता संख्या : 420169

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(जे.एस. करापे)

स्थान: रांची

दिनांक: 04.06.2025

महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात)

रांची

अनुलग्नक-VI कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और नीतियों के एक नैतिक ढाँचे पर जोर देता है, जिसमें शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्थायी आधार पर मूल्यों और व्यावसायिक संचालन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता शामिल है। इसका उद्देश्य शेयरधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, नियोक्ताओं, समग्र समुदाय और सरकार सहित प्रत्येक हितधारक के हितों की रक्षा करना है। वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम ("डीपीई दिशानिर्देश") के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देश, सभी सीपीएसई को आवश्यक अनुपालन के लिए अनिवार्य बनाते हैं। कंपनी न केवल डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि हितधारकों के हितों को बढ़ाने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता प्रदान करने के लिए ढाँचे से आगे बढ़ने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की विचारधारा :

कंपनी के भीतर, यह माना जाता है कि सभी हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए सुदृढ़ शासन पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं। यह संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की समग्र प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और निरंतर विकास का प्रमुख चालक है, जो हमें अपनी सफलता को मापने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। कार्य संस्कृति, नीतियाँ और नैतिकता एक मजबूत मंच प्रदान करती हैं जो मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़ाव को दर्शाती है।

कंपनी की दक्षता और विकास सुदृढ़ सिद्धांतों और सुशासन पद्धतियों को अपनाने से उत्पन्न होता है। नीतियाँ और व्यावसायिक रणनीतियाँ बनाते समय, निदेशक मंडल निष्पक्षता, पारदर्शिता, गोपनीयता और सत्यनिष्ठा का ध्यान रखते हुए प्रत्येकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। 'ई' के तीन स्तंभ - नैतिकता (इथिक्स), ऊर्जा (एनर्जी) और दक्षता (इफिसिएंसी) - व्यवसाय संचालन में तालमेल बनाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक मंडल की संख्या 3 (तीन) निदेशकों से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक या सरकार द्वारा नामित निदेशक हो सकते हैं।

2.2 बोर्ड की संरचना :

कंपनी के निदेशक मंडल में 7 (सात) निदेशक होते हैं, अर्थात् अध्यक्ष और एसईसीएल के नामित 2 (दो) निदेशक, इरकॉन के नामित 2 (दो) निदेशक, सीएसआईडीसीएल के नामित 1 (एक) निदेशक और रेल मंत्रालय के नामित 1 (एक) निदेशक।

31.03.2025 तक निदेशक मंडल की संयोजन निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, एसईसीएल	अध्यक्ष	26.07.2024
2	श्री बिरंची दास, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल	निदेशक	26.07.2024
3	श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक वित्त, एसईसीएल	निदेशक	26.07.2024
4	श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन	निदेशक	01.06.2022
5	श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	निदेशक	20.07.2023
6	श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	निदेशक	26.09.2024
7	श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना-I), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	निदेशक	09.05.2022

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना	एसईसीएल अध्यक्ष	26.07.2024
2	श्री बिरंची दास, निदेशक (मानव संसाधन)	एसईसीएल निदेशक	26.07.2024
3	श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक वित्त	एसईसीएल निदेशक	26.07.2024
4	श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक	सीएसआईडीसीएल निदेशक	26.09.2024

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक नहीं रहे :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	समाप्ति की तिथि/टिप्पणिया
1	श्री जी. श्रीनिवासन, निदेशक (वित्त), एसईसीएल 01.10.2023 से प्रभावी निदेशक	30.06.2024	सेवानिवृत्ति पर
2.	श्री एस.एन. कापड़ी, निदेशक (तकनीकी), संचालन, एसईसीएल निदेशक	26.07.2024	सेवानिवृत्ति पर
3.	श्री ए.पी. पलानीसामी, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल निदेशक	26.09.2024	नामांकन पर

2.3 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल :

अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष है। अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तिथि तक या प्रवर्तक कंपनियों/रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत दी गई छूट के मद्देनजर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशक :

श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, एसईसीएल, श्री बिरंची दास, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल, श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक वित्त, एसईसीएल और श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

3.0 बोर्ड बैठकें :

निदेशक मंडल सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के समग्र कार्यों की देखरेख करता है। बोर्ड की प्रक्रियाओं और सभी संबंधित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है।

3.1 निदेशक मंडल की भूमिका :

बोर्ड की प्राथमिक भूमिका कंपनी को रणनीतिक दिशा-निर्देश देकर शेयरधारक मूल्य की रक्षा और वृद्धि करने हेतु ट्रस्टीशिप (न्यासित्व) की है। ट्रस्टी के रूप में, बोर्ड की यह न्यासीय जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कंपनी के स्पष्ट लक्ष्य शेयरधारकों के मूल्य और उसकी वृद्धि के अनुरूप हों। बोर्ड अपने कर्तव्यों का निर्वहन सावधानी, कुशलता और परिश्रम के साथ करता है, और स्वतंत्र निर्णय लेता है। यह रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करता है और उनकी पूर्ति के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश और नियंत्रण भी प्रदान करता है कि कंपनी का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति हो।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बारह (11) बैठकें हुईं। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समय	बैठक का स्थान
छिहत्तर	17.04.2024	सुबह 11:30 बजे	बिलासपुर
ससत्तर	18.05.2024	सुबह 11:00	बजे बिलासपुर
अष्टत्तर	26.06.2024	सुबह 11:30 बजे	बिलासपुर
उन्यासी	17.07.2024	सुबह 11:30 बजे	बिलासपुर
अस्सी	31.07.2024	सुबह 11:00 बजे	बिलासपुर
इक्यासी	07.10.2024	दोपहर 1:30 बजे	बिलासपुर
बयासी	11.10.2024	शाम 4:00 बजे	बिलासपुर
तिरासी	08.01.2025	दोपहर 3:30 बजे	रायपुर
चौरासी	17.02.2025	सुबह 11:00 बजे	बिलासपुर
पचासी	24.03.2025	शाम 5:00 बजे	बिलासपुर
छियासी	25.03.2025	शाम 5:30 बजे	बिलासपुर

3.2 निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है :

क्र.	निदेशकों का नाम	बोर्ड की बैठक आयोजित संबंधित कार्यकाल के दौरान	की संख्या बोर्ड की बैठक में भाग लिया	31-03-2024 को अन्य कंपनियों में निदेशक पद	कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यात्मक निदेशक					
1	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, एसईसीएल	11	11	2	लागू नहीं
2	श्री बिरंजी दास, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल	8	7	2	लागू नहीं
3	श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक वित्त, एसईसीएल	8	7	3	लागू नहीं
4	श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन	11	10	7	लागू नहीं
5	श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	11	7	5	हाँ
6	श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	6	4	2	लागू नहीं
7	श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना- I), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	11	4	9	हाँ
8	श्री जी. श्रीनिवासन, निदेशक (वित्त), एसईसीएल 01.10.2023 से प्रभावी	3	3	लागू नहीं	हाँ
9	श्री एस.एन. कापरी, निदेशक (तकनीकी), संचालन, एसईसीएल	4	4	लागू नहीं	हाँ
10	श्री ए.पी. पलानीसामी, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	5	1	लागू नहीं	लागू नहीं

बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद पर नहीं है। इसके अलावा, उनमें से कोई भी 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य या उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में 5 (पाँच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। 31 मार्च, 2025 तक अन्य कंपनियों में समिति पदों के संबंध में सभी निदेशकों द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

3.3 बोर्ड की कार्यवाही :

3.3.1 निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी

बोर्ड को कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी तक पूर्ण पहुँच है। बोर्ड को नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- क) वार्षिक परिचालन योजनाएँ, पूँजीगत और राजस्व बजट एवं अपडेट।
- ख) कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- ग) कंपनी के कार्यनिष्पादन की आवधिक (पेरिओडिक) समीक्षा।
- घ) लागू कानूनों के अनुपालन पर आवधिक रिपोर्ट।
- ड) वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।

- च) बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और अन्य बोर्ड समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
 छ) बड़े अनुबंधों/समझौतों का आवंटन।
 ज) निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में निदेशक पद और पद के बारे में रुचि का प्रकटीकरण।
 झ) कारण बताओ नोटिस, माँग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस जो सामग्रीगत महत्वपूर्ण हैं।
 ञ) अन्य सामग्रीगत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें किसी भी नियामक या वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन न करना शामिल है।
 ट) डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अन्य सभी मामले।

3.3.2 बोर्ड की बैठक आयोजित होने के बाद की प्रक्रिया

कंपनी सचिव, गवर्नेस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, बोर्ड की बैठक के परिणाम को आवश्यक अनुमोदनों और संबंधित प्रभागों के प्रमुखों को दिए गए अनुमतियों/प्राधिकारों के साथ प्रसारित करता है और एक पोस्ट बोर्ड बैठक/समिति बैठक अनुपालन तंत्र है जिसके द्वारा आवश्यक पालन किया जाता है। - बोर्ड/समितियों द्वारा इस प्रकार स्वीकृत अनुमोदन पर की गई/लंबित कार्यवाहियों के लिए पहले, समीक्षा और ब्योरा की जाती है।

4. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

सभी निदेशक संबंधित प्रवर्तक कंपनियों के अंशकालिक निदेशक होने के कारण कोई पारिश्रमिक देय नहीं है।

4.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक का विवरण।

क्र.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	अनुलाभ	कुल
1	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, एसईसीएल	अध्यक्ष	निरंक	निरंक	निरंक
2	श्री बिरेंची दास, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
3	श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक वित्त, एसईसीएल	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
4	श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त), इरकॉन	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
5	श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
6	श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल।	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
7	श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना-1), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
8	श्री जी. श्रीनिवासन, निदेशक (वित्त), एसईसीएल 01.10.2023 से प्रभावी	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
9	श्री एस.एन. कापड़ी, निदेशक (तकनीकी), संचालन, एसईसीएल	अध्यक्ष	निरंक	निरंक	निरंक
10	श्री ए.पी. पलानीसामी, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
11	श्री रवि वल्लूरी, सीईओ (सीईआरएल द्वारा संविदात्मक नियुक्ति। 17.04.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	26,66,496.00	निरंक	26,66,496.00
12	श्रीमती प्रियंका किरीट तन्ना, सीएफआ	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29,22,130.00	निरंक	17,86,921.92
13	श्री आनंद अमृतराज जोसेफ	कंपनी सचिव	30,97,371.70	निरंक	21,51,840.42
		कुल	86,85,997.70	0.00	86,85,997.70

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान :

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के तहत दी गई छूट को देखते हुए, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

बोर्ड को कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी तक पूर्ण पहुँच है। बोर्ड को नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- क) वार्षिक परिचालन योजनाएँ, पूँजीगत और राजस्व बजट एवं अपडेट।
 ख) कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
 ग) कंपनी के कार्यनिष्पादन की आवधिक (पिरिओडिक) समीक्षा।
 घ) लागू कानूनों के अनुपालन पर आवधिक रिपोर्ट।

4.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान :

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के तहत दी गई छूट को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

4.3 अंशकालिक आधिकारिक निदेशक/सरकारी नामित निदेशक :

कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं।

4.4 बोर्ड के सदस्यों के लिए सूचना की उपलब्धता :

बोर्ड को कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं तक, जिसमें हमारे कर्मचारियों की जानकारी भी शामिल है, अप्रतिबंधित पहुँच प्राप्त है। बोर्ड की बैठकों के लिए एजेंडा और दस्तावेज़ तैयार करते समय बोर्ड के सदस्यों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी व्यावसायिक इकाइयों में गहन और गहन सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन बैठकों में, निदेशक विभिन्न रणनीतिक और परिचालन संबंधी मामलों पर अपने सुझाव और सुझाव दे सकते हैं।

5. बोर्ड की समितियाँ :

कंपनी की एक (01) बोर्ड स्तरीय समितियाँ हैं

1. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

5.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, 24.07.2021 को आयोजित 50वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

यह समिति आगामी वित्तीय वर्षों में सीएसआर नीति तैयार करेगी और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को क्रियान्वित करेगी। कंपनी ने अब तक घाटा दर्ज किया है और तदनुसार, सीएसआर व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

31.03.2025 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है-

क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	समिति सदस्य
2.	श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना-1), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	समिति सदस्य

निम्नलिखित व्यक्ति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे :

क्र.	नाम	पदनाम	समाप्ति तिथि	टिप्पणियाँ
1.	श्री जी. श्रीनिवासन, पूर्व निदेशक (वित्त), एसईसीएल	समिति अध्यक्ष	30.06.2024	सेवानिवृत्ति

सीईआरएल बोर्ड ने 08.04.2025 को आयोजित अपनी 87वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया है और आज की तिथि के अनुसार सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (संचालन), एसईसीएल	समिति अध्यक्ष
2.	श्री ए.के. सिंह, निदेशक (परियोजना), इरकॉन	समिति सदस्य
3.	श्री प्रिया रंजन पारही, कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना-1), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	समिति सदस्य

बैठक और उपस्थिति

कंपनी ने अब तक घाटा दर्ज किया है। तदनुसार, सीएसआर व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.0 सांविधिक लेखापरीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएण्डएजी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक/शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है :

सांविधिक लेखापरीक्षक :

मेसर्स सिंगल एंड सेवक,
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
 फर्म पंजीकरण संख्या 011501सी
 311-312, द्वितीय तल, एस्के प्लाजा,
 आनंद टॉकीज के पास, रायपुर-492001, छ.ग.

7.1 सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :

क्र.	नाम	पदनाम
वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा	शुल्क रु.1,56,250.00 + जीएसटी	यात्रा व्यय, आवास, भोजन सहित जेब से किए गए व्यय (ओपीई) वास्तविक आधार पर लेखा परीक्षा शुल्क के 25% तक सीमित और ओपीई पर लागू जीएसटी देय।
30.09.2024, 31.12.2024 और 30.06.2025 को समाप्त	तिमाही के लिए अंतरिम वित्तीय विवरणों की समीक्षा प्रति तिमाही रु. 39,063.00 + जीएसटी शुल्क।	यात्रा व्यय, आवास, भोजन सहित जेब से किए गए व्यय (ओपीई) वास्तविक आधार पर लेखा परीक्षा शुल्क के 25% तक सीमित और ओपीई पर लागू जीएसटी देय।

8. वार्षिक आम बैठकें (एजीएम):

पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	तिथि	समय	सीन
11वीं एजीएम 2023-24	21.06.2024		कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, सीईआरएल, सीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, रायपुर चौक, रायपुर - 492013, छत्तीसगढ़ में।
10वीं एजीएम 2022-23	10.07.2023		कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, सीईआरएल, सीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, रायपुर चौक, रायपुर - 492013, छत्तीसगढ़ में।
9वीं वार्षिक आम बैठक	22.06.2022		कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, सीईआरएल, सीएसआईडीसी प्रातः 11:30 बजे 492013, छत्तीसगढ़ में कॉम्प्लेक्स, रायपुर चौक, रायपुर

कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 21.08.2025 को आयोजित होने वाली है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित की गई थी।

पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकों के दौरान कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

9. प्रकटीकरण :

क. महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन :

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो।

ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा अपालन, किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड, प्रतिबंध का विवरण-

कंपनी अधिनियम, 2013 "अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नलिखित के अलावा कोई अपालन नहीं किया है :

क्र.	विवरण	अपालन का विवरण
1	वित्तीय वर्ष 2024-25	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, सीईआरएल, सीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, रायपुरा चौक, रायपुर - 492013, छत्तीसगढ़ में।
2	वित्तीय वर्ष 2023-24	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, सीईआरएल, सीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, रायपुरा चौक, रायपुर - 492013, छत्तीसगढ़ में।
3	वित्तीय वर्ष 2022-23	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, सीईआरएल, सीएसआईडीसी प्रातः 11:30 बजे 492013, छत्तीसगढ़ में। कॉम्प्लेक्स, रायपुरा चौक, रायपुर

10.0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन :

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में 'सीईओ और सीएफओ प्रमाणन', कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 08.04.2025 को आयोजित अपनी 87वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया है, कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

11.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत सतर्कता तंत्र :

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है। चूंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है, इसलिए लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नियम (कंपनी बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ), 2014 के नियम 7 के उप-नियम 3 के अनुसार, बोर्ड सतर्कता तंत्र के उद्देश्य से एक निदेशक को नामित करने की प्रक्रिया में है, जिसे अन्य निदेशक और कर्मचारी अपने मामलों की सूचना दे सकें।

कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित "कोल इंडिया व्हिसल ब्लोअर नीति 2011" को सीईआरएल द्वारा अपनी उप-अनुशंगी कंपनी के रूप में कार्यान्वित किया गया है। यह नीति कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध, धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की प्रबंधन को रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। व्हिसल ब्लोअर नीति होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट 'प्लेमबस.बपसणपद' पर उपलब्ध है।

12.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न हैं।

13.0 बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के नवनिर्वाचित निदेशकों को कंपनी के विभिन्न पहलुओं जैसे संविधान, मुख्य गतिविधियाँ, बोर्ड प्रक्रियाएँ, रणनीतिक दिशाएँ आदि से परिचित कराया जाता है।

14.0 शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन (वित्तीकरण) :

कंपनी के सभी शेयर डीमैटरियलाइज़्ड मोड में हैं (1000 इक्विटी शेयरों को छोड़कर)

15.0 डिपॉजिटरी के नाम और पते निम्नलिखित हैं :

नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
 ए विंग, चौथी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड,
 कमला मिल्स कंपाउंड,
 सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल पश्चिम, मुंबई (महाराष्ट्र)

16.0 कंपनी की अनुशंगियों का विवरण और उनका स्थान : निरंक

17. संपर्क के साधन :

वेबसाइट :

कंपनी ने सभी हितधारकों के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक वेबसाइट www.cerlcewrl.cg.nic.in डेवलप की है। कंपनी वर्तमान में इस वेबसाइट को अपडेट कर रही है। इस बीच, कंपनी सभी हितधारकों के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने

हेतु अपनी होलिंग कंपनी की वेबसाइट www.secl-cil.in या www.secl.gov.in का उपयोग कर रही है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय परिणाम उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाउनलोड करने योग्य रूप में उसकी होलिंग कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ :

कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करके हितधारकों के साथ संवाद करती है।

आरटीआई :

कंपनी के पास एक ई-संरचित तंत्र है जो 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' का समर्थन करता है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अपलोड करने की प्रक्रिया में है।

18. कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन :

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सभी रिटर्न/रिपोर्ट नियामक प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय के भीतर दाखिल की गई हैं।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक अभ्यास (प्रेक्टिस) कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन : 10497933

स्थान: रायपुर

दिनांक: 01.08.2025

कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड,
महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक,
रायपुर- 492013, छत्तीसगढ़।

हमने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा 14 मई, 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम ("दिशानिर्देश") के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का पालन किया है, सिवाय इसके कि-

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार सतर्कता तंत्र की स्थापना, जिसे कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आवासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते, एम एंड के एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मनोज कुमार कोयलकर
सीपी.सं.10004
एफसीएस संख्या 9298

यूडीआईएन : -----

हैदराबाद, 30 जून, 2025

अनुलग्नक-VII
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2025 में कोयला उत्पादन 5% बढ़कर 1047.69 मिलियन टन हो गया

कोयला उत्पादन

निरंतर निवेश कार्यक्रम और आधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग पर अधिक जोर देने से, 2024-25 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन को 1047.69 मिलियन टन तक बढ़ाना संभव हो पाया है। 2023-24 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 997.83 मिलियन टन था। इस प्रकार, इसमें 5% की सकारात्मक वृद्धि हुई है। 2024-25 के दौरान कोल इंडिया का कोयला उत्पादन 0.94% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 781.08 मिलियन टन रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियाँ

- शक्ति नीति के अंतर्गत कोयला लिंकेज प्रदान किए गए : शक्ति नीति के पैरा बी (प) के प्रावधानों के अंतर्गत 9 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को कुल 5130 मेगावाट क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।
- गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत कोयला लिंकेज : एनआरएस के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत, 17.42 मीट्रिक टन (01.04.25 तक) कोयला मात्रा के लिए कोयला लिंकेज बुक किया गया था।
- तृतीय पक्ष नमूनाकरण : कोल इंडिया लिमिटेड के लिए तृतीय-पक्ष नमूनाकरण परिणामों की ग्रेड अनुरूपता वित्त वर्ष 2024-25 में 80.80% रही है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में यह 80.03% थी। ऑनलाइन गुणवत्ता निगरानी पोर्टल सहित तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी तंत्र को नया रूप दिया गया है।
- कोयला प्रेषण : देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन देखा है। कोयला आपूर्ति भी वित्त वर्ष 2023-24 के 973.009 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5.37% की वृद्धि के साथ 1025.248 मिलियन टन (अनंतिम) हो गई। वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- कोयला आयात प्रतिस्थापन पर रणनीति पत्र जारी किया गया है।
- सम्मिश्रण के लिए कोयले के आयात में 39% से अधिक की उल्लेखनीय कमी आई है (फरवरी 2025 तक)।

स्रोत : कोयला मंत्रालय Ministry of Coal (<https://coal.gov.in/sites/default/files/2025-05/22-05-2025a-wn.pdf>)

कोयला - भारतीय ऊर्जा विकल्प

कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। देश की ऊर्जा आवश्यकता का 55% हिस्सा इसी से पूरा होता है। देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयले पर आधारित है।

भारत में वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत पिछले चार दशकों में लगभग 700% बढ़ी है। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत लगभग 350 किलोग्राम तेल समतुल्य प्रति वर्ष है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। बढ़ती जनसंख्या, विस्तारित अर्थव्यवस्था और बेहतर जीवन स्तर की चाहत के कारण, भारत में ऊर्जा उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सीमित भंडार क्षमता, जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरण संरक्षण प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा की भू-राजनीतिक धारणा को देखते हुए, कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य में केंद्र बिंदु बना रहेगा।

भारतीय कोयला अगली शताब्दी और उसके बाद भी घरेलू ऊर्जा बाजार के लिए एक अद्वितीय पर्यावरण-अनुकूल ईंधन स्रोत प्रदान करता है। 27 प्रमुख कोयला क्षेत्रों में फैले कठोर कोयले के भंडार मुख्यतः देश के पूर्वी और दक्षिण-मध्य भागों तक ही सीमित हैं। (कोयला भंडार देखें)। लिग्नाइट भंडार लगभग 36 अरब टन है, जिसमें से 90% दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में पाया जाता है।



(स्रोत: कोयला मंत्रालय – <https://coal.nic.in/en/major-statistics/coal-indian-energy-choice>)

कोयला प्रबंधन अवसंरचना के संबंध में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कोयला मंत्रालय की कार्य योजना :

मशीनीकृत कोयला प्रबंधन अवसंरचना का विस्तार : प्रथम मील संपर्क

कोयला मंत्रालय ने प्रथम मील संपर्क (एफएमसी) परियोजनाओं के अंतर्गत कोयला खदानों से कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणालियों की परिकल्पना और योजना बनाई है, जो परिवहन का एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। यह सड़क परिवहन और उससे जुड़े प्रतिकूल प्रभावों, जैसे वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़, सड़क क्षति आदि को समाप्त करता है।

इससे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण, लागत (डीज़ल) की बचत और लोडिंग समय में कमी आती है, जिससे टर्नअराउंड समय कम होता है और वैगन की उपलब्धता बढ़ती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 22 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली 2 एफएमसी परियोजनाएँ चालू की गईं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एफएमसी परियोजनाओं की योजना दर्शाई गई है। निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं :

169 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली 17 परियोजनाओं का निर्माण पूरा करना आवश्यकतानुसार नई एफएमसी परियोजनाओं की पहचान।

महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएँ

कोयला मंत्रालय ने कोयला निकासी और आपूर्ति के स्थायी और तेज़ साधन के रूप में रेल और कन्वेयर द्वारा कोयला निकासी को गति दी है। इसने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना राज्यों में कोयला सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम मोड या जमा आधार पर लगभग 17000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आठ (08) महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने में सहायता की। 400 किलोमीटर लंबी पाँच (05) रेल परियोजनाएँ चालू हो चुकी हैं, जबकि शेष के वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा होने की संभावना है। कोयला मंत्रालय ने 38 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की पहचान की है। रेल मंत्रालय ने भी (ऊर्जा गलियारे के अंतर्गत) रेल परियोजनाओं की पहचान की है और कई रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं :

- (i) रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित 38 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और अन्य चिन्हित (निर्माणाधीन) रेल परियोजनाओं के निर्माण की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई।
- (ii) कोयला सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्त पोषित तीन (03) रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई।

कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति

कोयला आयात प्रतिस्थापन के लिए कोयले की निर्बाध निकासी आवश्यक है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित कोयले पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला निकासी के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिकोण के साथ 29.2.2024 को एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक नीति और योजना शुरू की है। इस रणनीतिक ढांचे का उद्देश्य वित्त वर्ष 2030 में कोयला क्षेत्र की मांग और आपूर्ति में तेजी लाना है। कोयला मंत्रालय ने कोयला लॉजिस्टिक योजना के निम्नलिखित मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है :

- (i) वित्त वर्ष 2030 तक 90% कोयले के मशीनीकृत संचालन हेतु अवसंरचना का विकास।
- (ii) रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई/क्षमता वृद्धि लाइनों के रूप में रेल अवसंरचना का विकास।
- (iii) वित्त वर्ष 2030 तक तटीय नौवहन के माध्यम से कोयले के परिवहन को बढ़ाकर 120 मिलियन टन करना।
- (iv) वित्त वर्ष 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कोयले के परिवहन को बढ़ाकर 8 मिलियन टन करना।

एसईसीएल के कोयला भंडार

01.04.2023 तक, एसईसीएल कमान क्षेत्र में कुल भूगर्भीय कोयला भंडार 90,268.82 मिलियन टन है, जिसमें से 41,083.36 मिलियन टन प्रमाणित भंडार है। एसईसीएल का कोयला भंडार महान सोन-महानदी मास्टर बेसिन में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ (सी.जी.) राज्य के 7 जिलों कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बलरामपुर और कोरिया और मध्य प्रदेश (एम.पी.) के 3 जिलों शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में फैला हुआ है। 01.04.2023 तक मध्य प्रदेश में कुल कोयला भंडार 9,494.95 मिलियन टन है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 80,773.87 मिलियन टन है।

2023 तक मध्य प्रदेश में कुल कोयला भंडार 9494.95 मीट्रिक टन है जबकि सी.जी. में यह 80773.87 मीट्रिक टन है।

क्रं.	कोयला भंडार	गहराई (मीटर)	साबित (एमटी)	सूचित (एमटी)	अनुमान लगाया (एमटी)	कुल (एमटी)
I.	मध्य प्रदेश में कोयला भंडार	0-1200	3847.01	5336.73	311.21	9494.95
II.	छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार	0-1200	37236.35	42293.97	1243.55	80773.87
	एसईसीएल में कुल कोयला भंडार (म.प्र.+छ.ग.)	0-1200	41083.36	47630.70	1554.76	90268.82

उपरोक्त में से, इसके मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में भूगर्भीय कोयला भंडार (मिलियन टन में) 49227.69 है, जो कुल भंडार का 54.53% है। यह पूर्वी रेल गलियारे के निर्माण सहित किए गए निकासी उपायों के महत्व को दर्शाता है।

कोयला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार है। वर्ष 2024-25 के लिए रेल द्वारा संचालित कोयले की मात्रा लगभग 787.58 मिलियन टन है। घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 30 तक 1,500 मिलियन टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जो 2040 तक या उससे आगे भी जारी रह सकती है। परिवहन अवसंरचना का निर्माण और लक्षित उत्पादित कोयले को उद्गम स्थल से उपभोग केंद्रों तक पहुँचाने के लिए रसद प्रबंधन देश में कोयला क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में मजबूत कोयला निकासी अवसंरचना की आवश्यकता है। विश्व कोयला बाजार की गतिशील स्थिति और 'भारतीय कोयला क्षेत्र' में तेजी से विकास को देखते हुए, कोयला रसद देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा 2017 में शुरू किए गए 'कोल विजन 2030' के अनुसार, 2030 तक घरेलू कोयले की मांग 1,300-1,900 मिलियन टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है। इतनी अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन और आवश्यक निकासी क्षमता का निर्माण चुनौतीपूर्ण है। कोयले का बड़ा हिस्सा बिजली कंपनियों और अन्य उपयोगकर्ता उद्योगों तक पहुँचाया जाना आवश्यक है। कोयला निकासी में चुनौतियाँ हैं :

- क. निवेश की कमी और रसद अवसंरचना के निर्माण में देरी
- ख. अंतर्निहित विशेषताओं के कारण कोयला रसद की उच्च लागत
- ग. वैगनों की अनुपलब्धता और रेल नेटवर्क में अवरोध
- घ. भारतीय रेलवे (आईआर) नेटवर्क पर मालगाड़ियों की कम औसत गति
- ङ. वैकल्पिक परिवहन मॉडलों द्वारा सीमित कोयला परिवहन
- च. बहु-मॉडल परिवहन में सीमित रसद योजना

- 1.2. रसद क्षेत्र को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। कोयला और खनिज खनन क्षेत्र का विकास रसद नेटवर्क की दक्षता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कोयला रसद नीति की आवश्यकता महसूस की गई।

- 1.3. कोयला रसद दक्षता अवसंरचना, सेवाओं (डिजिटल सिस्टम/प्रक्रियाएँ/नियामक ढाँचा) और मानव संसाधनों का एक कार्य है। कोयला रसद श्रृंखला में मूल्यवर्धन के लिए खदान से कोयले को पास के कोयला हैंडलिंग प्लांट या वाशरी तक ले जाना शामिल है। इसके बाद कोयले को सड़क, कन्वेयर, मेरी-गो-राउंड (एमजीआर) ट्रेन या रेल का उपयोग करके एक प्रेषण बिंदु पर ले जाया जाता है जो रेलवे साइडिंग, बंदरगाह या अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल हो सकता है।
- 1.4. इसी प्रकार, कोयले के विभिन्न उद्गम और गंतव्य (ओ-डी) के लिए ट्रंक लाइन संचलन और अंतिम मील संपर्क परिवहन के एक अलग मोड का उपयोग करके होता है। कोयला रसद श्रृंखला में शामिल विभिन्न हितधारकों से परामर्श करके नेट टन किलोमीटर (एनटीकेएम) में अपेक्षित कोयला गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है।
- 1.5. रसद दक्षता में सुधार और रसद लागत को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को अपनाया गया है। पीएम गतिशक्ति एनएमपी का उपयोग विभिन्न एजेंसियों की मौजूदा और प्रस्तावित अवसंरचना विकास पहलों के एकीकरण के लिए किया जाता है, ताकि कोयले की निर्बाध आवाजाही के लिए पहले और अंतिम मील तक संपर्क सुनिश्चित की जा सके। पीएम गतिशक्ति कोयला रसद योजना के कार्यान्वयन को पूरक और सुविधाजनक बनाएगी।

छत्तीसगढ़ पूर्वी रेल गलियारा :

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) (26%) और छत्तीसगढ़ सरकार (10%) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड का गठन मार्च, 2013 में एसईसीएल की अनुशंगी के रूप में संयुक्त उद्यम में 64% हिस्सेदारी के साथ किया गया था। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए इस रेल गलियारे को 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में अधिसूचित किया है और यह एसईसीएल के मांड-रायगढ़ कोलफील्ड्स और कोरबा कोलफील्ड्स से कोयले की निकासी की सुविधा प्रदान करेगा और इसका उपयोग माल ढुलाई और यात्री यातायात दोनों के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पूर्वी रेल गलियारा का विकास रेलवे की सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति के संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत किया जा रहा है, जहाँ रेलवे और संयुक्त उद्यम के बीच राजस्व का समान अनुपात में बंटवारा किया जाता है और इरकॉन परियोजना निष्पादन एजेंसी है जो परियोजना के संपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार है। रेल मंत्रालय ने परियोजना की आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) 14% सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक 5 वर्षों की अवधि के लिए 60% बढ़ा हुआ माइलेज स्वीकृत किया है, जिसे वित्त वर्ष 2025 में सीईआरएल चरण-I के लिए तीन वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार परियोजना लागत 3055.00 करोड़ रुपये अनुमानित है और संशोधित परियोजना लागत 3407.09 करोड़ रुपये है। परियोजना की लंबाई लगभग 125 किमी है और अनुमानित अधिकतम क्षमता 62 मिलियन टन है।

सीईआरएल द्वारा पूर्वी रेल गलियारे की प्रगति :

पूर्वी रेल गलियारा दो चरणों में पूरा होने की उम्मीद है :

- चरण-I : खरसिया से धरमजयगढ़ (0 से 74 किमी) जिसमें गारे-पेलमा ब्लॉक की खदानों को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन (31 किमी) और तीन फीडर लाइनें (20 किमी) शामिल हैं।
- चरण-II : धरमजयगढ़ से कोरबा (लगभग 62 किमी)।

चरण-I परियोजना :

1. परिचालन से प्राप्त राजस्व में 114% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2. भालुमुड़ा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन के दूसरे ब्लॉक खंड के अपरिवर्तित खंड में भूमि का कार्य पूरा हो चुका है और ट्रैक लिंकिंग का कार्य प्रगति पर है।
3. परिवर्तित खंड में निजी भूमि से संबंधित मांग का भुगतान समझौता ज्ञापन निष्पादित करने और महाजनको से रु.45.07 करोड़ की अंतर मांग प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में द.पू.म. रेलवे के माध्यम से किया गया है।
4. कैलेंडर वर्ष के दौरान एसईसीएल और इरकॉन द्वारा रु. 54.00 करोड़ की अर्ध इंचिटी डाली गई है।
5. परियोजना के वांछित आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) को बनाए रखने के लिए समीक्षा और आगे विस्तार के अधीन, रेल मंत्रालय से तीन वर्षों की अवधि के लिए 60% की बढ़ी हुई माइलेज के विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
6. सीईआरएल ने सीईआरएल टर्मिनलों के उपयोग के लिए एनटीपीसी जैसी अन्य कंपनियों के साथ चर्चा की, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई।



चरण-II परियोजना :

1. इरकॉन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 595 करोड़ रुपये मूल्य के निर्माण कार्यों, जैसे भूमि कार्य, छोटे और बड़े पुल, रोड अंडरब्रिज (आरयूबी) और स्लीपर, के लिए निविदाएँ प्रदान की गई हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना लागत पर रु. 138.56 करोड़ का व्यय किया गया है।
3. 157.035 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु चरण-II वन मंजूरी 15.03.2025 को प्राप्त हुई।

शक्ति-दुर्बलता-अवसर-खतरा विश्लेषण (SWOT) विश्लेषण शक्ति

- परियोजना पर संशोधित अनुमानित लागत का 91% से अधिक खर्च हो चुका है और निर्माण का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है।
- कोयला प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है।
- रियायत समझौते के अनुसार रेलवे द्वारा राजस्व आवंटन नियमित रूप से सीईआरएल को हस्तांतरित किया जा रहा है।
- सीईआरएल चरण-II में कार्य प्रगति पर है।
- अनुभवी कार्मिक, उत्पादक कार्य संस्कृति, सहभागी प्रबंधन और अच्छे औद्योगिक संबंध संगठनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं।

दुर्बलता

- भालुमुड़ा से डोंगामहुआ तक दूसरे ब्लॉक खंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे सीईआरएल मार्ग पर वांछित कोयला यातायात बाधित हुआ है, जिससे राजस्व सृजन प्रभावित हुआ है।
- भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी में लगने वाले समय ने निर्माण गतिविधि को प्रभावित किया है।
- स्पर लाइन के चालू होने तक परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व सृजन में चुनौतियाँ।

अवसर

एसईसीएल खदानों के अलावा स्व-उपयोगी ब्लॉकों से कोयले की निकासी और वाणिज्यिक खनन से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि सीईआरएल निकासी की सुविधा के लिए वांछित रसद अवसंरचना प्रदान करेगा। गारे पेल्मा क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन भी शुरू हो रहा है। अंबुजा सीमेंट, हिंडाल्को, सारदा एनर्जी, सीएसपीजीसीएल, महाजेनको, जिंदल, एनटीपीसी, बाल्को जैसी निजी कंपनियों ने अपने माल की आवाजाही के लिए सीईआरएल अवसंरचना का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। रेलवे द्वारा सरडेगा-भालुमुड़ा रेल लाइन के माध्यम से अतिरिक्त यातायात की भविष्य की संभावना के निर्माण को मंजूरी दी गई।

खतरा

परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए डीपीआर के अनुसार अनुमानित यातायात प्राप्त करने में देरी।
सीईआरएल में समस्थिति (ब्रेक-ईवन) प्राप्त करने में देरी।
रेलवे द्वारा अपर्याप्त संख्या में रैक की आपूर्ति।

SWOT



STRENGTH



WEAKNESS



OPPORTUNITIES



THREATS

- डीपीआर में परिकल्पित अनुमानित लागत का 96 प्रतिशत से अधिक परियोजना पर खर्च किया जा चुका है और निर्माण का पर्याप्त हिस्सा पूरा हो चुका है। - उधारदाताओं द्वारा वाणिज्यिक संचालन दिनांक 23.07.2023 घोषित किया गया है। - सीईआरएल के 6 कमीशन किए गए टर्मिनलों में से 3 माल टर्मिनलों कोरीछपर, घरघोड़ा और धरमजयगढ़ से कोयला नियमित रूप से भेजा जाता है। - रियायत समझौते के अनुसार रेलवे द्वारा नियमित रूप से राजस्व विभाजन सीईआरएल को हस्तांतरित किया जा रहा है। - सीईआरएल चरण 2 के लिए रेलवे के साथ रियायत करार निष्पादित किया गया है। - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ वित्तीय समापन प्रक्रियाधीन है। - अनुभवी कर्मचारी, उत्पादक कार्य संस्कृति, भागीदारी प्रबंधन, अच्छे औद्योगिक संबंध संगठनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं।	- भालुमुड़ा से डोंगमहुआ तक दुर्गापुर फीडर लाइन और दूसरे ब्लॉक खंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसने सीईआरएल मार्ग पर वांछित कोयला यातायात को बाधित किया है जिससे कम राजस्व उत्पन्न हुआ है। - वन निकासी में काफी समय लगने से निर्माण गतिविधि प्रभावित हुई है। - अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाना, यदि कोई हो, समय लेने वाली गतिविधि है।	- एसईसीएल खानों के अलावा कैप्टिव ब्लॉकों और वाणिज्यिक खनन से कोयले की निकासी से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा क्योंकि निकासी की सुविधा के लिए सीईआरएल वांछित लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा। गारे पेलमा सेक्टर में भी कमर्शियल माइनिंग हो रही है। - अंबुजा सीमेंट, हिंडालको, शारदा एनर्जी, सीएसपीजीसीएल, हैशटैग (फ्लाई ऐश के लिए) जैसी निजी पार्टियों ने अपने माल की आवाजाही के लिए सीईआरएल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में रुचि दिखाई है।	- परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए डीपीआर के अनुसार वांछित यातायात। - रेलवे द्वारा पर्याप्त संख्या में रैकों की समय पर आपूर्ति। - दुर्गापुर, स्पर लाइन के दूसरे ब्लॉक सेक्शन को पूरा करने में देरी, और रेलवे के निर्देशों के अनुसार निर्माण बुनियादी ढांचा जो डीपीआर में नहीं था और समय के समग्र विस्तार के कारण लागत में वृद्धि हुई है जिसे निकट भविष्य में वित्त पोषित किया जाना है परियोजना का समर्थन करने के लिए भविष्य।
--	--	--	--

यातायात संबंधी मामले

सीईआरएल परियोजना की मुख्य लाइन खरसिया से धरमजयगढ़ (0-74 किमी) सिंगल लाइन चालू हो गई है, घरघोड़ा से भालूमुड़ा (14 किमी) तक स्पर लाइन का पहला ब्लॉक खंड चालू हो गया है। खरसिया से कोरीछपर (42.569) तक अप लाइन चालू हो गई है, तीन फीडर लाइनों, यानी छाल, बरौद और दुर्गापुर में से दो फीडर लाइनें, यानी छाल और बरौद फीडर लाइन चालू हो गई हैं। केवल दुर्गापुर फीडर लाइन और भालूमुड़ा से डोंगामहुआ तक दूसरे ब्लॉक खंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल मार्ग की लंबाई के एक बड़े हिस्से के चालू होने के बाद भी सीईआरएल मार्ग पर वांछित कोयला यातायात गति प्राप्त नहीं हो पा रही है और इस प्रकार कम राजस्व उत्पन्न हो रहा है। कंपनी समझती है कि ये शुरुआती समस्याएँ हैं जिन्हें आने वाले वर्षों में कम किया जा सकता है।

भालूमुड़ा से डोंगामहुआ तक स्पर लाइन के दूसरे ब्लॉक खंड के निर्माण में तेजी लाने से महत्वपूर्ण यातायात उत्पन्न होने की उम्मीद है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, एसईसीएल (होलिडिंग कंपनी) द्वारा निर्धारित क्रय नियमावली, अनुबंध प्रबंधन नियमावली, सिविल इंजीनियरिंग कार्य नियमावली के रूप में नीति का पालन किया जाता है, जिसमें खरीद और ठेके (रेलवे निर्माण के अलावा अन्य मामलों के लिए) प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एसईसीएल की सूचीबद्ध सूची से नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से की जा रही है, जिससे सीईआरएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी लेखा परीक्षा दायरे को कवर किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी अनुशंगियों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए सीआईएल द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपाय/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट करते समय, सांविधिक लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अलग और विशिष्ट रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जिसका शीर्षक है "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट"।

- परिचालन निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा मुख्य रिपोर्ट में शामिल।
- पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन, तकनीकी संवर्द्धन, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संवर्द्धन मुख्य रिपोर्ट में शामिल।
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

चेतावनी कथन

'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' और 'बोर्ड रिपोर्ट' में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और पूर्वानुमानों आदि का वर्णन करने वाले कथन "भविष्य उन्मुख कथन" हो सकते हैं और लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में प्रगतिशील हो सकते हैं।

यहाँ दिए गए भविष्य उन्मुख कथन कुछ जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जिनके कारण वास्तविक परिणाम भविष्य उन्मुख कथनों में दर्शाए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य उन्मुख कथनों पर अत्यधिक भरोसा न करें।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 01-08-2025

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन : 10497933

नोट - 1

(क) संगठित जानकारी

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) कंपनी जिसका मुख्यालय रायपुर में है, को 25 मार्च, 2013 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जाता है, जो ईस्ट-वेस्ट रेल गलियारा (गलियारा-3) के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा आवश्यक रेल अवसंरचना विकसित करने के लिए 03 नवंबर, 2012 को एक समझौता ज्ञापन के निष्पादन के बाद किया गया है। संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रोत्साहित कंपनियों का शेयर धारिता अनुपात एसईसीएल के लिए 64 प्रतिशत, इस्कॉन के लिए 26 प्रतिशत और सीएसआईडीसीएल का प्रतिनिधित्व के लिए 10 प्रतिशत है। जेवीसी में छत्तीसगढ़ सरकार की शेयर धारकों हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि (राजस्व भूमि और वन भूमि) के मूल्य के अनुरूप होगी या 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो। यदि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का मूल्य शेयर धारकों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार और एसईसीएल की शेयर धारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित होगी। ईस्ट-वेस्ट रेल गलियारा परियोजना को रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में घोषित किया गया है और सीईआरएल को ईस्ट रेल गलियारा परियोजना के लिए रियायतकर्ता के रूप में नामित किया गया है।

कंपनी को 7 मई, 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और इसका राजस्व संचालन अभी शुरू होना बाकी है।

(ख) अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (जिसे आगे इंड एस“ कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम“) की धारा 133 के साथ पढ़ा गया है। जारी किए गए, अधिसूचित और प्रभावी किए गए इंड एस को वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से विचार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक शुरू में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

नोट-2

प्रतिशत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत मूल्यांकन आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें प्रत्येक विवरण अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत सम्मेलन आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाख रुपये में' पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्रमें परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू माना जाता है जब:

क) उसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति प्राप्त होने की उम्मीद है, या उसे बेचने या उपभोग करने का इरादा है;

ख) वह परिसंपत्ति को मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती है;

ग) उसे विवरण अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति प्राप्त होने की उम्मीद है; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है) जब तक कि परिसंपत्ति को विवरण अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू माना जाता है जब

क) उसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद है;

ख) वह देयता को मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती है;

ग) देयता का निपटान विवरण अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

घ) उसके पास विवरण अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी दायित्व की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, शेयर धारकों उपकरणों के निर्गम द्वारा उसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी दायित्वों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 राजस्व मान्यता

माल दुलाई संचालन के संबंध में राजस्व वास्तविक प्राप्ति और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) से उपलब्ध जानकारी के आधार पर मान्यता प्राप्त है, जो कंपनी और एसईसीआर के बीच निष्पादित रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त या प्राप्य उपयोगकर्ता शुल्क की पात्रता के अनुसार है और इसकी प्राप्ति के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है। किसी लेनदेन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

क) राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है

ख) यह संभावना है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे

ग) विवरण अवधि के अंत में लेन-देन के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और

घ) लेन-देन के लिए किए गए खर्च और लेन-देन को पूरा करने की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

2.4 व्यापार प्राप्य

प्राप्य कंपनी के उस राशि के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, भुगतान के देय होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)। व्यापार प्राप्य को शुरु में और बाद में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार किसी भी हानि को घटाकर परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है।

2.5 ब्याज

ब्याज प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.6 अन्य दावे

अन्य दावों (विलंबित प्राप्ति पर ब्याज सहित) का लेखा तब किया जाता है, जब प्राप्ति पर निश्चितता होती है और इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

2.7 माल सूची

दवा और दुकानतथा तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद (प्रोसेस स्ट्रैप सहित) का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। पहचाने गए अप्रचलित/अतिरिक्त/गैर-चलने वाले वस्तु के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व में लगाया जाता है।

2.8 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता प्राप्त नहीं होते जब तक कि यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और यह उचित निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्यय या लागतों को मान्यता देती है जिसके लिए अनुदानों का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को वर्तमान आय के रूप में अनुदान स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को लाभ और हानि के विवरण के भाग के रूप में 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में या भविष्य में संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें यह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान की प्रकृति में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे, पूंजी संरक्षित“ में मान्यता दी जाती है जो, शेयर धारकों के कोष“ का हिस्सा बनती है।

2.9 पट्टे

अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टा होता है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.9.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा है या नहीं। अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टा होता है यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

- (1) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है
- (2) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और
- (3) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

आरंभ तिथि पर, पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और सभी पट्टों के लिए उस तिथि पर भुगतान न किए गए पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को पहचानेगा, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मंडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टे भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे के संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापकर मापा जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को वित्तीय देयताओं शीर्षक के तहत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.9.2 पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्ति को तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है वह एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टे के भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास

पीपीई की एक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे भूमि के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

हालांकि, कंपनी की लागत पर परियोजना के लिए रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा अधिग्रहित भूमि का मूल्य रियायत अवधि की समाप्ति तक ब्याज रहित वापसी योग्य अग्रिम (ऋण) के रूप में रहेगा और इसमें अधिग्रहण की लागत, नकद पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और रियायत समझौते में प्रदान की गई परियोजना भूमि के अधिग्रहण के लिए किए गए सभी अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं। भूमि के मूल्य का उचित मूल्यांकन आईएनडी एस 113 उचित मूल्य माप के अनुसार किया जाना है। हालांकि, वर्तमान परिसंपत्ति का निर्माण और उसके अनुरूप परिशोधन वाणिज्यिक संचालन की उपलब्धि पर किया जाएगा। गैर-ब्याज-असर वाले वापसी योग्य अग्रिम के उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न ब्याज आय/हानि को वर्तमान में विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के साथ रूट किया जा रहा है। वाणिज्यिक संचालन की उपलब्धि पर, इसे लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से रूट किया जाएगा।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में शामिल हैं:

क) आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करें सहित इसका क्रय मूल्य, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद।

ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत।

ग) वस्तु को विधटित करने और हटाने और जिस स्थान पर यह स्थित है उसे बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या उस अवधि के दौरान शोध के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।

घ) योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का प्रत्येक भाग जिसकी लागत वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, अलग से मूल्यहास किया जाता है। हालांकि, मूल्य हास शुल्क निर्धारित करने में पीपीई की एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। 'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

भागों को बदलने की बाद की लागत जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, उसे वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता-हास नीति के अनुसार मान्यता-हास किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) मान्यता-हास की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, वस्त्राधिकारी भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है।

अन्य भूमि	
(पट्टे की भूमि सहित)	: परियोजना का जीवन या पट्टे की अवधि जो भी कम हो
भवन	: 30 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

मूल्यहास के उद्देश्य के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्ति की मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्य हास, जोड़ने/निपटने के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

5000/- रुपये तक की लागत वाली परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूर्ण मूल्य हास किया जाता है, जिसमें उन्हें उपयोग में लाया जाता है।

पूँजीगत पुर्जों पर मूल्यहास, पुर्जों के उपयोगी जीवन या मूल परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर, जैसा कि पुनर्मूल्यांकित किया गया है, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।

पूरी तरह से मूल्यहास की गई परिसंपत्तियां, और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियां, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट की जाती हैं और हानि के लिए उनका परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूँजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन।

कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने का चुनाव किया है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले सीएएपी के अनुसार मापा गया है।

2.11 विकास व्यय

सभी परियोजना-संबंधी व्यय जैसे सिविल कार्य, निर्माण के तहत मशीनरी, निर्माण और निर्माण सामग्री, संचालन-पूर्व व्यय, परियोजना से सीधे संबंधित व्यय और परियोजना सुविधाओं की स्थापना के लिए आकस्मिक व्यय जैसे कि वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तिथि से पहले उधार लेने की लागत, वित्तपोषण शुल्क और अन्य परामर्श शुल्क, परीक्षण चलाने का व्यय और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, भत्ते आदि विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। ये व्यय वसूली और परियोजना विशिष्ट निधियों से आय (कर के बाद शुद्ध) के शुद्ध हैं।

निदेशक मंडल, वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक और किसी भी अन्य समिति की बैठक के संचालन के संबंध में किए गए व्यय, लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय, सचिवीय, कराधान और अन्य मामलों से संबंधित परामर्शदाता और इससे संबंधित व्यय, एमसीए और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के साथ फाइलिंग शुल्क, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और सेमिनार व्यय, नियमित कार्यालय मरम्मत और रखरखाव, पुस्तकों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं और स्टेशनरी की खरीद, वार्षिक विवरण की छपाई, और अन्य नियमित कार्यालय व्यय लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किए जाते हैं।

2.1.2 वाणिज्यिक संचालन

परियोजना को राजस्व में लाया जाता है; जब रियायत समझौते के अनुसार रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा या परियोजना के लिए एमओआर/एसईसीआर के नियमों और विनियमों के अनुसार किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन के आधार पर स्थायी आधार पर राजस्व उत्पन्न करने के लिए परियोजना की वाणिज्यिक तत्परता स्थापित की जाती है, जिसमें चरण-वार प्रमाणन, यदि कोई हो, शामिल है।

राजस्व में लाए जाने पर, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत परिसंपत्तियों को रेल गलियारा नामकरण के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। रेल गलियारा को रियायत समझौते के अनुसार उपलब्ध रियायत अवधि के आधार पर राजस्व के अंतर्गत लाने के वर्ष से परिशोधित किया जाता है।

2.1.3 अमूर्त संपत्तियाँ

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। योग्य संपत्तियों के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

बाद के व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावना होती है कि खर्च की गई लागत से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब मान्यता से हटा दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आंका जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उन्हें हानि के लिए आंका जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक विवरण अवधि के अंत में की जाती है। परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक विवरण तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी कंपनियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों से संबंधित अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में लिया जाता है, जब भी व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हो, और कंपनी विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती हो और उसके पास पर्याप्त संसाधन हों।

हालांकि, उन संपत्तियों का परिशोधन जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, उन्हें विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों में मान्यता दी जा रही है।

कंपनी द्वारा कुछ गतिविधियों पर किए गए व्यय जो कंपनी की रेल प्रणाली के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं, उन्हें वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) तक निर्माणाधीन रेल गलियारा के रूप में मान्यता दी जाती है। सीओडी के पश्चात, स्टेज वार सीओडी सहित, परिसंपत्तियों को रेल गलियारा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रियायत समझौते के अनुसार उपलब्ध रियायत अवधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है। रियायत अवधि नियुक्त अवधि से 30 वर्ष की होती है। कंपनी का वाणिज्यिक संचालन अभी शुरू होना बाकी है।

2.1.4 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक विवरण अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई के उपयोग में मूल्य तथा उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो अधिक हो, वह होती है, तथा इसे एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दी जाती है और हानि हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.1.5 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या शेयर धारकों साधन को जन्म देता है।

2.1.6 वित्तीय पूंजी

2.1.6.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतें। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जब कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालांकि, व्यापार प्राप्तियां जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.1.6.2 अनुवर्ती माप

उत्तरवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण।

अन्य व्यापक आय (एफ वी टी ओ सी आई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण।

लाभ या हानि ((एफ वी टी ओ सी आई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, व्युत्पन्न और शेयर धारकों उपकरण।

अन्य व्यापक आय (एफ वी टी ओ सी आई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया शेयर धारकों उपकरण।

2.16.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन।

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.16.2.2 एफवीटीओसीएल पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफ वी टी ओ सी आई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एस पी पी आई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ वी टी ओ सी एल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरु में और साथ ही प्रत्येक विवरण तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एंड एल में पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को शेयरधारकों से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफ वी टी ओ सी एल ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में विवरण किया जाता है।

2.16.2.3 एफ वी टी पी एल पर ऋण साधन

एफ वी टी पी एल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीएल के रूप में वर्गीकरण के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीएल मानदंडों को पूरा करता है, एफ वी टी पी एल के रूप में। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफ वी टी पी एल के रूप में नामित नहीं किया है।

एफ वी टी पी एल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.16.2.4 अन्य शेयर धारकों निवेश

इंड ए एस 109 के दायरे में आने वाले अन्य सभी शेयर धारकों निवेश लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।

कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव साधन दर साधन आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

एफ वी टी ओ सी एल में वर्गीकृत शेयर धारकों यंत्र के सभी उचित मूल्य परिवर्तन, ओ सी एल में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं है। हालाँकि, कंपनी शेयर धारकों के भीतर संचयी लाभ या हानि को

सीमांतर्गत कर सकती है। ऐसे निवेशों से लाभांश को लाभ और हानि विवरण में अन्य आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

एफ वी टी पी एल श्रेणी में शामिल शेयर धारकों यंत्र को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

2.16.2.5 मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों वाली कंपनी का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से मान्यता रद्द कर दी जाती है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या

कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या किसी तीसरे पक्ष को 'पास व्यवस्था के तहत बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया हो; और या तो

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया हो, या

(ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही बरकरार रखा हो, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या पास व्यवस्था में प्रवेश कर लिया हो, तो वह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने न तो परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित किया है और न ही उसे बनाए रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी अपनी निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर प्रभाव के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि में से कम पर मापा जाता है।

2.16.2.6 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

इंड ए एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, जैसे कि ऋण, प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्तियाँ और बैंक अधिनियम।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीएल के अनुसार मापी जाती हैं।

ग) इंड ए एस 116 के तहत लीज प्राप्तियाँ।

घ) व्यापार प्राप्तियाँ या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो इंड एस 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन से उत्पन्न होता है।

कंपनी हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

व्यापार प्राप्तियाँ या अनुबंध राजस्व प्राप्तियाँ; और

भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेन-देन से उत्पन्न सभी लीज प्राप्तियाँ।

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को जमा जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक विवरण तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को पहचानता है, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही।

2.16.3 वित्तीय देयताएं

2.16.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को घटाकर।

2.16.3.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.16.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में निवेशकों उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग सन्निहित प्रतिभूति को भी व्यापार के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी सन्निहित उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.16.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब दायित्वों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं।

प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

2.16.3.5 मान्यता रद्द करना

जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता रद्द करने और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की वहन राशि, जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है, तथा हस्तांतरित की गई किसी भी गैर-नकद परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देयताओं सहित भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.16.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो शेयरधारकों उपकरण और वित्तीय देयताएं हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण उपकरण हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई परिवर्तन होता है।

व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे परिवर्तन बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण कोई गतिविधि शुरू करती है या करना बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तत्काल अगली विवरण अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि हानि या हानि सहित) या ब्याज को फिर से नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके लिए लेखांकन के तरीके को दर्शाती है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफ.व्ही.टी.पी.एल.	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी जाती है।
एफ.व्ही.टी.पी.एल.	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफ.व्ही.टी.ओ.सी.आई.	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीएल में मान्यता दी जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफ.व्ही.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीएल में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति को इस तरह मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मापा जाता था।
एफ.व्ही.टी.पी.एल.	एफ.व्ही.टी.ओ.सी.आई.	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफ.व्ही.टी.ओ.सी.आई.	एफ.व्ही.टी.पी.एल.	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओसीएल में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.16.5 वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को समेकित तुलन पत्र में विवरण दिया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार हैं और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों का एक साथ निपटान करने का इरादा है।

2.16.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐसे मापन के लिए नियोजित निवेश को देखने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

- (क) स्तर 1: निवेश समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) हैं।
- (ख) स्तर 2: के भीतर शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य निवेश जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- (ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए निवेश जो अवलोकनीय बाजार सूची (अदृश्य निवेश) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख करने की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अदृश्य निवेश, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.16.7 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्रमें नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में और हाथ में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद समकक्ष में नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ग्राहक निर्धारित के शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.17 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत को व्यय के रूप में माना जाता है, सिवाय इसके कि वे सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार हों, यानी, ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब अर्हक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती है।

कंपनी बारह महीने या उससे अधिक की अवधि को पर्याप्त समय अवधि मानती है।

दीर्घकालिक उधार के संबंध में लेन-देन की लागत को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है और उधार लेने की लागत में शामिल किया जाता है। अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

2.18 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और वर्तमान कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताए गए आयकर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं होती हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं होती हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें विवरण अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। वर्तमान कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से उत्पन्न होता है या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।

वर्तमान कर देनदारियों को सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उलटफेर को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली वर्तमान कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे। वर्तमान कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक विवरण अवधि के अंत में की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक विवरण वर्ष के अंत में अपरिचित वर्तमान कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना हो जाती है कि वर्तमान कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। वर्तमान कर परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटारा किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, जो विवरण अवधि के अंत तक लागू की गई या मूल रूप से लागू की गई कर दर (तथा कर कानूनों) पर आधारित होती है। वर्तमान कर देनदारियों तथा परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है, जो कंपनी द्वारा विवरण अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की वहन राशि वसूलने या निपटारे की अपेक्षा करने के तरीके से उत्पन्न होंगे। चालू और वर्तमान कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे शेयर धारकों में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और वर्तमान कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे शेयरधारकों में

भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या वर्तमान कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।
वर्तमान आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां तब भारपाई होती हैं जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को भारपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब वर्तमान आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां उसी कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है।

2.1.9 कर्मचारी लाभ

2.1.9.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं, जिनका वार्षिक विवरण अवधि के समाप्त होने के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटान किए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.1.9.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.1.9.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा बनाए गए राशि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.1.9.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है, यदि कोई हो। छूट दर विवरण तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब होती हैं और जो उसी मुद्रा में अंकित होती हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकित मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दरें, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएँ बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं। प्रत्येक तुलन पत्रपर एक मुंशी द्वारा अनुमानित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ प्राप्त होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भावी वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ तभी प्राप्त होता है जब यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों पर विचार करते हुए बीमांकित लाभ और हानि शामिल हैं, को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है, जिसमें योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.1.9.3 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे वस्तु शामिल हैं, जिनके वार्षिक विवरण अवधि के समाप्त होने के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, लाभ या हानि के विवरण में निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग पहचाना जाता है:

- (क) सेवा लागत।
- (ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज।
- (ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनर्मापन।

दिनांक 03.11.2012 के समझौता ज्ञापन के खंड 16 (ख) के अनुसार, वेतन, टीए/डीए आदि से संबंधित व्यय संबंधित मूल कंपनियों से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए एस ई सी एल और इस्कॉन से प्राप्त डेबिट नोट्स के आधार पर कंपनी की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। कर्मचारियों को मूल कंपनियों द्वारा परियोजना के संचालन में आने तक अल्पावधि के लिए सी ई आर एल में प्रतिनियुक्त किया जाता है और भविष्य में सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि भविष्य निधि, उपदान आदि का भुगतान मूल कंपनियों की देयता होगी और इसके प्रावधान इंड ए एस-19 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रतिनियुक्त कंपनियों द्वारा अनुपालन के अधीन हैं।

2.20 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की विवरण की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विवरण अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को विवरण अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर निर्धारित किया जाता है।

2.21 भण्डार, पूर्ण और अन्य माल सूची

अन्य व्यवसाय सहित दवा और दुकान के भंडार का मूल्य भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर निर्धारित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित दवा और दुकान के लिए 100 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए दवा और दुकान के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया जाता है।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य भौतिक है, वहाँ प्रावधानों को दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताया जाता है। सभी प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्रतिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया शेयर धारकों शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए शेयर धारकों शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही सभी तनु संभावित शेयर धारकों शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले शेयर धारकों शेयरों की भारत औसत संख्या से भी विभाजित करके की जाती है।

2.24 निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और मान्यताएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की विवरण की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और विवरण की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़ी लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके प्रभावों का वित्तीय विवरणों के नोटों में खुलासा किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल हो, जिन पर वे लागू होती हैं। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

इंड एस की अनुपस्थिति में जो विशेष रूप से किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर लागू होता है, प्रबंधन ने लेखांकन नीति विकसित करने और लागू करने में अपने विवेक का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक है और

ख) वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय है: और

- (1) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं
- (2) लेनदेन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सार को दर्शाते हैं, न कि केवल कानूनी रूप को
- (3) तटस्थ हैं, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं
- (4) विवेकपूर्ण हैं और
- (5) सभी महत्वपूर्ण मामलों में सुसंगत आधार पर पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लेता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखा मानकों में आवश्यकताएं और

(ख) रूपरेखा में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की सबसे हालिया घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारण निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, इस सीमा तक कि ये भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हैं जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में कहा गया है।

विकास की प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों की अनुपस्थिति में, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और इसमें किसी भी विकास को ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विशेष रूप से भारतीय लेखा मानक 8 में, भविष्य में हिसाब में लिया जाएगा।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन मदों पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन यह तय करने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें या मदों के समूह भौतिक हैं या नहीं। भौतिकता का निर्धारण मदों की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए भी भौतिकता के विवेक का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा अपेक्षित होने पर अलग से अमूर्त मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी रूप से चालू वर्ष में पूर्व अवधियों से संबंधित पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियाँ और चूक कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षण वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्कों के शुद्ध) के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं की शर्तों और नियमों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन और परिसंपत्ति के उचित मूल्य का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, कि यह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखती है और अनुबंधों को परिचालन पट्टे के रूप में मानती है।

2.24.2 अनुमान और मान्यताएँ

विवरण तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख मान्यताएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी मान्यताओं और अनुमानों को कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किया। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और मान्यताएँ, बाजार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन मान्यताओं में तब परिलक्षित होते हैं जब वे घटित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित मान्यताएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और जटिल तथा व्यक्तिपरक निर्णय वाले लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है तथा इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत तथा उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक है, उससे अधिक है, तो हानि का संकेत मिलता है। कंपनी हानि परीक्षण के उद्देश्य से समेकित रेल गलियारा संचार तंत्र को नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं तथा इसमें पुनर्गठन गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं, जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील होती है। विभिन्न के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ, संबंधित नोटों में प्रकट की गई हैं और आगे बताई गई हैं।

2.24.2.2 कर

वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त की जा सकने वाली वर्तमान कर परिसंपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ उपदान योजना और अन्य रोजगार-पश्चात चिकित्सा लाभों की लागत और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकित मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। बीमांकित मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक विवरण तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक विषयगत पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में केवल अंतराल पर बदलती हैं। भविष्य में वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.24.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति को पूंजीकृत करती है। लागतों का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि आमतौर पर तब होती है जब एक परियोजना विवरण तैयार की जाती है और अनुमोदित की जाती है।

31 मार्च 2025 के अनुसार तुलनपत्र				
		नोट क्रं.	(रु. लाख में)	
			31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
	संपत्ति			
(1)	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
	(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	583.56	654.75
	(ब) पूंजी कार्य प्रगति पर है		-	-
	(स) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		-	-
	(द) अमूर्त संपत्ति	4	2,12,560.88	2,21,472.67
	(इ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	4.1	81,668.23	56,894.71
	(फ) निवेश संपत्ति		-	-
	(र) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-
	(i) निगमित		-	-
	(ii) ऋण	5	5,535.48	4,803.59
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	507.53	507.53
	(ह) स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		41,741.64	36,071.58
	(ई) अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति	7	38,423.59	32,005.79
	कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (अ)		3,81,020.91	3,52,410.62
(2)	वर्तमान संपत्ति			
	(अ) अन्वेषण		-	-
	(ब) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) निगमित		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्त्य	8	2,258.01	1,150.40
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	9	642.39	3,166.69
	(iv) अन्य बैंक बचत	10	2,291.18	-
	(v) ऋण		-	-
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	131.06	232.51
	(स) वर्तमान कर निधारण (शुद्ध)		-	-
	(द) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	11	696.27	874.87
	कुल वर्तमान संपत्ति (ब)		6,018.91	5,424.47
	कुल संपत्ति (अ+ब)		3,87,039.82	3,57,835.09
	इक्विटी और देयता			
	इक्विटी			
	(अ) इक्विटी शेयर पूंजी	12	78,157.81	78,157.81
	(ब) अन्य इक्विटी	13	(20,947.95)	(8,694.42)
	इक्विटी कंपनी के इक्विटीधारकों के लिए जिम्मेदार है		57,209.86	69,463.39
	हिस्सेदारों का अवरुद्ध राशि आवंटन		-	-
	गैर नियंत्रित रुचियों		-	-
	कुल इक्विटी (अ)		57,209.86	69,463.39

31 मार्च 2025 के अनुसार तुलनपत्र				
		नोट क्रं.	(रु. लाख में)	
			31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(1)	देयताएं			
	गैर मौजूदा देनदारियों			
	(अ) वित्तीय देनदारियों			
	(i) उधार	14	3,05,367.15	2,65,508.73
	(ia) लीज देनदारियां		-	-
	(ii) व्यापार का भुगतान		-	-
	(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	15	1,912.90	1,749.12
	(ब) प्रावधान		-	-
	(स) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ		-	-
	(द) स्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (B)		3,07,280.05	2,67,257.85
(2)	वर्तमान देनदारियां			
	(अ) वित्तीय देनदारियों			
	(i) उधार	14	485.31	-
	(ia) लीज देनदारियां		-	-
	(ii) व्यापार देनदारियाँ		-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कूल बकाया राशि	16	236.06	326.89
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि	16	10,903.92	4,642.67
	(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	15	-	-
	(ब) अन्य वर्तमान देयताएँ	17	10,924.62	16,144.29
	(स) प्रावधान		-	-
	(द) कर की देनदारियां (शुद्ध)		-	-
	कुल वर्तमान देनदारियाँ (स)		22,549.91	21,113.85
	कुल इक्विटी और देयताएं (अ+ब+स)		3,87,039.82	3,57,835.09

वित्तीय वक्तव्यों के अविभाज्य भाग से समेकित टिप्पणियाँ

हस्ता/-
(आनंद ए. जोसेफ)
 कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि वल्लुरी)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(डी. सुनील कुमार)
 निदेशक
 डीआईएन: 10718694

हस्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
 अध्यक्ष
 डीआईएन: 10497933

कृते, सिंगल एंड सेवक
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 आई.सी.ए.आई एफ.आर.एन. नं. 011501सी

दिनांक: 08.04.2025
 स्थान: बिलासपुर

हस्ता/-
(सीए आर. के. प्रधान)
 (साझेदार)
 सदस्यता क्र. 420169
 यूडीआईएन : 25420169BMKTAC3593

लाभ और हानि खाता का विवरण
31 मार्च 2025 को वर्ष समाप्ति के लिए

(रु. लाख में)

		नोट नं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	संचालन से राजस्व			
अ	परिचालन से राजस्व	18	10,938.47	5,116.96
ब	अन्य ऑपरेटिंग राजस्व (नेट)		-	-
(i)	परिचालन से राजस्व (अ+ब)		10,938.47	5,116.96
(ii)	अन्य आय	19	17.34	4.13
(iii)	कुल आय (i+ii)		10,955.81	5,121.09
(iv)	खर्च			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत		-	-
	तैयार माल के आविष्कारों में परिवर्तन / प्रगति में प्रगति और व्यापार में स्टॉक		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	138.08	107.70
	संविदात्मक व्यय	21	3,276.10	3,356.88
	वित्तीय खर्च	22	20,050.45	17,533.41
	मूल्यहास / परिशोधन / हानि व्यय	3,4	8,996.66	8,859.66
	अन्य खर्च	23	302.48	339.20
	कुल व्यय (iv)		32,763.77	30,196.85
(v)	असाधारण वस्तुओं और कर (iii-iv) से पहले लाभ		(21,807.96)	(25,075.76)
(vi)	असाधारण आइटम		-	-
(vii)	कर से पहले लाभ (v-vi)		(21,807.96)	(25,075.76)
(viii)	कर व्यय	24	(5,670.07)	(15,587.96)
(ix)	निरंतर संचालन (vii-viii) से अवधि के लिए लाभ		(16,137.89)	(9,487.80)
(x)	बंद किए गए कार्यों से लाभ / (हानि)		-	-
(xi)	बंद किए गए कार्यों का कर समाप्त		-	-
(xii)	बंद परिचालन (कर के बाद) (x-xi) से लाभ / (हानि)		-	-
(xiii)	जेवी / एसोसिएट के लाभ में शेयर / (हानि)		-	-
(xiv)	अवधि के लिए लाभ (ix + xii + xiii)		(16,137.89)	(9,487.80)
	अन्य व्यापक आमदनी		-	-
	अ (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
	अन्य व्यापक आमदनी		-	-
	ब (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-

लाभ और हानि खाता का विवरण
31 मार्च 2025 को वर्ष समाप्ति के लिए

(रु. लाख में)

	नोट नं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(xv) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(xvi) अवधि (xiv + xv) के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय)		(16,137.89)	(9,487.80)
इसके कारण लाभ:			
कंपनी के मालिक हैं		-	-
अनियंत्रित ब्याज		-	-
अन्य व्यापक आय के कारण:			
कंपनी के मालिक हैं		-	-
अनियंत्रित ब्याज		-	-
कुल व्यापक आय:			
कंपनी के मालिक हैं		-	-
अनियंत्रित ब्याज		-	-
(xvii) प्रति शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए):			
(1) बुनियादी		(2.06)	(1.21)
(2) अप्रभावी		(2.06)	(1.21)
(xviii) प्रति शेयर आय (बंद किए गए संचालन के लिए):			
(1) बुनियादी		-	-
(2) अप्रभावी		-	-
(xix) प्रति शेयर आय अर्जित (बंद और निरंतर संचालन के लिए):			
(1) बुनियादी		(2.06)	(1.21)
(2) अप्रभावी		(2.06)	(1.21)

हस्ता/-
(आनंद ए. जोसेफ)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि वल्लुरी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(डी. सुनील कुमार)
निदेशक
डीआईएन: 10718694

हस्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन: 10497933

कृते, सिंगल एंड सेवक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आई.सी.ए.आई एफ.आर.एन. नं. 011501सी

दिनांक: 08.04.2025
स्थान: बिलासपुर

हस्ता/-
(सीए आर. के. प्रधान)
(साझेदार)
सदस्यता क्र. 420169
यूडीआईएन : 25420169BMKTAC3593

कैश फ्लो विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)

(रु. लाख में)

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		(21,807.96)	(25,075.76)
समायोजन के लिए :			
लंबी अवधि के उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव		-	-
फिक्स्ड एसेट्स की मूल्यह्रास / हानि और अमूर्त संपत्ति का परिशोधन		8,996.66	8,859.66
वित्तपोषण गतिविधि से संबंधित वित्त लागत		20,050.45	16,738.84
निवेश से ब्याज / लाभांश		-	-
फिक्स्ड एसेट्स की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान और लिखना		-	-
वर्तमान / गैर वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं से पहले परिचालन लाभ		7,239.15	522.74
समायोजन के लिए:			
व्यापार स्वीकार योग्य		(1107.61)	(58.10)
सूची		-	-
लघु / दीर्घकालिक ऋण / अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		9,160.82	2,581.86
लघु / दीर्घकालिक देयताएं और प्रावधान		1,114.53	8,564.79
कैश ऑपरेशन से उत्पन्न		1,914.75	6,563.77
इनकम टैक्स पेड / रिफंड		-	-
ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट कैश फ्लो	(A)	1,914.75	6,563.77
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
फिक्स्ड एसेट्स और अमूर्त संपत्ति की खरीद		(13.69)	(6,000.27)
उपयोग का अधिकार संपत्ति		-	-
बैंक डिपॉजिट में निवेश		-	-
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		(24,773.52)	(13,134.45)
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(B)	(24,787.21)	(19,134.72)

कैश फ्लो विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)

(रु. लाख में)

		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से वित्त प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना		-	884.98
शेयर आवेदन पैसा लंबित आवंटन		-	-
उधारों की चुकौती		-	-
लंबी अवधि के उधार		41,352.29	13,739.00
वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(17,174.63)	(15,241.87)
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
लाभांश और लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक		-	-
फाइनेंसिंग गतिविधियों में प्रयुक्त नेट कैश	(C)	(24,177.66)	(1,502.87)
नकद और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी)		(2,524.30)	(14,073.82)
नकद और बैंक बैलेंस (प्रारंभिक शेष राशि)		3,166.69	17,240.51
नकद और बैंक बैलेंस (समापन शेष)		642.39	3,166.69
(ब्रैकेट में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)			

कैश फ्लो विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)

(रु. लाख में)

नकद और नकद समकक्षों के घटक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(अ) बैंकों के साथ शेष		
- जमा खाते में	-	-
- चालू खाते में	642.39	3,166.69
कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 9 देखें)	642.39	3,166.69
1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैसेस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य :		
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
विवरण	गैर - चालू उधार	चालू उधार
1 अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष	2,65,508.73	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	40,866.98	485.31
गैर - नकद परिवर्तन के कारण :		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-	-
उधार पर ब्याज	2,875.80	-
विनिमय दरों में भिन्नता	-	-
उधार पर लेनदेन लागत	3,884.36	-
31 मार्च 2025 को समापन शेष	3,05,367.15	485.31
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
विवरण	गैर - चालू उधार	चालू उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष	2,54,118.60	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	5,419.00	-
गैर - नकद परिवर्तन के कारण :		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-	-
उधार पर ब्याज	5,971.13	-
विनिमय दरों में भिन्नता	-	-
उधार पर लेनदेन लागत	-	-
31 मार्च 2024 को समापन शेष	2,65,508.73	-

2. नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंडस्ट्रीज 7- 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।
संलग्न नोट संख्या 3 से 16 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हस्ता/-
(आनंद ए. जोसेफ)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि वल्लुरी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(डी. सुनील कुमार)
निदेशक
डीआईएन: 10718694

हस्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन: 10497933

कृते, सिंगल एंड सेवक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आई.सी.ए.आई एफ.आर.एन. नं. 011501सी

दिनांक: 08.04.2025
स्थान: बिलासपुर

हस्ता/-
(सीए आर. के. प्रधान)
(साझेदार)
सदस्यता क्र. 420169
यूडीआईएन : 25420169BMKTAC3593

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

अ. आवश्यकता शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	शेष राशि 01.04.2024	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2024 को पुनर्स्थापित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2025 तक
इक्विटी शेयर कैपिटल	78,157.81	0.00	78,157.81	0.00	78,157.81

विवरण	शेष राशि 01.04.2023	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 को पुनर्स्थापित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2024 तक
इक्विटी शेयर कैपिटल	78,157.81	0.00	78,157.81	0.00	78,157.81

ब. अन्य इक्विटी

विवरण	अन्य रिजर्व		समान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई		इक्विटी धारकों के कारण अन्य इक्विटी का कुल योग
	संपत्ति कोष	पूंजी मोचन रिजर्व		कर के बाद लाभ	शामिल है और आय अन्य	
01.04.2024 तक शेष राशि	4,116.89	-	-	(7,169.35)	-	(3,052.46)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,884.36	-	-	-	-	3,884.36
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
इस साल का मुनाफा	-	-	-	(16,137.89)	-	(16,137.89)
विनियोग						
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2025 तक शेष राशि	8,001.25	-	-	(23,307.24)	-	(15,305.99)

विवरण	अन्य रिजर्व		समान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई		इक्विटी धारकों के कारण अन्य इक्विटी का कुल योग
	संपत्ति कोष	पूंजी मोचन रिजर्व		कर के बाद लाभ	शामिल है और आय अन्य	
01.04.2023 तक शेष राशि	4,116.89	-	-	4,689.41	-	4,689.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
इस साल का मुनाफा	-	-	-	(11,858.76)	-	(11,858.76)
विनियोग						
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	4,116.89	-	-	(7,169.35)	-	(3,052.46)

नोट - 03
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

ब्यौरा	इमारत	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	सर्वे ऑफ एसेट्स	कुल
ले जाने वाली राशि					
1 अप्रैल 2023 तक	121.90	1,081.17	37.12	0.22	1,240.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	2.31	-	2.31
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	121.90	1,081.17	39.43	0.22	1,242.72
1 अप्रैल 2024 तक	121.90	1,081.17	39.43	0.22	1,242.72
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	13.69	-	13.69
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	121.90	1,081.17	53.12	0.22	1,256.41

संचित मूल्यहास					
1 अप्रैल 2023 तक	28.24	422.89	25.78	-	476.91
वर्ष के लिए शुल्क	4.40	102.71	3.95	-	111.06
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	32.64	525.60	29.73	-	587.97
1 अप्रैल 2024 तक	32.64	525.60	29.73	-	587.97
वर्ष के लिए शुल्क	4.40	77.03	3.45	-	84.88
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	37.04	602.63	33.18	-	672.85

संचित हानि					
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-

कुल वाहक राशि					
31 मार्च 2025 तक	84.86	478.54	19.94	0.22	583.56
31 मार्च 2024 तक	89.26	555.57	9.70	0.22	654.75

टिप्पणीयाँ :

1. भवन - अंचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर / निदेशक का कर्मचारी का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार: है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
			निरंक		

- ★ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सीईआरएल के नाम पर है और सीईडब्ल्यूआरएल के साथ संयुक्त रूप से साझा किया जाता है। ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसका स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर न हो।
2. कंपनी ने 24.07.2014 को 30 वर्षों की अवधि के लिए कार्यालय भवन के लिए सीएसआईडीसीएल के साथ एकमुश्त खरीद के आधार पर वाहन विलेख में प्रवेश किया है। कार्यालय भवन की लागत को छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से 'समान लागत हिस्सेदारी के आधार' पर कंपनी के निदेशक मंडल की पहली और चौथी बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.04.2013 और 06.01.2014 के माध्यम से साझा किया जा रहा है। अतः भवन का परिशोधन 30 वर्ष के उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कार्यालय भवन की लीज अवधि लीज अवधि की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के अधीन है।

नोट - 04
अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

ब्यौरा	रेल गलियारा	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
ले जाने वाली राशि				
1 अप्रैल 2023 तक	2,38,012.76	-	1.16	2,38,013.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,955.25	-	42.71	5,997.96
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	2,43,968.01	-	43.87	2,44,011.88
1 अप्रैल 2024 तक	2,43,968.01	-	43.87	2,44,011.88
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	2,43,968.01	-	43.87	2,44,011.88

संचित मूल्यह्रास				
1 अप्रैल 2023 तक	13,789.51	-	1.10	13,790.61
वर्ष के लिए शुल्क	8,735.07	-	13.53	8,748.60
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	22,524.58	-	14.63	22,539.21
1 अप्रैल 2024 तक	22,524.58	-	14.63	22,539.21
वर्ष के लिए शुल्क	8,898.26	-	13.53	8,911.79
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	31,422.84	-	28.16	31,451.00

संचित हानि				
1 अप्रैल 2023 तक		-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क		-	-	-
विलोपन/समायोजन		-	-	-
31 मार्च 2024 तक		-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक		-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क		-	-	-
विलोपन/समायोजन		-	-	-
31 मार्च 2025 तक		-	-	-

कुल वाहक राशि				
31 मार्च 2025 तक	2,12,545.17	-	15.71	2,12,560.88
31 मार्च 2024 तक	2,21,443.43	-	29.24	2,21,472.67

नोट - 04.1
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

(रु. लाख में)

ब्यौरा	विकासाधीन अमूर्त संपत्ति					कुल
पेसा ले जाने	एफओआईएस में अनुकूलित स्वचालित पहुंच	विकास राजस्व व्यय	निर्माण कार्य	कंसल्टेंसी शुल्क	वित्त पोषण और अन्य शुल्क	
1 अप्रैल 2023 तक	42.71	31,436.55	5,413.26	6,022.53	845.21	43,760.26
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	13,637.12	5,414.91	9.04	71.33	19,132.41
पूँजीकरण/समायोजन	(42.71)	(3,586.24)	(2,369.01)	-	-	(5,997.96)
31 मार्च 2024 तक	-	41,487.43	8,459.16	6,031.57	916.54	56,894.71
1 अप्रैल 2024 तक	-	41,487.43	8,459.16	6,031.57	916.54	56,894.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	25,604.18	17,674.26	-	109.49	43,387.93
पूँजीकरण/समायोजन	-	16,193.66	2,420.66	-	0.10	18,614.42
31 मार्च 2025 तक	-	50,897.94	23,712.77	6,031.57	1025.94	81,668.23

संचित हानि	विकास राजस्व व्यय	निर्माण कार्य	सलाहकार शुल्क	वित्त पोषण और अन्य शुल्क	कुल
ले जाने वाली राशि					
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-

टिप्पणीयाँ :

- कंपनी दो चरणों में ईस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य कर रही है, यानी खरसिया से धरमजयगढ़ तक स्पर लाइन और तीन फीडर लाइनें (चरण-I परियोजना) और चरण-II परियोजना धरमजयगढ़ से उरगा तक। रेल कॉरिडोर के विकास के लिए, कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ परियोजना निष्पादन समझौता निष्पादित किया है। इरकॉन को परियोजना निष्पादन समझौते के मापदंडों के अनुसार भूमि अधिग्रहण, व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और निर्माण कार्य करने का काम सौंपा गया है।
- रुपये 50,897.94 लाख की राशि का राजस्व व्यय परियोजना लागत के कारण है और तदनुसार लागू भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार पूंजीकृत किया गया है और प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत दिखाया गया है। प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण (संचयी और परियोजनावार) नीचे दिया गया है।

नोट - 04.1
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

टिप्पणीयाँ :

चरण-I और II परियोजना (रु. लाख में)				
विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	अवधि के दौरान जोड़	पूँजीकरण/पीएल पर प्रभारित	31.03.2025 तक शेष राशि
वेतन और मजदूरी	286.62	192.70	140.22	339.11
यात्रा खर्च	24.41	17.15	12.12	29.45
किराया, कर और कार्यालय रखरखाव व्यय	22.42	15.33	16.08	21.68
मूल्यहास और परिशोधन	54.70	0.00	0.00	54.70
अन्य व्यय	184.74	2,301.67	19.67	2,466.74
ब्यज	23,223.67	23,743.04	16,463.83	30,502.88
आयकर के लिए प्रावधान	62.19	0.00	0.00	62.19
आस्थगित उचित मूल्य हानि - IND AS	18,169.07	115.85	77.36	18,207.55
उप कुल	42,027.82	26,385.74	16,729.27	51,684.29
घटाएँ : ब्याज आय - बैंक	540.39	781.57	535.61	786.35
कुल	41,487.43	25,604.17	16,193.66	50,897.94

चरण-I परियोजना (रु. लाख में)				
विवरण	01.03.2024 तक शेष राशि	अवधि के दौरान जोड़	पूँजीकरण/पीएल पर प्रभारित	31.03.2025 तक शेष राशि
वेतन और मजदूरी	286.62	192.70	140.22	339.11
यात्रा खर्च	23.37	16.86	12.12	28.12
किराया, कर और कार्यालय रखरखाव व्यय	22.42	15.33	16.08	21.68
मूल्यहास और परिशोधन	54.70	0.00	0.00	54.70
अन्य व्यय	143.50	2,295.61	19.67	2,419.45
ब्यज	22,973.01	23,218.00	16,463.77	29,727.24
आयकर के लिए प्रावधान	62.19	0.00	0.00	62.19
आस्थगित उचित मूल्य हानि - IND AS	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	23,565.82	25,738.51	16,651.85	32,652.48
घटाएँ : ब्याज आय - बैंक	0.00	179.36	179.36	0.00
कुल	23,565.82	25,559.14	16,472.49	32,652.48

चरण-II परियोजना (रु. लाख में)				
विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	अवधि के दौरान जोड़	पूँजीकरण/पीएल पर प्रभारित	31.03.2025 तक शेष राशि
वेतन, मजदूरी और पीएफ में योगदान	-	-	-	-
अन्य भत्ते	-	-	-	-
यात्रा खर्च	1.04	0.29	0.00	1.33
किराया, कर और कार्यालय रखरखाव व्यय	0.00	-	-	0.00
मूल्यहास और परिशोधन	0.00	-	-	0.00
अन्य व्यय	41.24	6.06	0.00	47.29
ब्यज	250.66	525.04	0.00	775.64
आयकर के लिए प्रावधान	0.00	-	-	0.00
आस्थगित उचित मूल्य हानि - IND AS	18,169.07	115.85	77.36	18,207.55
उप कुल	18,461.99	647.24	77.42	19,031.81
घटाएँ : ब्याज आय - बैंक	540.39	602.21	356.25	786.35
कुल	17,921.61	45.02	(278.83)	18,245.46

नोट - 04.1
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

टिप्पणीयाँ :

- 4) खरसिया से धरमजयगढ़ तक रेल लाइन, घरघोड़ा से भालूमुड़ा तक स्पर लाइन, छाल फीडर लाइन और बरौद फीडर लाइन के चालू होने के कारण नोट-04 में बताई गई अमूर्त संपत्ति के तहत रेल कोरिडोर के रूप में किए गए कुल खर्च और पूंजीकृत राशि का शुद्ध हिस्सा 978.72 लाख है। निर्माणाधीन रेल कोरिडोर के तहत कवर किए गए "वित्तपोषण और अन्य शुल्क" शीर्ष के तहत रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार रेलवे को भुगतान किए गए दिशात्मक और सामान्य शुल्क और अग्रिम शुल्क, नेतृत्व शुल्क और अन्य वित्तपोषण के भुगतान से संबंधित व्यय राशि शामिल है। कंपनी द्वारा रुपये 2443.00 करोड़ का रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) प्राप्त करने और ऋणदाताओं के स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईई), ऋणदाताओं के बीमा सलाहकार (एलआईए), ऋणदाताओं के कानूनी परामर्शदाता (एलएलसी) और सुरक्षा ट्रस्टी को किए गए भुगतान के लिए बैंकों के मंजूरी पत्रों में निर्धारित शुल्क ऋणदाताओं द्वारा नियुक्ति रुपये 2443.00 करोड़ के आरटीएल के वित्तपोषण के संबंध में कंपनी द्वारा नियुक्त मालिकों के कानूनी सलाहकार (ओएलसी) को भुगतान और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (ऋण-सिंडिकेशन एजेंसी), क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भुगतान। इसमें सीईआरएल चरण-II परियोजना के लिए रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार रेलवे को देय दिशात्मक और सामान्य शुल्क भी शामिल हैं।

5) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(अ) विकास के तहत भौतिक अमूर्त संपत्तियों के लिए उम्र बढ़ने का कार्यक्रम (31.03.2025)

(रु. लाख में)

	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
निर्माणाधीन रेल गलियारा	24,773.52	19,132.41	37,762.30	-	81,668.23
एफओआईएस में अनुकूलित स्वचालित पहुंच	-	-	-	-	-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:					
परियोजना का नाम	निरंक				
कुल					

विकास के तहत भौतिक अमूर्त संपत्तियों के लिए उम्र बढ़ने का कार्यक्रम (31.03.2024)

(रु. लाख में)

	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
निर्माणाधीन रेल गलियारा	19,132.41	37,762.30	-	-	56,894.71
एफओआईएस में अनुकूलित स्वचालित पहुंच	-	-	-	-	-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:					
परियोजना का नाम	निरंक				
कुल					

(ब) विकास के तहत अतिदेय सामग्री अमूर्त संपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक
परियोजना का नाम				
कुल	निरंक			

- 6) इंडियन बैंक (लीड बैंक) ने दिनांक 26.09.2022 के पत्र के माध्यम से जीएम/एसईसीआर द्वारा जारी छाल फीडर लाइन प्राधिकरण तिथि को ध्यान में रखते हुए 23.07.2022 को खाते में सीओडी की घोषणा के लिए मंजूरी दे दी। अन्य कंसोर्टियम ऋणदाताओं से मंजूरी प्रक्रिया में है। 2 साल की अधिस्थगन अवधि 23.07.2022 से शुरू हो गई है और त्रैमासिक पुनर्भुगतान अवधि 23.10.2024 से शुरू होगी और 23.07.2038 को समाप्त होगी। परियोजना निष्पादन एजेंसी यानी इरकॉन ने कंपनी के परामर्श से 351.94 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि पर काम किया है और इस पर सीईआरएल बोर्ड ने सहमति व्यक्त की है और इसे मंजूरी के लिए एसईसीएल (होल्डिंग कंपनी) के समक्ष रखा जाएगा। प्रमोटर्स ने कंपनी को परियोजना की लागत वृद्धि को अधिकतम संभव सीमा तक वित्त पोषित करने के लिए संभावित ऋणदाताओं से संपर्क करने की सलाह दी है।

नोट - 05

ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर वर्तमान		
अन्य ऋण		
सुरक्षित अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित अच्छा माना जाता है		
फेस I परियोजना	34,190.31	30,947.51
फेस II परियोजना	19,584.54	19,516.50
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
क्रेडिट बिगड़ा	-	-
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
कुल	53,774.85	50,464.01
आस्थगित उचित मूल्य हानि - IND AS		
फेस I परियोजना	(30,031.82)	(27,491.35)
फेस II परियोजना	(18,207.55)	(18,169.07)
कुल	5,535.48	4,803.59

टिप्पणियाँ :

1) चरण -1 परियोजना की भूमि के लिए पूंजी अग्रिम में शामिल हैं:

(रु. लाख में)

स.क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1	एमओयू दिनांक 03-11-2012 के खंड 7 के अनुसार राजस्व भूमि के मुआवजे की दिशा में एफए एंड सीएओ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) को दी गई गैर-ब्याज असर वापसी योग्य अग्रिम।	15,332.82	12,283.28
2	निजी भूमि के लिए एफए एंड सीएओ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) को आर एंड आर मुआवजा	10,303.26	10,110.00
3	वन भूमि और सरकार के मोड़ की आरे व्यय। एमओयू दिनांक 03-11-2012 के खंड 6 के अनुसार भूमि	8,554.23	8,554.23
	कुल	34,190.31	30,947.51

2) चरण -2 परियोजना की भूमि के लिए पूंजी अग्रिम में शामिल हैं:

(रु. लाख में)

स.क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1	एमओयू दिनांक 03-11-2012 के खंड 7 के अनुसार राजस्व भूमि के मुआवजे की दिशा में एफए एंड सीएओ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) को दी गई गैर-ब्याज असर वापसी योग्य अग्रिम।	10,069.33	10,017.00
2	निजी भूमि के लिए एफए एंड सीएओ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) को आर एंड आर मुआवजा	3,062.82	3,050.95
3	वन भूमि और सरकार के मोड़ की आरे व्यय। एमओयू दिनांक 03-11-2012 के खंड 6 के अनुसार भूमि	6,452.39	6,448.55
	कुल	19,584.54	19,516.50

नोट - 05
ऋण

- 3) कंपनी ने 12.06.2015 को बैंड के साथ रियायत समझौता ककया है और तत्पश्चात, रियायत समझौते के परिकिष्ट और दिनांक 21.03.2017 को कनष्पाकित ककए गए हैं। कंपनी को पूर्विल क रिडी परियोजना के कलए रियायतग्राही के रूप में नाकमत ककया गया है। रियायत समझौते में यह र्वधान है कक भूकम का अकधग्रहण रियायतग्राही की लागत पिंल मंत्रालय के नाम पि ककया जाएगा। भूकम अकधग्रहण पि कंपनी द्वारा र्वहन की गई लागत रियायत समझौते की समाप्ति पि, अथात कनयत कतकथ से 30 र्वी बां, कंपनी को र्वपस किी जाएगा। रियायत समझौते के अनुच्छे 38 के अनुसार, कनयत कतकथ का अथा र्वह कतकथ कजस किन कर्वतीय समापन पि होता है या कोई र्वर्वा कतकथ कजसे पक्षकी आपसी सहमकत से कनधारित कि सकते हैं, और उसे रियायत र्वकथ के पि की कतकथ माना जाएगा। तिनुसां, 24 नर्वबि, 2017 को कनयत कतकथ माना गया है ककक यह बन्स चिण-प परियोजना के कर्वतीय समापन की कतकथ है। परियोजना लागत का कर्वतपोर्ण 80रु20 के ऋण-इडिटी अनुपात पि ककया जाा है। कर्वतपोर्ण की ब्याजि 9.50: कत र्वी और इडिटी की लागत 12: को ध्यान में खते हुए, ऋणों का उकचत मूल्य उपचां 10.00: (पूजी की भारित औसत लागत) कीि से माना गया है।
- 4) 03.11.2012 के समझौता ज्ञापन के खंड 8 के अनुसार, कंपनील मंत्रालय (डवट) के नाम पि अकधग्रकहत भूकम की लागत र्वहन किी। भूकम अकधग्रहण के कलए कंपनी कोी गई कि रियायत समझौते के र्वधानों के अनुसार रियायत समझौते की समाप्ति पि कंपनी को र्वपस किी जाएगा, अथात, कनयत कतकथ से 30 र्वी। कंपनी ने बैंड द्वारा कतकनकधत्व ककए गएल मंत्रालय के साथ रियायत समझौता ककया है। कंपनी की चिण-प परियोजना के कलए। पूर्विल क रिडी चिण-प परियोजना की डीपीआ 80रु20 के ऋण-इडिटी अनुपात पि तैया की गई है। इसके अलावा, परियोजनाओं में कनर्वी के कलए सार्वजकनक उपक्रमों पि सार्वजकनक उद्यम कर्वभाग (डीपीई) के िकाकिनी को ध्यान में खते हुए, इडिटी की लागत 12: मानी गई है। डीपीआ को कंपनी के बोडा, बन्स द्वारा स्वीकी कि कलया गया है। रियायत समझौते के अनुच्छे 38 के अनुसार, कनयत कतकथ का अथा र्वह कतकथ है कजस किन कर्वतीय समापन पि होता है या कोई र्वर्वा कतकथ कजसे पक्ष आपसी सहमकत से कनधारित कि सकते हैं, और उसे रियायत र्वकथ के पि की कतकथ माना जाएगा। तिनुसां, 28 अगस्त, 2023 को कनयत कतकथ माना गया है जो बन्स चिण-प परियोजना के कर्वतीय समापन की कतकथ है। कंपनी ने सेंटरल बैंक अ फ इंकडया की 1 र्वी की डब्लू 30 ठक ब्याजि पि रुपया सार्वकथ ऋण पि ककया है, तिनुसां र्वतमान भारी ब्याजि 9.15: कत र्वी है। लागू षक के अनुसार, पूजी अकग्रम का उकचत मूल्य उपचां 30 र्वी के कलए 9.80: (भारित औसत पूजी लागत) कीि से माना गया है, कजसमें कनयत कतकथ 28.08. 2023 मानी गई है। तिनुसां, 18,254.93 लाख रुपये की आस्थकगत उकचत मूल्य हाकन - षक के को कर्वकासाधीन अमूता संपकतयों पि भारित ककया गया है। चिण-प परियोजना सेजिस्व संचालनुरु होने के बां, आस्थकगत संपकत पि ब्याज आय लाभ और हाकन कर्वविण में भारित की जाएगी।

नोट - 06
अन्य वित्तीय संपत्तितथ्याँ

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा	-	-
अन्य जमा	507.53	507.53
कम : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
कुल	507.53	507.53

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 तक
वर्तमान		
ब्याज अर्जित किया गया		
- निवेश से	-	-
- बैंक के जमा से		
चरण-1 परियोजना	30.69	49.17
चरण-2 परियोजना	100.37	183.34
- अन्य (नोट में निर्दिष्ट)	-	-
अन्य जमा	-	-
कम : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
कुल	131.06	232.51

टिप्पणियाँ :

1) जमा में शामिल हैं:

(रु. लाख में)

स.क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1	सीएसआईडीसीएल से कार्यालय भवन के पट्टे के संबंध में सुरक्षा जमा।	3.81	3.81
2	बीएसएनएल, रायपुर के साथ टेलीफोन लाइन के लिए सुरक्षा जमा	0.03	0.03
3	सीएसपीडीसीएल, रायपुर के साथ विद्युत कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा	0.21	0.21
4	एचपी गैस एजेंसी, रायपुर के साथ एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा	0.02	0.02
5	सी.ई. मिनिमाता बांगो नहर संख्या 5 को सुरक्षा जमा	0.21	0.21
6	आरएओ, सीएसपीडीसीएल को 10 किलोमीटर एलटी पावर कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट	1.00	1.00
7	रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंट को सुरक्षा जमा	0.02	0.02
8	ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा	0.02	0.02
9	डिपॉजिटरी को सिक्योरिटी डिपॉजिट	1.50	1.50
10	रायगढ़ में बिजली कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा	489.50	489.50
11	धरमजयगढ़ में बिजली कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट	0.55	0.55
12	कोरीछापर में बिजली कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट	2.12	2.12
13	कुडुमकेला और भालूमुडा रेलवे स्टेशन में बिजली कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट	0.30	0.30
14	खरसिया में बिजली कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट	1.71	1.71
15	घरघोड़ा स्टेशन पर बिजली कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा	6.00	6.00
16	छाल स्टेशन पर बिजली कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा	0.53	0.53
	कुल	507.53	507.53

2) वित्त वर्ष 2024-25 के वर्ष 31.03.2025 तक बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज की गणना अनुमान के आधार पर 31.03.2025 को परिसमापन तिथि मानते हुए ब्याज दर, समयपूर्व परिसमापन के लिए दंडात्मक शुल्क के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।

नोट - 07
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम		
(क) संबंधित पक्षों को अग्रिम चरण-I परियोजना	1,241.26	1,019.74
(बी) संबंधित पक्षों को अग्रिम चरण-II परियोजना	1,439.90	-
(सी) अन्य चरण-I परियोजना	3,508.62	1,004.44
(डी) अन्य चरण-II परियोजना	4,996.56	4,478.69
(ii) पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(ए) भूमि अग्रिम पर आस्थगित संपत्ति	27,236.12	25,501.79
कम : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
	27,236.12	25,501.79
(बी) अन्य जमा और अग्रिम	1.13	1.13
कम रु संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
	1.13	1.13
कुल	38,423.59	32,005.79

टिप्पणियाँ :

- 1) संबंधित पक्षों को अग्रिम विद्युत क्रॉसिंग के मोड़ के संबंध में और सड़क विभाजन कार्यों के संबंध में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को किए गए भुगतान को इंगित करता है। निर्माणाधीन निर्माण को रेल कॉरिडोर के तहत पूरा कर लिया गया है।

(रु. लाख में)

स.क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1	प्रारंभिक शेष	1,019.74	1,019.74
2	वर्ष के दौरान योग	221.52	-
3	कुल	1,241.26	1,019.74
4	समापित कार्य	-	-
5	अग्रिम लौटाया गया*	-	-
6	शेष (3-4-5)	1,241.26	1,019.74

- 2) पूंजीगत अग्रिम मद के अंतर्गत अन्य में शामिल हैं :

(रु. लाख में)

स.क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
	चरण-I परियोजना		
1	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर स्थित नियंत्रण कक्ष के विस्तार/संशोधन हेतु	240.94	240.94
2	इलेक्ट्रिकल डायवर्जन वर्क्स के लिए सीएसपीटीसीएल को अग्रिम	137.45	137.45
3	इलेक्ट्रिकल डायवर्जन वर्क्स के लिए पीजीसीआईएल को अग्रिम	3,130.23	626.05
	कुल	3,508.62	1,004.44
	चरण-II परियोजना		
1	इलेक्ट्रिकल डायवर्जन वर्क्स के लिए सीएसपीटीसीएल को अग्रिम	921.60	429.23
2	विद्युत विपथन कार्यों के लिए सीएसपीडीसीएल को अग्रिम	356.36	330.86
3	उरगा यार्ड रीमॉडलिंग कार्यों के लिए एसईसीआर को अग्रिम	3,718.60	3,718.60
	कुल	4,996.56	4,478.69
	अन्य जमा और अग्रिम शामिल हैं		
1	आरएओ, सीएसपीडीसीएल	1.13	1.13
	कुल	1.13	1.13

नोट - 08
व्यापार स्वीकार योग्य

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्तमान		
(अ) व्यापार स्वीकार योग्य		
- सुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	2,258.01	1,150.40
- ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
उप-कुल	2,258.01	1,150.40
कम: खराब और संदिग्ध ऋण का प्रावधान	-	-
कुल	2,258.01	1,150.40

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल 31-03-2025 के अनुसार

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	2,258.01	-	-	-	-	2,258.01
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(अ) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(आ) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
कुल	2,258.01	-	-	-	-	2,258.01

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल 31-03-2024 के अनुसार

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	1,150.40	-	-	-	-	1,150.40
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(अ) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(आ) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
कुल	1,150.40	-	-	-	-	1,150.40

नोट - 09
नकद और नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(अ) बैंको के साथ शेष		
- जमा खातों में		
- चालू खातों में		
चरण-I परियोजना	635.95	1,211.98
चरण-II परियोजना	6.44	1,954.71
(ब) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	-
(स) हाथ में नकदी	-	-
कुल	642.39	3,166.69

टिप्पणियाँ

- (1) चालू खाता (ब्याज वहन) में सीएलटीडी स्वीप खाता, आरएलटीडी आदि शामिल है।
- (2) नकद और नकद समतुल्य में हाथ में और बैंक में मौजूद नकदी, स्वीप खाते और तीन महीने या उससे कम की मूल्य परिपक्वता अवधि वाले बैंकों में रखी गई सावधि जमा शामिल हैं।

नोट - 10
अन्य बैंक शेष

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(अ) बैंको के साथ शेष		
- जमा खातों में	-	-
- अन्य जमा खातों में - विशिष्ट उद्देश्य के लिए	2,291.18	
कुल	2,291.18	-

नोट - 11
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ (रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
एडवांस- अन्य	574.07	613.42
कम: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-
	574.07	613.42
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	46.86	85.94
कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	46.86	85.94
कर्मचारियों को अग्रिम	0.30	0.10
कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	0.30	0.10
प्राप्तियों-दूसरों	-	-
प्रीपेड खर्च	75.04	175.41
कुल	696.27	874.87

टिप्पणियाँ :

1) पहले के खर्च में शामिल हैं (रु. लाख में)

क्र.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1.	वार्षिक लीज रेंट	1.12	-
2.	बीमा किस्त	71.90	150.59
3.	बैंको का ब्याज	0.06	24.82
4.	वार्षिक रखरखाव लागत (सीआरआईएस)	1.96	-
	कुल	75.04	175.41

- 2) कमीशन की गई आस्तियों पर बीमा कंपनी को अग्रिम रूप से भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम, दिन-प्रतिदिन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के व्यय के रूप में लिया जा रहा है।

नोट - 12
आवश्यक शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
अधिकार दिया गया		
100,00,00,000 इक्विटी शेयर रु 10/- प्रत्येक	1,00,000.00	1,00,000.00
कुल	1,00,000.00	1,00,000.00
जारी, सब्सक्राइब और पेड-अप		
चरण-I परियोजना 60,87,68,074 (पिछला 60,87,68,074) इक्विटी शेयर रु.10/- प्रत्येक	60,876.81	60,876.81
चरण-II परियोजना 17,28,10,000 (पिछला 17,28,10,000) इक्विटी शेयर रु.10/- प्रत्येक	17,281.00	17,281.00
78,15,78,074 (पिछला 78,15,78,074) इक्विटी शेयर रु.10/- प्रत्येक	78,157.81	78,157.81
चरण-I परियोजना के लिए आवेदन धन लंबित आवंटन साझा करें	-	-
कुल	-	-

विवरण	वर्तमान साल		पिछला साल	
	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (रु.लाख में)	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (रु.लाख में)
अवधि की शुरुआत में बकाया	78,15,78,074	78,175.81	77,27,28,289	77,272.83
अवधि के दौरान जारी	-	-	88,49,785	884.98
अवधि के अंत में बकाया	78,15,78,074	78,175.81	78,15,78,074	78,157.81

1) प्रत्येक शेयरधारक द्वारा 5% से अधिक शेयर रखने वाली कंपनी के शेयर (सीईआरएल चरण-I + चरण-II परियोजना)

शेयरधारक का नाम	वर्तमान साल		पिछला साल		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	आयोजित शेयर की संख्या (फेस 10 का अंकित मूल्य)	% का कुल शेयरों	आयोजित शेयर की संख्या (फेस 10 का अंकित मूल्य)	% का कुल शेयरों	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति (होलिंग कंपनी)	50,00,03,600	63.97	50,00,03,600	63.97	0.00
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	19,78,55,700	25.31	19,78,55,700	25.31	0.00
सीएसआईडीसीएल (छ.ग. शासन का प्रतिनिधित्व)	8,37,18,774	10.71	8,37,18,774	10.71	0.00
कुल	78,15,78,074	100	78,15,78,074	100	

2) सीईआरएल चरण-I परियोजना में शेयर होलिंग पैटर्न

शेयरधारक का नाम	वर्तमान साल		पिछला साल		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	आयोजित शेयर की संख्या (फेस 10 का अंकित मूल्य)	% का कुल शेयरों	आयोजित शेयर की संख्या (फेस 10 का अंकित मूल्य)	% का कुल शेयरों	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति (होलिंग कंपनी)	39,11,93,600	64.26	39,11,93,600	64.26	0.00
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	15,88,55,700	26.09	15,88,55,700	26.09	0.00
सीएसआईडीसीएल (छ.ग. शासन का प्रतिनिधित्व)	5,87,18,774	9.65	5,87,18,774	9.65	0.00
कुल	60,87,68,074	100	60,87,68,074	100	

नोट - 12 आवश्यक शेयर पूंजी

3) सीईआरएल चरण-II परियोजना में शेयर होल्डिंग पैटर्न

शेयरधारक का नाम	वर्तमान साल		पिछला साल		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	आयोजित शेयर की संख्या (फेस 10 का अंकित मूल्य)	% का कुल शेयरों	आयोजित शेयर की संख्या (फेस 10 का अंकित मूल्य)	% का कुल शेयरों	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति (होल्डिंग कंपनी)	10,88,10,000	62.97	10,88,10,000	62.97	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3,90,00,000	22.57	3,90,00,000	22.57	-
सीएसआईडीसीएल (छ.ग. शासन का प्रतिनिधित्व)	2,50,00,000	14.47	2,50,00,000	14.47	-
कुल	17,28,10,000	100	17,28,10,000	100	-

4) कंपनी के सभी शेयर कंपनी के प्रमोटरों के पास हैं जैसे- एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसीएल जैसा कि ऊपर बताया गया है और इसलिए प्रमोटर शेयरहोल्डिंग में बदलाव के लिए कोई अलग से खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

5) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसका मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी पूर्व-राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

नोट - 13
अन्य इक्विटी

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
पूँजी मोचन रिजर्व		
संपत्ति कोष	11,847.09	7,962.73
जनरल रिजर्व	-	-
प्रतिधारित कमाई	(32,795.04)	(16,657.15)
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल	(20,947.95)	(8,694.42)
ए. पूँजी मोचन रिजर्व	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
बी. पूँजी आरक्षित	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
साल की शुरुआत में संतुलन	7,962.73	4,116.89
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,884.36	3,845.84
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	11,847.09	7,962.73
सी. सामान्य रिजर्व	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
साल की शुरुआत में संतुलन	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
सामान्य रिजर्व एक मुफ्त रिजर्व है जिसका उपयोग समय - समय पर लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है		
डी.1. बरकरार रखी गई कमाई	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
साल की शुरुआत में संतुलन	(16,657.15)	(7,169.35)
अवधि के लिए लाभ	(16,137.89)	(9,487.80)
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	(32,795.04)	(16,657.15)
डी. 2. अन्य व्यापक आय वस्तुएं जिन्हें पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा लाभ या हानि के लिए (I)	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
साल की शुरुआत में संतुलन		
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (d(i) + d(ii))	-	-
	(32,795.04)	(16,657.15)

नोट - 14
उधार

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
सावधि ऋण : (प्रथम चरण)		
पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन	2,40,473.88	
बैंकों से		
भारतीय बैंक (लीड बैंक)	-	65,528.00
बैंक ऑफ बड़ौदा (तत्कालीन विजया बैंक और देना बैंक)	-	42,029.00
केनरा बैंक	-	23,404.30
पंजाब नेशनल बैंक (तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स)	-	51,487.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	23,404.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक)	-	37,447.00
कुल (क)	2,40,473.88	2,43,299.30
उपार्जित ब्याज (पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन)	-	--
कुल (ख)		
सावधि ऋण : (द्वितीय चरण)	-	-
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13,837.40	
कुल (ग)	13,837.40	
कुल (क+ख+ग)	2,54,311.28	2,42,580.30

वर्गीकरण - I	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
सुरक्षित	2,54,311.28	2,43,299.30
असुरक्षित	-	-

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
संबंधित पार्टियों से फेस I		
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	42,775.00	18,320.00
ब्याज	4,089.23	1,501.49
कुल (घ)	46,864.23	19,821.49

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
संबंधित पार्टियों से फेस I केपेक्स		
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,146.24	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	466.62	-
कुल (ङ)	1,612.86	-

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
संबंधित पार्टियों से फेस II केपेक्स		
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,804.62	1,671.27
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	774.16	716.67
कुल (च)	2,578.78	2,387.94

वर्गीकरण - II	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	51,055.87	22,209.43
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च)	3,05,367.15	2,65,508.73

नोट - 14
उधार

पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन से सावधि ऋण

कंपनी के सिसें ने 24.11.2017 को नई किल्ली में आयोजित अपनी 13^{वीं} असाधारण आम बैठक में कंपनी की प्रथम चिण परियोजना के कलए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 3516.67.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति कि स्वीकृति किने हेतु उधारी सीमा बढ़ाने को मंजूरी है। इसके बां, कंपनी ने 28.03.2025 को नई किल्ली में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ कर्तव्यपूर्ण स्तार्वेजों पि हस्ताक्षर ककए। सभी कंसोकटायम ऋणिताओं के ऋण खारतों में बकाया कि का भुगतान पीएफसी द्वारा 29.03.2025 को पूर्वा भुगतान कि किया गया।

कंपनी ने 9.25: प्रकत र्वी की ब्याज र्वी पि रुपया सार्वकथ ऋण प्रा ककया है (उत्पान परियोजनाओं के कलए पापरिर्की, अथात वर्तमान में 11.15: प्रकत र्वी, पि 190 आधारी अंकों की छूट स्वीकृत की गई है)। स्वीकृति तों के अनुसार, ऋणिता द्वारा ऋण का भुगतान 58 (अध्वान) सकिचत त्रैमासक ककशें में प्रकत र्वी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनरवी की 15 तारीख को ककया जाएगा। यह ककश र्वकणद्विक परिचालन रु होने की कनधारित कतकथ अथात 31.03.2028 के 6 महीने बा पड़ने वाली पहली चुकौती कतकथ सेरु होगी। इस प्रक्री, चुकौती 15.10.2028 से रुरु होकि 15.01.2043 को समी होगी। परियोजना कनष्पान एजेंसी अथात इकॉन ने कंपनी के पिमा से 351.94 कोड़ की लागत वृद्धि की गणना की है और ब्रुस बोडा द्वारा इस पि सहमकत व्यक्त की गई है और इसै ब्रुस (होद्वंग कंपनी) के समक्ष अनुमान के कलए खा जाएगा। ब्याज की ककस्त संकर्वतिण रु होने के बा प्रत्येक माह की 15 तारीख को मासक रुप सेरि होगी।

स्वीकृत पत्र के खंड 12 में सुक्षारित कनधारित की गई हैं, कजन्हें नीचे पुनरु प्रस्तुत ककया गया है।

- I. ब्रुस चिण के मामले में ऋण, सभी ब्याज (आकद्विकुलें सकहत), लागतों, खर्चों, लागू किों, वैधाकनकुलें और अन्य धनिकि सकहत, कनमनकलद्वखत द्वारा सुकिक्षत ककया जाएगा रु. परियोजना की सभी अचल अचल संपकतयों (फ्रीहोड और लीजहोड सकहत), वर्तमान और भकर्वष्पीनों, पि पहला बंधक परियोजना संपकतयों को छोड़कि
- b. परियोजना से संबंकधत उधारिता की सभी मूता चल संपकतयों पि दृकषबंधक के रुप में पहला भा, कजसमें चल संयंत्र और मीनी, मीनी के पुजे, उपकिण और सहायक उपकिण, फनीचि, बनार्वट, र्वहन और परियोजना से संबंकधत अन्य सभी चल संपकतयां, वर्तमान और भकर्वष्पीनों, परियोजना संपकतयों को छोड़कि कमल हैं।
- ब. परियोजना के संबंध में उधारिता के सभी अकधकीं, कहतों और कियत्यों पि दृकषबंधक के रुप में पहला भा कजसमें परियोजना संपकतयों को छोड़कि कमल हैं परियोजना से संबंकधत बीमा अनुबंधों का समनुनि, रियायत समझौते द्वारा कर्व की गई सीमा तक और उसके अनुसारि
- घ. परियोजना से संबंकधत उधारिता के सभी खारतों और चालू परिसंपकतयों पि पहला प्रभा, कजसमें ऋण सेरवा आकक्षत खारता (1 (एक) कतमाही), एस्क्रो खारता और उप-खारते (या उसके रथान पि कोई भी खारता) कमल हैं, जो एस्क्रो समझौते, अन्य परियोजना स्तार्वेजों और कर्तव्यपूर्ण स्तार्वेजों और सभी के अनुसारि खोले जा सकते हैं।

समय-समय पि उसमें जमा की गई धनिका, प्राप्ति कियौँ औ सभी अनुमत कनवीँया अन्य प्रकतभूकतयौँ, जो परियोजना के संबंध में एस्को खाते में जमा की गई सभी कियौँ का प्रकतकनकधत्व किती हैं, औ प्राप्ति कियौँ पि एक प्रथम प्रभाी।

- bZ.** परियोजना से संबंकधत उधकिता की सभी अमूता संपकतयौँ पि दृकषबंधक के रूप में एक प्रथम प्रभाी, कजसमें उधकिता की सद्भार्वना, उपक्रम औ अप्रयुक्त पूंजी, वर्तामान औ भकर्वष्यौँ, परियोजना संपकतयौँ को छोड़कि, किकमल हैं, लेककन इन्हीं तक सीकमत नहीं हैं। (बिते कक इनमें से ककसी के कणिण प्री सभी कियौँ एस्को खाते में जमा की जाएँगी औ उस पि प्रभाी रियायत समझौते औ एस्को समझौते में कनकिष्ट प्राथकमकता के अनुसाी अनुमेय सीमा के अधीन होगा)य उधकिता कनगम की संतुकष्ट के कलए अपनी संपकतयौँ पि अच्छ कर्वपणन योग्य स्वाकमत्व बनाएगा औ उक्त उद्देश्य के कलए आर्वश्यक या अपेकक्षत सभी औपचारिकताओं का पालन किंगा।
- II.** अकतरिक प्रकतभूकत का सृजनरु ऋणी यह र्वचनीता है कक यकि इस अनुबंध के अद्धस्तत्व कौँन ककसी भी समय, कनगम की यहिय हो कक ऋणी द्वाी प्रिन की गई प्रकतभूकत, बकाया ऋणों की किकि को पूँ किने के कलए अपयाी हो गई है, द तो ऋणी कनगम को अकतरिक प्रकतभूकत प्रिन किंगा जो कनगम को स्वीकाया हो, ऐसी कमी को पूँ किने के कलए।
- III.** प्रभाी का पंजीकिणरु ऋणी को कंपनी अकधकनयम के अनुसाी, कनधारित समय के भीति, कजस्ट्री ऑफ कंपनीज (आओसी) के पास प्रभाी का कर्वविण पंजीकृत किर्वाना होगा, औ आओसी से प्रभाी के पंजीकिण को प्रमाकणत किने र्वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किना होगा। इसके द्वाी यह स्पष्ट ककया जाता है कक परियोजना परिसंपकतयौँ प्रकतभूकत का कहस्सा नहीं हौँगी।

2) चरण-II पररयोजना के धिए प्रवर्तक ऋण

- क) सीईआएल के प्रवर्ताक एसईसीएल औ इिकोन ने सीईआएल चिण-प् परियोजना के कलए क्रमि: 38.40 किोड़ औ 15.60 किोड़ का गौँ-ब्याज-कहत प्रवर्ताक ऋण किया है। यह ऋण एक असुकिक्षत ऋण होगा औ इसे ष्रवर्ताक अणिण का एक भाग माना जाएगा, जो सीईआएल चिण-प् परियोजना में एसईसीएल द्वाी गई इद्धिटीयि पूंजी के अकतरिक होगा। प्रवर्ताकों द्वाी किया गया ऋण, सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतपोर्ण हेतु ऋणिताओं द्वाी किए जाने र्वले सार्वकध ऋण के अधीन हेगा। एसईसीएल से प्रमोटि ऋण की चुकौती, सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतपोर्ण के कलए उधकिता (सीईआएल) द्वाी संभाकर्वत ऋणिताओं के साथ कनष्पाकित ककए जाने र्वले कर्वतपोर्णिस्तार्वेजों में कनधारित कनयमों औितों के अनुसाी की जाएगी, या सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतपोर्ण के संबंध में संभाकर्वत ऋणिताओं द्वाी कलद्धखत रूप में स्पष्ट रूप से सहमकत के अनुसाी की जाएगी।

कंपनी ने सीईआएल चिण-प् परियोजना के कलए प्रमोटि द्वाी 8.90: कीर्ी से प्रिन ककए गए ब्याज मुक्त ऋण का उकचत मूल्यांकन ककया है औ 20 र्वी की ऋण चुकौती अर्वकध को ध्यान में खते हुए, आस्थकगत उकचत मूल्य आय को ष्द्धिटी में परिवर्तानर्षीक के अंतगात अन्य आिकक्षत कनकधयों में प्रभारित ककया गया है। आस्थकगत परिसंपकत पि ब्याज व्यय को लाभ औ हाकन कर्वविण में प्रभारित ककया जाहा है। सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतीय समापन की उपलद्धि पि, सार्वकध ऋण के कलए ली जाही र्वस्तकर्वक ब्याजर्ी को ध्यान में खा जाएगा औ उपयुक्त समायोजन ककए जाएंगे।

- ख) सीईआएल के प्रवर्ताक एसईसीएल औ इिकोन ने सीईआएल चिण-प् परियोजना के कलए क्रमि: 32.00 किोड़ औ 15.00 किोड़ का गौँ-ब्याज-असि र्वाला प्रवर्ताक ऋण किया है। उक्त ऋण एक असुकिक्षत ऋण होगा औ इसे ष्रवर्ताक अणिण का एक भाग माना जाएगा, जो सीईआएल चिण-प् परियोजना में एसईसीएल द्वाी डाली गई इद्धिटीयि पूंजी के अकतरिक होगा। प्रवर्ताकों द्वाी किया गया ऋण, सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतपोर्ण हेतु ऋणिताओं द्वाी किए जाने र्वले सार्वकध ऋण के अधीन हेगा। एसईसीएल से प्रवर्ताक ऋण की चुकौती, सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतपोर्ण के कलए उधकिता (सीईआएल) द्वाी संभाकर्वत ऋणिताओं के साथ कनष्पाकित ककए जाने र्वले कर्वतपोर्णिस्तार्वेजों में कनधारित कनयमों औितों के अनुसाी की जाएगी, या सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतपोर्ण के संबंध में संभाकर्वत ऋणिताओं द्वाी कलद्धखत रूप में स्पष्ट रूप से सहमकत के अनुसाी की जाएगी। कंपनी ने सीईआएल चिण-प् परियोजना के कलए प्रमोटि द्वाी 8.90: कीर्ी से प्रिन ककए गए ब्याज मुक्त ऋण का उकचत मूल्यांकन ककया है औ 20 र्वी की ऋण चुकौती अर्वकध को ध्यान में खते हुए, आस्थकगत उकचत मूल्य आय को ष्द्धिटी में परिवर्तानर्षीक के अंतगात अन्य आिकक्षत कनकधयों में प्रभारित ककया गया है। आस्थकगत परिसंपकतयौँ पि ब्याज व्यय को लाभ-हाकन कर्वविण में प्रभारित ककया जाहा है। सीईआएल चिण-प् परियोजना के कर्वतीय समापन पि, सार्वकध ऋण के कलए ली जाही र्वस्तकर्वक ब्याजर्ी को ध्यान में खा जाएगा औ उपयुक्त समायोजन ककए जाएंगे।

3) परस्वनि व्यय हूँ एसईसीए ऋण

चालू कर्ततीय वीं की गीन, एसईसीएल ने सीईआएल के साथ ऋणािकि बढाने के कलए ऋण समझौता कनष्पाकित ककया है। कंपनी की जस्व व्यय को पूरि कने के कलए 340.00 कोड़ रुपये माकसक चक्रवृद्धि ब्याजर्कि पि उपलि होंगे, जो ब्त्स चिण-८ परियोजना में कंसोकटायम ऋणाताओं को संबंकधत अर्वकध के कलएयि ब्याजर्कि के बिबि होगा। ब्त्स चिण-८ परियोजना में कंसोकटायम ऋणाताओं द्वागि ली जाने वाली प्रभार्वी ब्याजर्कि 9.80: प्रकत वीं है (22.12.2024 अथात पुनकनाधागिण कतकथ से लागू)। ष्त्स द्वागि कया गया ऋण, ब्त्स चिण-८ परियोजना के कर्वत्तपोर्ण हेतु ऋणाताओं द्वागि किए जाने वाले सार्वकध ऋण के अधीन हैगा।

2) चरण-८ पररयोजना के धिए प्रवर्तक ऋण

म्ब्स औ ब्त्स के प्रर्वताक डिकोन (प्रर्वताक) ने ब्त्स चिण-८ परियोजना के कलए 38.40 कोड़ औ 15.60 कोड़ का गौ-ब्याज-असि वाला प्रर्वताक ऋण कया है। उक्त ऋण एक असुकिक्षत ऋण होगा औ इसे ष्वर्वताक योगिणष का एक कहस्सा माना जाएगा, जो ब्त्स चिण-८ परियोजना में डिकोन द्वागिर्कि गई इद्धिटीर्कि पंजी के अकतरित्त होगा। प्रर्वताकों द्वागि कया गया ऋण, ब्त्स चिण-८ परियोजना के कर्वत्तपोर्ण के कलए ऋणाताओं द्वागि किए गए सार्वकध ऋण के अधीन हैगा। डिकोन से प्रर्वताक ऋण की चुकौती, ब्त्स चिण-८ परियोजना के कर्वत्तपोर्ण के कलए ऋणाताओं के साथ उधाकितता (ब्त्स) द्वागि कनष्पाकित कर्वत्तपोर्णीस्तार्वजों में कनधारित कनयमों और्किों के अनुसर्कि की जाएगी। कंपनी ने सीईआएल चिण-८ परियोजना के कलए प्रमोर्कि द्वागि 9.50: कीर्कि से प्रिन ककए गए ब्याज मुक्त ऋण का उकचत मूल्यांकन ककया है औ 14 वीं की ऋण चुकौती अर्वकध को ध्यान में खते हुए, आस्थकगत उकचत मूल्य आय को लाभ-हाकन कर्वर्विण में प्रभारित ककया गया है।

नोट - 15
अन्य वित्तीय दायित्व

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर वर्तमान		
कॉन्ट्रैक्ट एडिशन: मान्यता प्राप्त लेकिन देय नहीं; इरकॉन	1,061.89	930.53
प्रतिधारण धन: इरकॉन	846.09	813.67
सुरक्षा जमा	4.92	4.92
कुल	1,912.90	1,749.12

वर्तमान		
सुरक्षा जमा	-	-
अग्रिम धन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

नोट - 16
व्यापार देनदारियां

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		
दिशात्मक और सामान्य शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	58.52	20.19
निर्माण शुल्क	6,428.12	2,888.66
संचालन और रखरखाव शुल्क	1,895.18	1,786.01
वाहन किराया शुल्क	18.49	8.41
कानूनी विस्तार	0.37	0.60
मुद्रण शुल्क	1.37	1.08
यात्रा खर्च	1.69	0.52
सभा खर्च	0.03	-
वेतन	1.21	1.63
सुरक्षा सेवा ए/सी	246.17	161.54
कार्यालय और कार्यशाला की मरम्मत और रखरखाव	1.83	1.12
बिजली शुल्क	4.15	4.05
पब्लिकेशन खर्च	2.50	-
टेलीफोन शुल्क	0.35	0.06
बैंक शुल्क	2,268.03	52.49
लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय के लिए प्रावधान	3.74	4.31
अन्य देयताएं	208.23	38.89
कुल	11,139.98	4,969.56

टिप्पणियाँ:

1. अन्य देयताओं में कंपनी की ओर से एसईसीएल (होलडिंग कंपनी) द्वारा खर्च किए गए व्यय की राशि रु.143.35 लाख (पिछले वर्ष रु. 25.52 लाख) शामिल है।
2. अन्य देयताओं में कंपनी की ओर से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा खर्च किए गए व्यय की राशि रु.63.88 लाख (पिछले वर्ष रु.11.49 लाख) शामिल है।

3. ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल 31-03-2025 के अनुसार

(रु. लाख में)

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) एमएसएमई	236.06	-	-	-	236.06
ii) अन्य	10,903.82	.	.	0.10	10,903.92
iii) विवादित बकाया और एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया और एमएसएमई	-	-	-	-	-
कुल	11,139.88	.	.	0.10	11,139.98

3. ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल 31-03-2025 के अनुसार

(रु. लाख में)

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) एमएसएमई	326.89	-	-	-	326.89
ii) अन्य	4,642.57	.	.	0.10	4,642.67
iii) विवादित बकाया और एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया और एमएसएमई	-	-	-	-	-
कुल	4,969.46	.	.	0.10	4,969.56

नोट - 17

अन्य वर्तमान दायित्व

(रु. लाख में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
जमा-अन्य	10,730.75	16,110.23
उप-कुल (अ)	10,730.75	16,110.23
सांविधिक बकाया राशि:		
स्रोत पर आयकर घटाया / एकत्र किया गया	187.47	32.92
जीएसटी टीडीएस	0.04	0.07
जीएसटी (रिवर्स चार्ज)	6.36	1.07
उप-कुल (ब)	193.87	34.06
कुल (अ+ब)	10,924.62	16,144.29

टिप्पणियाँ:

धिपधनयाँरू

जमा - अन्य

- पूर्वील कंरिडीं चिण-ए परियोजना में भालमुड़ा से डोंगा महुआ (14 ककमी से 28 ककमी) तक स्प लाइन कोर्सि ब्लोक खंड के पुनसंखिण औ पुनमागा कनधाणि के संबंध में, कंपनी को महाजेनको औ सीएसपीजीसीएल से क्रमि: 111.72 कोइ औ 53.45 कोइ की लागत क्षकतपूकता प्री हुई थी। इस लागत की परिकल्पना डिंकन द्वाि तैयि की गई व्यर्वायाता अधयन रिपोटा में की गई है, कजसे महाजेनको औ सीएसपीजीसीएल द्वाि कर्वकधर्वत स्वीकी ककया गया है।
- महाजेनको से प्री उक्त लागत क्षकतपूकता में से, 40.05 कोइ कीीकि को अर्वक्रकमत भूकम लागत के कर्वरु समायोकजत ककया गया है औ 12.11 कोइ कीीकि को सीडब्ल्यूआईपी मेंिकमल परिसंपकत औ ब्याज की अर्वक्रकमत लागत के कर्वरु समायोकजत ककया गया है। 59.56 कोइ रुपये, जो डायर्वजान की अकतरिक लागत पि मुआर्वजे की लागत के कलए है, को अन्य चालू निरियों के रुप मेंिजा ककया गया है। चालू कर्वत र्वी 2024-25 कोिीन, 24.10 कोइ रुपये कीीकि का उपयोग ककया गया है औ तिनुसी, जमाकि कम हो

गई है।

3. सीएसपीजीसीएल से प्री उक्त लागत मुआवजे में से, 15.19 कोड़ रुपये की िकि को अविधक भूकम लागत के कर्वरु समायोजकत ककया गया है औ 2.14 कोड़ रुपये को सीडब्ल्यूआईपी में िकमल अविधक संपकत औ ब्याज की लागत के कर्वरु समायोजकत ककया गया है ि 36.12 कोड़ रुपये की िकि, जो डायरवान की अकतरिक्त लागत पि मुआवजे की लागत के कलए है, को अन्य चालू निरियों के रुप में िजा ककया गया है। चालू कर्वत र्ी 2024-25 के िन, 16.56 कोड़ रुपये की िकि का उपयोग ककया गया है औ तिनुसी, जमा िकि कम हो गई है।
4. कर्वतीय र्ी 2023-24 के िन, सीईआएल की रिप लाइन के िसे ब्लॉक खंड के पुनकनीकित भाग में आने वाली पीजीसीआईएल की 2 कर्वियुत पीण लाइनों के स्थानांतिणधसाधन के कलए सीएसपीजीसीएल से 31.30 कोड़ की अकतरिक्त िकि प्री हुई है। उक्ि डायरवान की अकतरिक्त लागत के िण लागत शकतपूकता के रुप में है औ इसे अन्य चालू निरियों के रुप में िकमल ककया गया है। इसके अलावा, सीएसपीजीसीएल से 2.12 कोड़ की िकि सीईआएल कंरिडी में गलैंड डरेन के माध्यम से केलो नि में पानी के कनवाहन के कलए 2 पुकलयों (1 पुकलया चैनल 24600 मीटि पि औ 1 पुकलया चैनल 26400 मीटि पि) के कनमाण के कलए प्री हुई है।
5. ब्स् ने ब्स् चिण ८ में परिचालन व्यय की कमी को पू िने के कलए प्रवर्ताकों से धन जुटाने का अनुीध ककया। बी में, इस मामले पि अप्रैल 2024 में डिकोन बोडा औ अक्टूबि 2024 में ब्स् बोडा द्वाी कर्वची ककया गया। पुनकनीनि के कलए ड।भ।लम्बु औ ब्स् से प्री 129.10 कोड़ रुपये की िकि में से, 71.96 कोड़ रुपये पुनकनीकित कहस्से में व्यय के साथ-साथ पुनकनीकित कहस्से से संबंकधत अकग्रम भुगतान के कलए उपयोग ककए गए ि 57.14 कोड़ रुपये का उपयोग ब्स् बोडा के अनुमांन से ऋणिकयत्वं को पू िने में कमी को पू िने के कलए ककया गया। 107.31 कोड़ रुपये की िकि में से, थ्व में उपल िकि 23.37 कोड़ रुपये है। ब्स् बोडा ने ब्स् में प्रकतपूकता की जाने वाली िकि सकहत 340.00 कोड़ रुपये स्वीकृत ककए हैं। चालू र्ी में, ब्स् द्वाी 197.75 कोड़ रुपये की िकि कर्वतरि की गई है औ ि िकि कर्वत र्ी 2025-26 में आरवश्यकतानुसाी कर्वतरि की जाएगी।
6. ब्स् परियोजना का िसा चिण मूल रुप से धिमजयगढ से िगा के बीच कुल 62.5 ककलोमीटि मागा के साथ परिकद्धलपत ककया गया था कजसकी परियोजना लागत 1686.22 कोड़ रुपये औ ऋणरु इडिटी अनुपात 80रु20 था। 19.04.2023 को नई किल्ली में डवल्-भ सकर्व की अधक्षता में आयोजकत बैठक में यह कनणाय कलया गया कक छ।ए की छ। 149ट औ 130। परियोजनाओं के प्रकतच्छेन के िण ब्स् चिण ८ के सखिण को सौकधत ककया जाए। प्बु ने कहा कक मौजू भीडभाड वाली ल मागा पि िगा स्ट्रेन पि नए कसे से लैंकडंग के साथ एक नई इंजीकनयरिंग स्केल योजना भी तैया िनी होगी। उपोक्त को ध्यान में खते हुए, छ।ए ने 27.10.2023 को ब्स् को 32.00 कोड़ की िकि प्रेकृत की। चालू कर्वत र्ी 2024-25 के िन, 13.14 कोड़ की िकि का उपयोग ककया गया है औ तिनुसी, जमा िकि में कमी आई है।

नोट - 18 परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

	31.03.2025 को वर्ष की समाप्ति पर	31.03.2024 को वर्ष की समाप्ति पर
एसईसीआर से माल ढुलाई प्रभार	10,971.22	5,124.95
घटा: एसईसीआर द्वारा कटौती	32.75	7.99
कुल	10,938.47	5,116.96

कटप्पकणयाँरु

- 1) ब्स् औ ब्स् के बीच िनांक 12.06.2015 के रियायत समझौते के अनुच्छे 23 के अनुसाी, कजसे िनांक 21.03.2017 के रियायत समझौते के परिकिष्ट औडिपत्र के साथ पढा जाए, कंणी ल प्रणाली पि माल ढुलाई संचालन से िजस्व आरवटन के 50: (50 प्रकतित) के बिबि िकि प्री िने की हकिी है। इसके अकतरिक्त, कंणी बढी हुई माइलेज औ टकमानलुल् प्री िने की भी हकिी है ि ल मंत्रालय सहमत है औ र्वचन िता है कक ब्स् सेरु होकि, र्वह प्रत्येक माह के अंकतम िन (भुगतान िय कतकथर) से रु67वें (सडसठवें), िन (या, यकि ऐसा िन व्यावसाकयक िन नहीं है, तो तुति बी वाली व्यावसाकयक िन) तक, संबंकधत माह के कलए कंणी को उपयोगकतालु की भुगतान िगा, औ उपयोगकतालु की गणना कनधारित िने वाली एक कर्वरिण भी प्रान िगा।
- 2) तिनुसी, िजस्व का लेखा र्वस्तकर्वक प्राडि औ ि िकि को ध्यान में खते हुए ककया गया है एसईसीआ से प्री उपल जानकाी के आधाी पि, जो उपयोगकतालु की गणना कनधारित िने वाली कर्वरिण के आधाी पि समाधान के अधीन है, जो उपयोगकतालु प्री होने पि एसईसीआ से प्री होगा। प्रीलु के कलए ककसी भी समायोजन का लेखा अगली लेखा अर्वकध में ककया जाएगा।

नोट 19
अन्य आय

(रु. लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय		
दायित्व/प्रावधान वापस लिखें	0.37	4.13
आयकर रिफंड से ब्याज	5.28	-
परिसमापन हर्जाना	11.69	-
कुल	17.34	4.13

नोट 20
कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, भत्ता और बक्शीश इत्यादि	138.08	107.70
कुल	138.08	107.70

नोट - 21
संविदात्मक व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2025 को वर्ष की समाप्ति पर	31.03.2024 को वर्ष की समाप्ति पर
संचालन और रखरखाव व्यय	2,839.28	3,075.92
सुरक्षा व्यय	436.82	280.96
कुल	3,276.10	3,356.88

नोट 22
वित्त लागत

(रु. लाख में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज खर्च	19,244.31	16,738.84
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	806.14	794.57
कुल	20,050.45	17,533.41

नोट - 23
अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2025 को वर्ष की समाप्ति पर	31.03.2024 को वर्ष की समाप्ति पर
परामर्श शुल्क	12.83	15.80
कानूनी खर्चे	0.39	1.60
वाहन किराया शुल्क	41.77	42.25
बीमा प्रीमियम	174.48	212.56
बिजली शुल्क	48.20	32.74
संवैधानिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	2.88	2.36
- खर्चे के लिए।	0.57	0.48
आंतरिक एवं अन्य लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	2.83	2.83
- खर्चे के लिए।	0.57	0.48
कर लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.83	0.37
- खर्चे के लिए।	-	-
विविध खर्चे	17.13	27.73
कुल	3,02.48	339.20

नोट - 24
अनुबंध कर

(₹ लाख में)

		31.03.2025 को वर्ष की समाप्ति पर		31.03.2024 को वर्ष की समाप्ति पर
वर्तमान वर्ष		-		-
आस्थगित कर				
प्रारंभिक शेष राशि (डीटीएल)	36,071.58		20,483.61	
घटाएँ: समापन शेष (डीटीए)	<u>41,741.64</u>	(5,670.07)	<u>36,071.57</u>	(15,587.96)
कुल		(5,670.07)		(15,587.96)

नोट - 25
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वक्तव्यों का अतिरिक्त नोट

1. उचित मूल्य माप

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	एफवीटीपीएल	कर्ज चुकाने की लागत	एफवीटीपीएल	कर्ज चुकाने की लागत
वित्तीय संपत्ति				
ऋण (नोट 5)	-	5,535.48	-	4,803.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट 6)	-	638.59	-	740.04
नकद और नकद समतुल्य (नोट 9)	-	6,42.39	-	3,166.69
वित्तीय देयताएँ				
उधार (नोट 14)	-	3,05,852.46	-	2,65,508.73
अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट 15)	-	1,912.90	-	1,749.12
व्यापार देयताएँ (नोट 16)	-	10,931.75	-	4,930.67
अन्य देयताएँ (नोट 16)	-	208.23	-	38.89

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य 31 मार्च, 2024 को प्रकट किए जाते हैं	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय संपत्ति				
ऋण (नोट 5)	-	5,535.48	-	4,803.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट 6)	-	638.59	-	740.04
नकद और नकद समतुल्य (नोट 9)	-	6,42.39	-	3,166.69
वित्तीय देनदारियाँ				
उधार (नोट 14)	-	3,05,852.46	-	2,65,508.73
अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 15)	-	1,912.90	-	1,749.12
व्यापार देय (नोट 16)	-	10,931.75	-	4,930.67
अन्य देनदारियाँ (नोट 16)	-	208.23	-	38.89

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1 :

पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 :

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करता है और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करता है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 :

यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, वरीयता शेयरों से उधार, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के लिए मामला है।

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय, अल्पकालिक उधार की अग्रणी राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

परिशोधित लागत पर लेखांकित अन्य वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर नहीं ले जाया जाता है, यदि वह भौतिक नहीं है।

(2) पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के कारण एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसीएल (छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व) का एक संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रेरक कंपनियों का शेयरधारिता अनुपात एसईसीएल के लिए 64% इरकॉन के लिए 26% और सीएसआईडीसीएल के लिए 10% (GoCG का प्रतिनिधित्व करता है) है। जेवीसी में जीओसीजी की हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के मूल्य (राजस्व भूमि और वन भूमि) या 10% जो भी अधिक हो, के अनुरूप होगी। यदि जीओसीजी द्वारा प्रदान की गई भूमि का मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो जीओसीजी और एसईसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है।

(₹ लाखों में)

	31.03.2025	31.03.2024
इक्विटी शेयर पूंजी	78,157.81	78,157.81
वरीयता शेयर पूंजी	-	-
लंबी अवधि के ऋण	3,05,852.46	2,65,508.73

2. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एस-19)

वर्तमान में एसईसीएल और इरकॉन के कर्मचारी जिन्हें छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड में रेल लाइन बिछाने की परियोजना के निष्पादन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। एमओयू दिनांक 03.11.2012 के खंड 16 (ब) के अनुसार, वेतन, टीए/डीए आदि से संबंधित खर्चों का हिसाब कंपनी की पुस्तकों में संबंधित से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए एसईसीएल और इरकॉन से प्राप्त डेबिट नोटों के आधार पर किया जाता है। मूल कंपनियां। कर्मचारियों को मूल कंपनियों द्वारा सीईडब्ल्यूआरएल में अल्पावधि के लिए तब तक प्रतिनियुक्त किया जाता है जब तक कि परियोजना चालू नहीं हो जाती है और भविष्य में सेवानिवृत्ति लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेजुटी आदि का भुगतान मूल कंपनियों की देयता होगी। हालांकि, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के फंड में योगदान के लिए किए गए खर्च को एसईसीएल और इरकॉन द्वारा डेबिट नोट्स के माध्यम से जेवी कंपनियों को दिया जा रहा है और तदनुसार उनका हिसाब किया जा रहा है। हालांकि, इंड एस -19 में निर्धारित अनुपालन संबंधित प्रतिनियुक्त कंपनियों द्वारा अनुपालन के अधीन हैं।

3. अप्रमाधण 'मदरू

क) आयकर (INDAS 12)

कंपनी ने कोई अकनकश्चत कि व्यवस्था नहीं की है कजसके कलए संबंकधत किाधान प्राकधकिण कि कानून के तहत कि व्यवस्था को स्वीकी किंगा या नहीं, इस पि अकनकश्चतता है।

ख) आकस्मिक देर्याएँ (INDAS 37)

कंपनी के कर्वरुीर्वे कजन्हें ऋण के रूप में स्वीकी नहीं ककया गया हैरू कनमनकलद्धखत माँग आयकि कर्वभाग के पास कंपनी के कर्वरु लंकबत है। कर्वत्तीय प्रभार्व, जहाँ भी उपलि हो को नीचे आकद्धिकयिताओं के अंतगात कलया गया है, हालाँकि, अन्य मामलों में, प्रबंधन कंपनी की कर्वत्तीय द्दस्थकत पि कोई उल्लेखनीय प्रभार्व नहीं खिता है।

क्र.	विवरण	मंच	कुल (रु. लाख)
1	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	-	-
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
3	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	-	-
3(a)	ओपनिंग बैलेंस से	-	-
3(b)	वर्ष के दौरान अतिरिक्त से बाहर	-	-
4	31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	-	-

3) प्रतिबद्धताओं

पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया प्रतिशत 262.75 करोड़ राजस्व खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया प्रतिशत 71.91 करोड़।

4. अन्य जानकारी

1) प्रावधानों

31.03.2024 पर कर्मचारी से संबंधित को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और अवस्थाएं नीचे दिए गए हैं: (₹ लाख में)

प्रावधान	प्रारंभिक संतुलन 01.04.2024 को	इसके अलावा इस अवधि के दौरान	वापस लिखें/ इस अवधि के दौरान	छूट की अनदेखी	समापन संतुलन 31.03.2025 तक
नोट 3: -प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण : संपत्ति की अनुपस्थिति :	-	-	-	-	-
नोट 4: - प्रगति में पूँजी कार्य: CWIP के खिलाफ:	-	-	-	-	-
नोट 8: - अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति: अग्रिम:	-	-	-	-	-
नोट 11: - अन्य वर्तमान संपत्ति: वैधानिक बकाया के विरुद्ध अग्रिम भुगतान:	-	-	-	-	-
नोट 7: - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अन्य प्राप्तियाँ:	-	-	-	-	-

2) छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए 10.87 लाख (शुद्ध) के कुछ खर्चों को कंपनी के निदेशक मंडल की दिनांक 05.04.2013 की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

3) प्रति शेयर आय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	इक्विटी के बाद टैक्स लाभ इक्विटी शेयर होल्डर्स के कारण	(161,37,89,798.99)	(94,87,80790.88)
2.	भारित औसत सं। इक्विटी शेयरों की बकाया	78,15,78074	78,15,78074
3.	रुपये में प्रति शेयर मूल और पतला आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	(2.06)	(1.21)

4) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

- होल्लिडग कंपनी प्रतिशत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिशत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
- अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
- सहयोगी कंपनी प्रतिशत छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड
- सीईआरएल के पास सहायक कंपनियों की संख्या शून्य है और कंपनी कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 (इसमें किसी भी संशोधन या प्रति स्थापन सहित) के बारे में पूरी तरह से अवगत है और उसका अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पद का नाम	से प्रभावी	तक
1	श्री एन. जयकुमार फ्रैंकलिन	अध्यक्ष (निदेशक 30.03.2024 से)	26.07.2024	जारी----
2	श्री जी. श्रीनिवासन	अध्यक्ष (निदेशक 08.10.2022 से)	01.10.2023	30.06.2024
3	श्री एस.एन. कापड़ी	निदेशक	13.01.2023	26.07.2024
4	श्री बिरंची दास	निदेशक	26.07.2024	जारी----
5	श्री दारला सुनील कुमार	निदेशक	26.07.2024	जारी----
6	श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक	01.06.2022	जारी----
7	श्री ए.के. सिंह	निदेशक	20.07.2023	जारी----
8	श्री ए.पी. पलानीसामी	निदेशक	22.08.2023	26.09.2024
9	श्री विश्वेश कुमार	निदेशक	26.09.2024	जारी----
10	श्री प्रिया रंजन पारही	निदेशक	09.05.2022	जारी----
11	श्री रवि वल्लूरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	17.04.2023	जारी----
12	श्रीमती प्रियंका कीरीट तन्ना	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29.06.2020	जारी----
13	श्री आनंद अमृतराज जोसेफ	कंपनी सचिव	30.03.2017	जारी----

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	अल्पावधि कर्मचारी लाभ सकल वेतन अनुलाभ चिकित्सीय लाभ	62,13,973.40 - -	52,20,731.84 - -
2.	रोजगार के बाद के लाभ पीएफ में योगदान और अन्य निधि	11,38,777.00	7,88,463.58
3.	समाप्ति लाभ (अलगाव के समय भुगतान किया गया) छुट्टी के समय नगद भुगतान उपहार	- -	- -
	कुल	73,52,750.40	60,09,195.42

नोट : सीईआरएल के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक शामिल हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पास बकाया शेष प्रतिशत

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1)	देय राशि	-	10,000.00
2)	प्राप्ति योग्य राशि	2,855.00	-

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं है। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

(iii) संबंधित पक्ष के लेन-देन

अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पार्टी संबंध और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में राज्य नियंत्रित उद्यमों को दी गई छूट के मद्देनजर, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक (इंड एस -24) के तहत ऐसा कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। इंड एस 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे हैं।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रिश्ते की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि		कुल	31.03.2024 को समापन शेष
			निर्माण एवं परामर्श शुल्क	अन्य		
1.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	अधिकार वाली कंपनी	-	वेतन-1.18 ऋण-284.97 ब्याज- 28.76	314.90	499.58
2.	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एसोसिएट कंपनी	193.96	वेतन-0.52 ऋण-16.46 ब्याज-0.00 अग्रिम-16.61	229.71	देय-198.91 प्राप्य-30.80 नेट-168.11
2.	इस्कॉन आईएसएल	एसोसिएट कंपनी	15.89	वेतन-0.00 ऋण-0.00 ब्याज-0.00 अग्रिम-(5.35)	21.24	देय-18.00 प्राप्य-0.78 नेट-17.22

(iv) कर लगाना

बैंक द्वारा ब्याज आय पर 43.98 लाख रुपये की राशि टीडीएस के रूप में काटी गई है। कंपनी ने लाभ-हानि विवरण खाते में (56.70) करोड़ रुपये का आस्थगित कर व्यय दर्ज किया है और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए अनुमानित कर योग्य आय पर 417.42 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सृजित की गई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25

(v) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(vi) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का सामान्य व्यावसायिक क्रम में मूल्यांकन कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर उन्हें बताया गया है।

(vii) वर्तमान देयताएं

जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सका, वहां अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

(viii) शेष राशि की पुष्टि

नकदी एवं बैंक शेष, कुछ ऋण एवं अग्रिम, ऋण और चालू देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि/समाधान किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेष राशि के विरुद्ध प्रावधान किया जाता है।

शीघ्र समापन

सीईआरएल और इरकॉन के बीच सभी लेजरों के अंतर्गत लेन-देन का समाधान वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरा हो चुका है। सीईआरएल और इरकॉन 2025 तक के लिए समाधान के दौरान पहचाने गए मतभेदों को हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

(ix) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, 24.07.2021 को आयोजित 50वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया है। यह समिति आगामी वित्तीय वर्षों में सीएसआर नीति तैयार करेगी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को लागू करेगी। कंपनी ने अब तक घाटा दर्ज किया है। तदनुसार, सीएसआर व्यय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं है।

(x) कानूनी मामलों की स्थिति

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है हालाँकि, एमशस बार्डानी सिक्वोरिटी सर्विसेज को CERL-1 के लिए सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने का ठेका दिया गया था। हालाँकि, एजेंसी ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अपने सुरक्षाकर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने इस अवधि के बिल CERL को प्रस्तुत नहीं किए।

एजेंसी के खराब प्रदर्शन और सीईआरएल रेलवे लाइन पर चोरी की लगातार घटनाओं के कारण, अनुबंध समाप्त कर दिया गया और 28.03.2024 को एक पत्र के माध्यम से एजेंसी को इसकी सूचना दे दी गई। इसके बाद, एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों ने श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बिलासपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और उक्त अवधि के अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की।

मुख्य नियोक्ता होने के नाते, CERL को सुरक्षाकर्मियों के बकाया वेतन का सीधे भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस चूक के बाद, CERL ने इस मामले में कानूनी सलाह ली। प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर, CERL ने सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति रिकॉर्ड और दावों का उपयोग करते हुए, अक्टूबर और नवंबर 2023 के वेतन का भुगतान सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खातों में कर दिया है।

शेष अवधि, यानी दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक, के उपस्थिति रिकॉर्ड और दावे सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ये रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद, CERL शेष अवधि के भुगतान की प्रक्रिया करेगा और सीधे सुरक्षा कर्मियों को जारी करेगा।

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2025 तक	विचरण %	कारण
A	वर्तमान अनुपात:	0.27	0.26	2.66%	
B	ऋण इक्विटी अनुपात:	5.34	3.82	39.73	कंपनी ने वर्ष-मा परिचालन का वित्तीय समापन कर लिया है और अपने परिचालन लागू को पूरा करने के लिए अपनी ड्रेडिंग कंपनी से अपेक्षा फंड प्राप्त कर लिया है। वर्ष के दौरान, बैंकों से सुरक्षित ऋण और प्रमोटरों से असुरक्षित ऋण प्राप्त होने के कारण, अनुपात में बदलाव आया है।
C	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात:	0.42	0.10	320.11	अनुपात में सुधार पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान के लिए रखरखाव में वृद्धि के कारण है।
D	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल:	(25.50)	(13.1)	(94.50)	अनुपात में यह गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के दृष्टि धारकों की दृष्टि में कंपनी के कारण है, जो पाछू वित्तीय वर्ष में कंपनी के रोपधारकों द्वारा ब्याज मुक्त प्रमोटर अर्ध दृष्टि के निवेश के कारण हुई है।

F	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	चूंकि कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, इस अनुपात का खुलासा आवश्यक नहीं है।
F	व्यापार प्राप्त कारोबार अनुपात:	6.42	4.33	48.23	अनुपात में सुधार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कंपनी के राजस्व चक्र में वृद्धि के कारण है।
G	व्यापार देय कारोबार अनुपात:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी द्वारा जारी वॉच के दिवस में लगे रुकें हैं और इसलिए नोट राखा 15 में व्यापार देय राशि के अंतर्गत दर्शाए गए जो कि उसकी मुख्य गतिविधि से सम्बंधित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति देनदारियों से बने हैं। इसलिए, यह अनुपात लागू नहीं है।
H	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात:	18.40	(0.35)	5358.00	इस अनुपात में अस्मान्य गिरावट साल वर्ष में शुद्ध कार्यशील पूंजी में सुधार के कारण है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की शुद्ध कुल आय में वृद्धि के कारण है।
I	शुद्ध लाभ अनुपात:	(147.53)	(185.42)	(20.00)	
J	नियोजित पूंजी पर रिटर्न:	(0.48)	(2.148)	(77.55)	अनुपात में गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में EBIT में कमी के कारण है।
k	निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7):	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	चूंकि कंपनी के पास कोई निवेश नहीं है, इसलिए इस अनुपात का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।

अन्य सूचना

(i) सामग्री लेखांकन नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एसएसआई) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए सामग्री लेखांकन नीति (नोट 2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(ii) हाल की घोषणाएं :

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) 23 मार्च, 2022 को समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। एमसीए ने जीएसआर 255(ई) के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) अन्य वैधानिक जानकारी:

- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
- किसी भी बेनामी संपत्ति को धारण करने वाली कंपनी का ऐसी कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है जिन्हें बंद कर दिया गया है।
- कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से पहले आरओसी के साथ पूंजीकृत किया जाना बाकी है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना कंपनी (अंतिम लाभार्थी) या ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना।

- (vi) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) (विदेशी अंतिम पक्ष सहित) से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी किसी भी तरह से या किसी की ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) या ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई सुविधा प्रदान करना।
- (vii) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो (जैसे तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत)
- (viii) **कंपनी का वित्तीय दृष्टिकोण :**

कंपनी वर्तमान में नकदी प्रवाह की चुनौतियों का सामना कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि परियोजना पूरी तरह से चालू नहीं हुई है और स्पर लाइन से यातायात शुरू नहीं हुआ है। प्रमुख प्रवर्तक, एसईसीएल ने राजस्व और ऋण दायित्वों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कंपनी में ऋण डाला है। सीईआरएल चरण-1 परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और व्यवहार्यता आकलन से यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूरी परियोजना के निर्माण और चालू होने के बाद राजस्व में भारी उछाल आएगा। सीईआरएल वित्त वर्ष 2027-28 से रियायत अवधि (वित्त वर्ष 48) के अंत तक नकदी अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

चालू वित्त वर्ष में, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है और कंपनी निम्नलिखित कार्य योजना के साथ लक्षित यातायात की प्राप्ति की दिशा में काम कर रही है :

अप्रयुक्त/अल्पउपयोगित टर्मिनलों के उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अधिकतम लोडिंग क्षमता प्राप्त करने के लिए साइलो (छाल और बरौद) से लोडिंग बढ़ाना बरौद और छाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिग्नलिंग प्रणाली को एसईसीएल-बरौद और छाल द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे रेकों के टर्नअराउंड में सुधार होगा देश के उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी भागों में स्थित विद्युत गृहों और औद्योगिक इकाइयों तक वैकल्पिक मार्ग (सीईआरएल सीईडब्ल्यूआरएल के माध्यम से) के माध्यम से कोयले की निकासी सुनिश्चित करने के लिए सीईआरएल चरण-1। और सीईडब्ल्यूआरएल के समय पर पूरा होने के लिए नियमित निगरानी। दक्षिण पूर्व रेलवे पर सरडेगा से भालूमुड़ा तक स्वीकृत लाइन को ध्यान में रखते हुए घरघोड़ा-भालूमुड़ा के दोहरीकरण की योजना बनाई गई है। इससे भविष्य में सीईआरएल की लोडिंग और आय में वृद्धि होगी।

(xiii) 31-03-2025 की स्थिति के अनुसार परियोजना वित्तपोषण का विवरण

सीईआरएल चरण-1

1) 31-03-2025 की स्थिति के अनुसार निधियों के पूंजी स्रोत और उसका अनुप्रयोग

(₹ लाख में)

राशि के स्रोत	राशि	राशि	निधियों का अनुप्रयोग	राशि
प्रमोटरों का योगदान			सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	1,53,604.29
इक्विटी शेयर पूंजी		60,876.81	सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य	9,737.02
			विद्युत कार्य	21,996.98
इंडियन बैंक में जमा पर अर्जित ब्याज	2,134.64		यांत्रिक कार्य	0.00
प्रमोटरों के योगदान पर अर्जित ब्याज	584.41		पीएमसी को देय शुल्क	20,078.03
इरकॉन को दिया गया मोबिलाइजेशन एडवांस पर अर्जित ब्याज	250.95	2,970.00	कुल वृद्धि योग्य लागत (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित)	2,05,416.32
प्रमोटर फंड		63,846.81	भूमि की ओर जमा (एनओसी और सीएसपीजीसीएल द्वारा भुगतान की राशि सहित)	40,805.11
			प्रारंभिक और वित्तीय प्रभार	4,678.06
			आकस्मिकता	0.00
पीएफसी से ऋण		24,0352.05	मार्जिन मनी	0.00
कंसोर्टियम के लिए बकाया		503.02	सावधि ऋण पर कुल ब्याज	65,514.01
सीएसपीजीसीएल से प्राप्त धन वापसी, मार्ग परिवर्तन की लागत के लिए आरक्षित है		3,612.00		
माजेनको से प्राप्त धन वापसी, मार्ग परिवर्तन के लागत के लिए आरक्षित है		10,465.00		
सीएसपीजीसीएल से प्राप्त धन वापसी, मार्ग परिवर्तन की लागत के लिए आरक्षित है		3,130.23		
स्पर लाईन पर पुलिया निर्माण के लिए सीएसपीजीसीएल से जमा राशि प्राप्त हुई		212.00		
निधियों के कुल पूंजी स्रोत (ए)		3,22,121.11	निधियों का कुल पूंजीगत अनुप्रयोग (बी)	3,16,413.50

2) धन के राजस्व स्रोत और उसका अनुप्रयोग 31-03-2025

राशि के स्रोत	राशि (₹ लाख में)	निधियों का अनुप्रयोग	राशि (₹ लाख में)
संचालन से राजस्व (प्राप्त)	28,518.47	राजस्व व्यय	80,769.15
एसईसीएल से ऋण	46.615.00	ओ एण्ड एम एजेंसी को अग्रदाय के लिए अग्रिम	495.91
इरकॉन से ऋण	1,560.00		
कुल राजस्व निधि के स्रोत (C)	76,693.47	निधि का कुल राजस्व अनुप्रयोग (D)	81,265.06
निधि के भव्य स्रोत (A+C)	3,98,814.58	निधियों का भव्य समग्र अनुप्रयोग (B+D)	3,97,678.56
		चरण-1 बैंक बैलेंस	1,136.02

राशि के स्रोत	राशि (₹ लाख में)	निधियों का अनुप्रयोग	राशि (₹ लाख में)
प्रमोटरों का योगदान		सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	13,158.64
इक्विटी शेयर पूँजी	17,281.00	सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य	1,059.47
		विधुत कार्य	1,604.09
बैंक में जमा पर अर्जित ब्याज	517.08	यांत्रिक कार्य	0.00
		पीएमसी को देय शुल्क	5,459.06
		कुल वृद्धि योग्य लागत (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित)	21,281.26
प्रमोटरों फंड	17,798.08	भूमि की ओर जमा	21,042.03
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	13,837.02	प्रारंभिक और वित्तीय प्रभार	480.11
एसईसीएल से ऋण (ब्याज मुक्त)	7,040.00	आकरिमकता	0.00
इस्कॉन से ऋण (ब्याज मुक्त)	3,060.00	मार्जिन मनी	0.00
संरक्षण में परिवर्तन के लिए अतिरिक्त लागत एनएचआई संरक्षण	3,200.00	निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)	334.09
निधियों का स्रोत	44,935.10	निधियों का अनुप्रयोग	43,137.49

चरण-11 बैंक बैलेंस : ₹ 1,797.61

कुल बैंक बैलेंस : ₹ 2,933.63

उधारकर्ताओं से प्राप्त किए जाने वाले वचन का प्रारूप

(आंकड़े ₹ में)

बैंक	31.3.2025 तक क्रेडिट एक्सपोजर रु.
पीएफसी, ऊर्जा निधि-1 बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001	रु. 24,03,52,05,342.00
इंडियन बैंक (लीड बैंक के रूप में), नई दिल्ली मुख्य शाखा, जी-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001.	रु. 4,87,54,112.01
इंडियन ओवरसीज बैंक-आर.के. पुरम शाखा, प्रथम तल, पालिका भवन, सेक्टर-13, नई दिल्ली-110066	रु. 20,968.59
पंजाब नेशनल बैंक (पूर्ववर्ती यूबीआई) एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, टॉल्स्टॉय हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	निरंक
बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्ववर्ती देना बैंक) - कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा, एम-1 मंजिल, प्रधान कार्यालय भवन, 41/2 एम.जी. रोड, बैंगलोर-560001	रु. 4,919.85
केनरा बैंक-प्राइम कॉर्पोरेट शाखा, मेकर टावर, एफ विंग, 20वीं मंजिल, कफ परेड, मुंबई-400005	रु. 4,876.44
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक) - यूनियन बैंक भवन, 239, नरीमन पॉइंट, फोर्ट, मुंबई-400021	रु. 148.48
बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक) - कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा, एम-1 तल, प्रधान कार्यालय भवन, 41/2 एम.जी.रोड, बैंगलोर-560001	रु. 3914.53
पंजाब नेशनल बैंक (पूर्ववर्ती ओबीसी) एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, टॉल्स्टॉय हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	निरंक
कुल योग	रु. 24,08,39,45,891.67

उधारकर्ताओं से प्राप्त किए जाने वाले वचन का प्रारूप

उधारकर्ता का नाम : छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

31.03.2025 तक संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के साथ उधारकर्ता का कुल ऋण जोखिम प्रतिशत रु. 24,08,39,45,891.67

31.03.2024 तक विदेशी मुद्रा जोखिम पर त्रैमासिक डेटा

हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने स्थापना के बाद से आज तक किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम का लाभ नहीं उठाया है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण जोखिम पर त्रैमासिक आंकड़ा
यूएफसीई प्रारूप
विदेशी ऋण जोखिम पर त्रैमासिक आंकड़ा

आईएनआर करोड़ में	उचित मूल्यांकन			आगे या व्युत्पन्न (#) के माध्यम से बचाव			प्राकृतिक बचाव	
	<=1 वर्ष	>1 वर्ष	संपूर्ण	<=1 वर्ष	>1 वर्ष	संपूर्ण	<=1 वर्ष	>1 वर्ष
एफसीवाई प्राप्य								
निर्यात	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
जेवी/डब्ल्यूओएस को ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
एफसीवाई भुगतान								
आयात	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ट्रेड क्रेडिट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ईसीबी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य एफसीवाई ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
आईएनआर से स्वैप तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
संपूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

इस कॉलम में केवल अन-हेज्ड भाग दिया जाना है,

नोट : कवर किए गए विकल्प शामिल हैं, नहीं हैं

हम घोषणा करते हैं कि हेजिंग अनुबंधों के रूप में माने जाने वाले सभी डेरिवेटिव अनुबंध, अंतर्निहित अनावृत्तिकी तुलना में उनकी हेज प्रभावशीलता के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की घोषणा के अनुरूप हैं।

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमारा ईबीआईडी यानी कर के बाद लाभ, मूल्यहास, ऋण पर ब्याज, इस तिथि के अनुसार लीज रेंटल ₹ शून्य है। यह संख्या हमारी वित्तीय स्थिति की लेखा परीक्षा लंबित रहने और देय कर सहित अन्य मामलों को अंतिम रूप देने के लिए सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए प्राप्त की गई है,

हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि यूएफसीई की राशि शून्य है, को हमारी अनहेज्ड पोजीशन में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अनावृत्तिकी हेजिंग और प्रबंधन हमारी मूल कंपनी द्वारा किया जा रहा है जैसा कि हमारे पत्र दिनांक शून्य में विस्तार से बताया गया है,

यहां प्रस्तुत सभी डेटा यूएफसीई के संबंध में आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(xiv) व्यावसायिक क्रियाकलाप

अ) महाप्रबंधक दपूरे ने मेमोरेंडम संख्या एसईसीआरए, मुख्यालय, सीएसओ, केएचएस-कोरिछपर दिनांक 28.09.2019 के द्वारा खरसिया से कोरिछपर (42.569 किलोमीटर लंबाई) तक नवनिर्मित बीजी ट्रैक पर डीजल कर्षण के साथ मालगाड़ियों के संचालन को मंजूरी दी है। इसके अनुसार पहली मालगाड़ी का संचालन दिनांक 12.10.2019 को किया गया।

ब) सीई, कॉन-बिलासपुर, एसईसीआर ने ज्ञापन संख्या सीईसीएक्ससी।/बीएसपी, ईआरसी, इरकॉन, केसीपीएच-धरमजयगढ़ 280 दिनांक 22.06.2021 द्वारा नवनिर्मित व्यस्त ट्रैक पर डीजल कर्षण के साथ मालगाड़ियों के संचालन को मंजूरी दी है। कोरिछपर से धरमजयगढ़ (42.569 किमी - 73.519 किमी लंबाई में)।

- स) महाप्रबंधक, दपूमरे ने प्राधिकार सं. सीईसी, बीएसपी, ईआरसी, आईआरसीओएन, घरघोड़ा-भालुमुड़ा दिनांक 23.02.2022 के माध्यम से घरघोड़ा सीएसबी केएम 34.090 - भालुमुड़ा (13.873 किमी) को खोलने की मंजूरी दी है। इस खंड को 07.03.2022 को व्यावसायिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
- द) सीई/इरकॉन-1/बिलासपुर/एसईसीआर ने ज्ञापन संख्या सीईसी, आई, बीएसपी, ईआरसी, इरकॉन, छाल फीडर लाइन, 379 दिनांक 23.07.2022 द्वारा फीडर लाइन छाल, सीएसबी किमी 16.548 (सीएच. 0) को खोलने की मंजूरी दी है। फीडर लाइन के लिए- सीईआरएल सीमा, किमी 8.429 (F/CHHAL), सिंगल लाइन B.G. माल यातायात के लिए अनुभाग।
- ई) महाप्रबंधक/द.पू.म.रे ने ज्ञापन सं. सीईसी, आई, बीएसपी, ईआरसी, इरकॉन, खरसिया-कोरिछपर दिनांक 12.09.2022 द्वारा यूपी लाइन, खरसिया सीएसबी, किमी 619.659 एफ/एचडब्ल्यूएच (कोरिछपर के लिए सीएच. 0.00) को खोलने की मंजूरी दी है। खरसिया-धरमजयगढ़ (73.519 किमी) के संबंध में माल यातायात के लिए कोरिछपर सीएसबी केएम 42.569 एफ/केएचएस।
- फ) महाप्रबंधक, दपूमरे ने ज्ञापन सं. सीईसी, आई, बीएसपी, ईआरसी, इरकॉन, बड़ौद फीडर लाइन, दिनांक 16.03.2023 द्वारा बड़ौद फीडर लाइन, कोरिछपर सीएसबी, किमी 42.569 एफ/केएचएस (सीएच. 0.00) को बड़ौद के लिए खोलने की मंजूरी दी है। फीडर लाइन) बरौद (लोडिंग यार्ड) खरसिया-धरमजयगढ़ (73.519 किमी) के संबंध में सीईआरएल सीमा किमी 4.139

(xvi) अन्य

- अ) पिछले वर्ष के आंकड़ों को इंड-एस के अनुसार पुनर्स्थापित किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्स्थापित किया गया है।
- ब) नोट -1 कॉर्पोरेट सूचना का प्रतिनिधित्व करता है, नोट -2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करता है, नोट 3 से 17 31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा है और 18 से 24 मार्च, को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण का हिस्सा है। 31 मार्च, 2025 और नोट - 25 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हस्ता/-
(आनंद ए. जोसेफ)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि वल्लुरी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(डी. सुनील कुमार)
निदेशक
डीआईएन: 10718694

हस्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन: 10497933

कृते, सिंगल एंड सेवक

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आई.सी.ए.आई एफ.आर.एन. नं. 011501सी

दिनांक: 08.04.2025
स्थान: बिलासपुर

हस्ता/-
(सीए आर. के. प्रधान)
(साइनेदार)

सदस्यता क्र. 420169

यूडीआईएन : 25420169BMKTAC3593

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) 2015 का अनुलग्नक-1

तिमाही के लिए अनऑडिटेड/ऑडिट किए गए परिणामों का विवरण तिमाही 31.03.2024 को समाप्त हुआ, तिमाही 31.12.2023 को समाप्त हुआ, तिमाही 31.03.2023 को समाप्त हुआ, वर्ष 31.03.2024 को समाप्त हुआ, वर्ष 31.03.2023 को समाप्त हुआ

अंश - I		(रु. लाख में)			
व्यौरे	31.03.2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपरीक्षित	31.12.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपरीक्षित	31.03.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपरीक्षित	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित
संचालन से राजस्व					
अ संचालन से राजस्व	3,376.13	5,910.34	1,084.50	10,938.47	5,116.96
ब अन्य ऑपरेटिंग राजस्व (नेट)	-	-	-	-	-
(I) संचालन से राजस्व (अ+ब)	3,376.13	5,910.34	1,084.50	10,938.47	5,116.96
(II) अन्य आय	-	5.64	(16.50)	17.34	4.13
(III) कुल आय (I+II)	3,376.13	5,915.98	1,068.00	10,955.81	5,121.09
(IV) खर्च					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-	-	-	-
तैयार माल के आविष्कारों में परिवर्तन / प्रगति में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	-	-	-	-	-
उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	33.46	66.82	26.25	138.08	107.70
शक्ति व्यय	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	-	-	-	-	-
मरम्मत	-	-	-	-	-
संविदात्मक व्यय	291.86	2,205.54	1,083.10	3,276.10	3,356.88
वित्तीय खर्च	5,351.78	9,892.00	4,668.76	20,050.45	17,533.41
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि व्यय	2,249.29	4,498.27	2,249.29	8,996.66	8,859.66
प्रावधान	-	-	-	-	-
बड़े खाते डालना	-	-	-	-	-
अन्य खर्च	60.18	157.28	372.26	302.48	339.20
कुल खर्च (IV)	7,986.38	16,819.91	8,399.66	32,763.77	30,196.85
(V) असाधारण वस्तुओं और कर (III-IV) से पहले लाभ	(4,610.25)	(10,903.93)	(7,331.66)	(21,807.96)	(25,075.76)
(VI) असाधारण आइटम	-	-	-	-	-
(VII) कर देने से पूर्व लाभ (V-VI)	(4,610.25)	(10,903.93)	(7,331.66)	(21,807.96)	(25,075.76)
(VIII) कर व्यय	1,198.66	(2,835.04)	4,467.32	(5,670.07)	(15,587.96)
(IX) निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)	(3,411.59)	(8,068.89)	(11,798.98)	(16,137.89)	(9,487.80)
(X) बंद किए गए कार्यों से लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-
(XI) बंद किए गए कार्यों का कर समाप्त होना	-	-	-	-	-
(XII) बंद किए गए कार्यों से लाभ (हानि) (कर के बाद) (X-XI)	-	-	-	-	-
(XIII) जेबी / एसोसिएट के लाभ में शेयर / (हानि)	-	-	-	-	-
(XIV) अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)	(3,411.59)	(8,068.89)	(11,798.98)	(16,137.89)	(9,487.80)
अन्य व्यापक आमदनी	-	-	-	-	-
अ (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-	-	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे	-	-	-	-	-

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) 2015 का अनुलग्नक-1

		अंश - I				(रु. लाख में)
ब्यौरे		31.03.2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपरीक्षित	31.12.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपरीक्षित	31.03.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपरीक्षित	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित
ब (i)	आइटम जिन्हें लाभ के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा वत सवे	-	-	-	-	-
(ii)	उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
(XV)	कुल अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-
(XVI)	अवधि (XIV + XV) के लिए कुल व्यापक आय	(3,411.59)	(8,068.89)	(11,798.98)	(16,137.89)	(9,487.80)
	(अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय)					
	इसके कारण लाभ:					
	कंपनी के मालिक हैं	-	-	-	-	-
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
	अन्य व्यापक आय के कारण:					
	कंपनी के मालिक हैं	-	-	-	-	-
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
	कुल व्यापक आय:					
	कंपनी के मालिक हैं	-	-	-	-	-
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
(XVII)	प्रति शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए):					
	(1) बुनियादी	(0.44)	(1.03)	0.83	(2.06)	(1.21)
	(2) अप्रभावी	(0.44)	(1.03)	0.83	(2.06)	(1.21)
(XVIII)	प्रति शेयर आय (बंद किए गए संचालन के लिए):					
	(1) बुनियादी	-	-	-	-	-
	(2) अप्रभावी	-	-	-	-	-
(XIX)	प्रति शेयर आय अर्जित (बंद और निरंतर संचालन के लिए):					
	(1) बुनियादी	(0.44)	(1.03)	0.83	(2.06)	(1.21)
	(2) अप्रभावी	(0.44)	(1.03)	0.83	(2.06)	(1.21)

हस्ता/-
(आनंद ए. जोसेफ)
 कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि वल्लुरी)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(डी. सुनील कुमार)
 निदेशक
 डीआईएन: 10718694

हस्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
 अध्यक्ष
 डीआईएन: 10497933

कृते, सिंगल एंड सेवक
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 आई.सी.ए.आई एफ.आर.एन. नं. 011501सी

दिनांक: 08.04.2025
 स्थान: बिलासपुर

हस्ता/-
(सीए आर. के. प्रधान)
 (साझेदार)
 सदस्यता क्र. 420169
 यूडीआईएन : 25420169BMKTAC3593

अनुलग्नक - IX सेबी (LODR), 2015
आस्तियों और देयताओं का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
	संपत्ति		
(1)	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति		
	(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	583.56	654.75
	(ब) पूंजी कार्य प्रगति पर है	-	-
	(स) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	-	-
	(द) अमूर्त संपत्ति	2,12,560.88	2,21,472.67
	(इ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	81,668.23	56,894.71
	(फ) निवेश संपत्ति	-	-
	(र) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	(i) निगमित	-	-
	(ii) ऋण	5,535.48	4,803.59
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	507.53	507.53
	(ह) स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	41,741.64	36,071.58
	(ई) अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति	38,423.59	32,005.79
	कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (अ)	3,81,020.91	3,52,410.62
(2)	वर्तमान संपत्ति		
	(अ) अन्वेषण	-	-
	(ब) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	(i) निगमित	-	-
	(ii) व्यापार प्राप्त्य	2,258.01	1,150.40
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	642.39	3,166.69
	(iv) अन्य बैंक बचत	2291.18	-
	(v) ऋण	-	-
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	131.06	232.51
	(स) वर्तमान कर निधारण (शुद्ध)	-	-
	(द) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	696.27	874.87
	कुल वर्तमान संपत्ति (ब)	6,018.91	5,424.47
	कुल संपत्ति (अ+ब)	3,87,039.82	3,57,835.09
	इक्विटी और देयता		
	इक्विटी		
	(अ) इक्विटी शेयर पूंजी	78,157.81	78,157.81
	(ब) अन्य इक्विटी	(20,947.95)	(8,694.42)
	इक्विटी कंपनी के इक्विटीधारकों के लिए जिम्मेदार है	57,209.86	69,463.39
	हिस्सेदारों का अवरुद्ध राशि आवंटन	-	-
	गैर नियंत्रित रुचियों	-	-
	कुल इक्विटी (अ)	57,209.86	69,463.39

अनुलग्नक - IX सेबी (LODR), 2015

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
	देयताएं		
(1)	गैर मौजूदा देनदारियों		
	(अ) वित्तीय देनदारियों		
	(i) उधार	3,05,367.15	2,65,508.73
	(ia) लीज देनदारियां	-	-
	(ii) व्यापार का भुगतान	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	1,912.90	1,749.12
	(ब) प्रावधान	-	-
	(स) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ	-	-
	(द) स्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	-	-
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (B)	3,07,280.05	2,67,257.85
(2)	वर्तमान देनदारियां		
	(अ) वित्तीय देनदारियों		
	(i) उधार	485.31	-
	(ia) लीज देनदारियां	-	-
	(ii) व्यापार देनदारियाँ	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कूल बकाया राशि	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि	11,139.98	4,969.56
	(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	-	-
	(ब) अन्य वर्तमान देयताएँ	10,924.62	16,144.29
	(स) प्रावधान	-	-
	(द) कर की देनदारियां (शुद्ध)	-	-
	कुल वर्तमान देनदारियाँ (स)	22,549.91	21,113.85
	कुल इक्विटी और देयताएं (अ+ब+स)	3,87,039.82	3,57,835.09

हस्ता/-
(आनंद ए. जोसेफ)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि बल्लुरी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(डी. सुनील कुमार)
निदेशक
डीआईएन: 10718694

हस्ता/-
(एन. फ्रैंकलिन जयकुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन: 10497933

दिनांक: 08.04.2025
स्थान: बिलासपुर

कृते, सिंगल एंड सेवक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आई.सी.ए.आई एफ.आर.एन. नं. 011501सी

हस्ता/-
(सीए आर. के. प्रधान)
(साझेदार)

सदस्यता क्र. 420169
यूडीआईएन : 25420169BMKTAC3593

प्रति,
निदेशक मंडल,
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड।

सीईओ और सीएफओ सर्टिफिकेशन

हम, रवि वल्लुरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रियंका किरीट तन्ना, मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्त समारोह के लिए जिम्मेदार हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नगदीकरण विवरण की समीक्षा की है और यह हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा है:

- इन कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ना या ऐसे बयानों को शामिल करना है जो भ्रामक हो सकते हैं।
- ये बयान एक साथ कंपनी के मामलों के बारे में सही दृष्टिकोण पेश करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में हैं।

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किया गया कोई भी लेन-देन कंपनी की आचार संहिता के प्रति धोखाधड़ी, अवैध या हिंसक नहीं है।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के ऑडिट, डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है, यदि कोई भी, जिसके बारे में वे जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं या लेने का प्रस्ताव किया है।

हमने लेखा परीक्षकों को संकेत दिया है कि:

- संदर्भ के तहत वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है:
- इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इसका खुलासा अन्य सूचना के बिंदु पर किया गया है (ii) वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स के नोट -24 के तहत लेखांकन नीति में परिवर्तन।
- वित्तीय प्रबंधन पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ हमें महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं।

दिनांक : 08.04.2025

हस्ता/-
(प्रियंका किरीट तन्ना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
(रवि वल्लुरी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी





छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

(एस.ई.सी.एल. की सहायक कंपनी)